खण्ड-283, अंक-5
शुक्रवार, 8 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(29 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४३९–४४३
प्रश्नोत्तर	४४३–४६४
सदन में माइक की खराबी के सम्बन्ध में शिकायत	४६५
बरेली की पत्रकार गोष्ठी में स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में तथाकथित घोषणा के सम्बन्ध में पूछताछ	४६५
जिला परिषद् सुल्तानपुर के सम्बन्ध में दिये गये प्रश्नों के उत्तर के बारे में पूछताछ ..	४६५
कतिपय समाचार-पत्रों को विज्ञापन न देने के विषय के सम्बन्ध में पूछताछ ..	४६५–४६६
श्री जगदीश गांधी व कुंवर तेज भानसिंह द्वारा भारतीय क्रान्ति दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना	४६६–४७०
अफसरों द्वारा मंत्रियों को गलत सूचना देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	४७०
दारुलशफा में चोरी की घटनाएं बढ़ने के सम्बन्ध में शिकायत	४७०–४७१
कार्यसूची के अतिरिक्त कार्य लेने के सम्बन्ध में आपत्ति	४७१
श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव का स्थगन ..	४७२
१९७०-७१ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २७––श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत)	४७३–५१७
आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में पूछताछ ..	५१८
सरकारी कार्य विधियों के विरुद्ध लेख लिखने व समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	५१८
राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा दो हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना ..	५१९
सरकारी कार्य विधियों के विरुद्ध लेख लिखने व समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने के सम्बन्ध, में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	५१९–५२२
नत्थियां	५२३–५२६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २९ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८०

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपालसिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणिकान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दलसिंगार, श्री
दीपनरायन वन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुजन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाब,
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री

प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री

शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री

नोट:—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २९ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूमि विकास बैंक, रूरा, जिला कानपुर

**१—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के झींझक, रसूलाबाद, डेरापुर विकास खंडों के वास्ते भूमि विकास बैंक शाखा, डेरापुर की स्थापना कब की गई ? क्या यह सही है कि इस बैंक का कार्यालय एक दूसरी तहसील में है, जिसके कारण उपरोक्त विकास खंडों के किसानों को ३०–३५ मील की दूरी तक जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस भूमि विकास बैंक की शाखा डरापुर, झींझक अथवा रसूलाबाद में स्थापित न करने का क्या कारण है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता)--

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के झींझक, रसूलाबाद तथा डेरापुर विकास खंडों के लिये भूमि विकास बैंक की स्थापना माह अक्तूबर, सन् १९६७ में जिले की दूसरी तहसील अकबरपुर में रूरा नामक स्थान पर की गई। डेरापुर तहसील के मुख्यालय से रूरा केवल आठ-दस मील तथा रसूलाबाद व झींझक विकास खण्डों से रूरा लगभग १२-१४ मील दूर है।

चूंकि भूमि विकास बैंक को जिले में तकावी योजना समाप्त होने के कारण ऋण-वितरण कार्य शीघ्र शुरू करना था और रूरा में सुरक्षा की दृष्टि से बैंक के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध था अतः उक्त बैंक की शाखा की स्थापना अकबरपुर तहसील में रूरा स्थान पर की गई।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रूरा में ऐसी कौन-सी सुरक्षा की व्यवस्था है जो रसूलाबाद, डेरापुर और झींझक में उपलब्ध नहीं है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, रूरा जो है वह सड़क और रेल दोनों के किनारे पड़ता है। रूरा में जब १९७० में बैंक की शाखा खोली गई तो उस समय वहां पर स्टेट बैंक और कोआपरेटिव बैंक दोनों की शाखाएं मौजूद थीं। यह सुविधा डेरापुर में नहीं थी। इसके अलावा वहां जाने के लिये एक नदी पड़ती है जिस पर पुल भी नहीं था।

चौधरी रामपालसिंह यादव---

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि रसूलाबाद, डेरापुर और झींझक में सुरक्षा की व्यवस्था है और किसानों को यहां सुविधा भी है तो क्या यह कार्यालय दूसरी तहसील से इन तीनों जगहों में से कहीं एक जगह लाने का प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न १९६७ के बारे में पूछा गया है जब बैंक की शाखा खोली गई थी। इस समय डेरापुर में भी एक बैंक कायम हो चुका था। वहां के किसानों की तरफ से कोई रेप्रेजेन्टेशन नहीं आया। रूरा ही उपयुक्त स्थान मालूम हुआ इसलिये बैंक की शाखा वहां खोली गई। यदि वहां के किसानों की कोई ऐसी डिमांड होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जो बैंक किसानों के लिये खोले जाते हैं वे सड़क और रेल जहां हो उसको देख कर खोले जाते हैं या किसानों की सुविधा को देखते हुए खोले जाते हैं ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि बैंक किसानों की सुविधा के लिये खोले जाते हैं लेकिन बैंक खोलने के लिये सड़क और रेल की सुविधा का होना भी जरूरी है जिससे किसानों को वहां जाने में सुविधा मिले। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रूरा ही उपयुक्त स्थान मालूम हुआ और वहां पर बैंक की शाखा खोल दी गई। यह डेरापुर से केवल ८. १० मील की दूरी पर है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी कृपा कर बतलावेंगे कि डेरापुर में जो बैंक खोला गया है उसमें और रूरा में जो बैंक खोला गया है उसमें क्या अन्तर है ?

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता--

डेरापुर तहसील के लिए जो बैंक है उसको रूरा में खोला गया है। कदाचित् तहसील पर न खोले जाने के कारण माननीय सदस्यों के एतराज आ रहे हैं। वास्तव में रूरा किसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है और डेरापुर तहसील अगर पूरी को देखा जाय तो रूरा सेन्ट्रल प्लेस है तहसील का। यह अधिक उपयुक्त है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१--कृष्ण स्वरूप--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों की अवैध नियुक्तियां

*२--श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी राज्य सरकार ने अभी तक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त शिक्षा निदेशकों, उप शिक्षा निदेशकों एवं अन्य समकक्षी पदों पर की गई अवैधानिक पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कब तक सरकार आदेश जारी करेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी)--

जी नहीं। आवश्यक कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

श्रीमन्, मेरे सवाल के उत्तर में बताया गया कि आवश्यक कार्यवाही की गई और आदेश जारी किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन अधिकारियों की गलत पदोन्नति हुई थी ? उनके नाम क्या हैं ? कौन सी स्पष्टतौर से कार्यवाही की गई कृपया बतला दी जाय ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

हाईकोर्ट के जजमेन्ट के बाद ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं उनके नाम बताऊं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

हाईकोर्ट का जो जजमेंन्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फलां-फलां की गलत पदोन्नति की गई है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि वह नाम क्या है और गलत पदोन्नति के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

हाईकोर्ट के जजमेन्ट में लिखा हुआ है कि भविष्य में जब परमानेन्ट एप्वाइन्टमेन्ट किया जाय उस समय पोस्ट डिग्री कालेजों के व्यक्तियों के दावे पर भी विचार किया जाय और इस उद्देश्य से सरकार ने आदेश जारी किये हैं जिसके द्वारा भविष्य में जो भी परमानेन्ट वैकेन्सी पर एप्वाइन्टमेंट होंगे उनमें इस बात का ध्यान रखा जायगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

इस सम्बन्ध में अधिकारियों का एक शिष्ट मंडल श्री श्रीपति जी मिश्र से मिला था क्या इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री जी को है और अगर है तो उन अधिकारियों को क्या आश्वासन दिया गया ? और क्या अधिकारियों ने कोई सुप्रिमकोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

सुप्रिम कोर्ट में अपील दायर करने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो अधिकारियों के मिलने की बात कही गई वह हुई थी लेकिन क्या आश्वासन उनको शिक्षा मंत्री जी ने दिया यह मैं नहीं जानती ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों को लेकर हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ था उनके विरुद्ध क्या किया गया और वह कौन-कौन अधिकारी हैं?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

किसी अधिकारी को लेकर यह प्रश्न नहीं उठा था । यह प्रश्न लोगों ने अपनी भविष्य की उन्नति के लिए उठाया था और वह पहले मुन्सिफी में लड़े और फिर हाईकोर्ट में लड़े। यह किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ नहीं था ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि उस प्रोमोशन में कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आपने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

कोई भी अधिकारी गलत तरीके से एप्वाइन्ट नहीं किया गया । सन् १९५५ से सरकार का एक जी० ओ० चला आ रहा था जिसके अनुसार दोनों केडर कालेजेज के और सर्विस के अलग-अलग माने गये थे लेकिन जब वह कोर्ट में गये और एक फैसला हुआ ९ फरवरी को तो यह प्रश्न उपस्थित हुआ और इसके पूर्व जो नियुक्तियां हुईं वह भी अवैधानिक नहीं थीं ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

हाईकोर्ट का निर्णय २० साल पहले जो जी० ओ० हुआ था उसमें परिवर्तन करने के लिए नहीं हुआ है और इसलिए नहीं हुआ है कि जो अप्रशिक्षित लोग हैं उनको विभाग में लावें जिससे काम न चले ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर भी सरकार विचार करेगी। जो आदेश होते हैं वह बदले भी जा सकते हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

डिप्टी डाइरेक्टर और ज्वाइन्ट डाइरेक्टर जिनके लिए यह मुकदमे चले उनके नाम क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

मेरे पास नाम नहीं हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न] ।

नानपारा तहसील में वन विभाग द्वारा निर्मित पुलों पर गाड़ियों के लिये प्रतिबन्ध

*१--श्री पारस नाथसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की तहसील नानपारा में स्थित जंगल में जंगल विभाग द्वारा बने कुल कितने पुल ऐसे हैं जिन पर कि बैलगाड़ी आदि सवारी ले जाना वर्जित है तथा वर्जित होने का क्या कारण है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

केवल दो पुलों को (भाढ़ा और किरनपुर) छोड़कर सभी पुलों पर बैलगाड़ी या अन्य भारी गाड़ियों का ले जाना वर्जित है। इसका मुख्य कारण यह है कि वन विभाग द्वारा निर्मित पुल केवल हल्की गाड़ियों के लिये बनाये जाते हैं और वह भारी गाड़ियों के या भरी बैलगाड़ियों के भार को संभालने में असमर्थ होते हैं। बैलगाड़ियों को इन पुल और मोटर सड़कों पर जाना वर्जित इसलिये भी है कि वन विभाग की सड़कों की सतह कच्ची होती है और बैलगाड़ियों के पहियों से सड़क तुरन्त नष्ट हो जाती है और हल्की मोटर गाड़ियों के चलने योग्य नहीं रह जाती।

हरदोई जिला परिषद् में अप्रशिक्षित अध्यापकों का चयन

*२--सर्वश्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई), लालन शर्मा (जिला हरदोई), तेजनरायन (जिला खीरी), छेदालाल चौधरी (जिला खीरी), सेवाराम (जिला खीरी) तथा डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिला परिषद् ने जनवरी, सन् १९७० में जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के चयन की सूची प्रकाशित की है उसमें चयन किस योग्यता के आधार पर किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जिला परिषद्, हरदोई द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों के चयन संबंधी जो सूची जनवरी, सन् १९७० में प्रकाशित की गई उसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी रक्खी गई थी।

श्री श्रीशचन्द्र--

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या यह जो चयन हुआ है वह विधिवत नियमानुसार हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

नियमों के अनुसार ही हुआ होगा क्योंकि उन्होंने कमेटी की बैठक करके वाकायदा तालिका प्रकाशित की है ।

श्री श्रीशचन्द्र--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि चयन समिति के लिये कुछ नियम बने हैं और सरकारी आदेश हैं कि किसी भी सूरत में हाई स्कूल तृतीय श्रेणी न लें और यह भी नियम है कि ओवर एज अप्रशिक्षित अध्यापक को न लिया जाय ? मेरी जानकारी है कि बावजूद इन नियमों के हाई स्कूल थर्ड और ओवर एज अप्रशिक्षित अध्यापकों को लिया गया। इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछें ।

श्री श्रीशचन्द्र —

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि चयन समिति ने हाई स्कूल थर्ड और ओवरएज अप्रशिक्षित अध्यापकों को लिया ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जो हाई स्कूल होते हैं उन्हें लिया जाता है और किन्हीं विशेष अभ्यर्थियों को छूट होती है। जो अभ्यर्थी बी० टी० सी० में एक या दो विषयों में फेल थे और कार्यात्मक परीक्षा में पूर्ण थे उनको भी ले लिया जाता है। साथ ही जो फौजी लोगों के बच्चे हैं उनके बारे में भी थोड़ी रियायत दी जाती है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में जो चयन हुआ उसमें फर्स्ट और सेकन्ड को न लेकर थर्ड डिवीजनर्स को लिया गया है? क्या उनकी लिस्ट को फिर से रिवाइज कराने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर विचार किया जाता है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि ट्रेंड को छोड़कर अनट्रेंड को लेने का क्या कारण था और अगर हरदोई में अध्यापक नहीं मिले थे तो क्या दूसरे जिलों से ट्रेंड अध्यापकों को नहीं लिया जा सकता था ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

प्रशिक्षित अध्यपकों को ही वरीयता दी जाती है और उसके बाद अनट्रेन्ड को। दूसरे जिलों से लेने की यह बात कि प्रायः दूसरे जिलों के लिये हुय लोग बीच में ही छोड़ कर चले जात हैं इसलिये यह ख्याल किया जाता है कि उसी जिले के अगर वे लोग हों तो ज्यादा अच्छा है। यों आवश्यकता पड़ने पर दूसरे जिले के लोगों को भी लिया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो चयन हुआ है वह हरिजन और पिछड़े वर्ग के छात्रों का कितना हुआ है और उनको विशेष रूप से लिये जाने के आदेश क्या दिये गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

हरिजनों की संख्या कितनी है उसकी सूचना इस समय नहीं है परन्तु यह डिस्क्रीशन पर रखा जाता है कि चयन करते समय हरिजनों को कोई ऐसी छूट दी जाय।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में नकल

*३—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडियेट हाई स्कूल बोर्ड की १९७०की परीक्षाओं में नकल करते हुये कितने छात्र प्रदेश में पकड़े गये ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

१९७० की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनुचित साधन, प्रयोग करते हुए परीक्षार्थियों की संख्या अभी तक प्राप्त सुचना क आधार पर ६,०३० है।

*४—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षाओं में व्यापक नकल घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

परिषद् की परीक्षाओं के समय परीक्षा भवन में नकल तथा परीक्षा केन्द्र पर अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं :—

१—जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षकों से निवेदन किया गया कि केन्द्र के बाहर तथा भीतर अनुशासन बनाये रखने के लिये पुलिस की समुचित व्यवस्था करें। केन्द्र के चारों ओर १०० गज की दूरी तक दफा १४४ लागू रखें। आवश्यकता पड़ने पर १०० गज की दूरी के बाद भी दफा १४४ लागू की जाय तथा पथभ्रष्ट एवं अवांछनीय तथ्यों की रिपोर्ट थानों में दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत ही अंकित की जाय।

२—केन्द्र के व्यवस्थापक को निर्देश दिये गये कि वे आवश्यकतानुसार किसी भी परीक्षार्थी की तलाशी किसी भी समय ले सकते हैं।

३—समस्त केन्द्र व्यवस्थापकों को तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट का अधिकार प्रदान किया गया है।

४—केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिये जिला स्तर पर सचल दलों का निर्माण किया गया है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इतनी व्यवस्था के बावजूद भी सारे प्रदेश में नकल की और हिंसा की घटनायें हुआ करती हैं और उनको देखते हुये संसद के समान उत्तर प्रदेश में भी एक समिति की स्थापना की जाय जो इस बात पर विचार कर कि इस प्रकार की हिंसा तथा नकल की घटनाओं को किस प्रकार रोका जा सकता है, यह समिति उसी प्रकार की हो जिस प्रकार से लोक सभा में की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

सन् १९६८ में इस प्रकार की एक समिति बनाई गई थी। अब प्रत्येक वर्ष यह समस्या जटिल होती जा रही है जो एक चिन्ता का विषय है। इस समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही सब कदम उठाये गये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की एक संस्तुति की है कि परीक्षा भवन में जिन लोगों को ड्यूटी पर नैतात किया जाता है उनको पब्लिक सर्वेन्ट माना जाय जिससे उनका प्रोटेक्शन हो सके और अगर उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसका मुआवजा सरकार दे सके ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

केन्द्रीय सरकार ने किया होगा। अभी हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। सन् ६८ में एक समिति स्थापित की गयी थी जिसने खोजबीन की थी कि कैसे नकल होती है और कैसे रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुशंसाओं को मानकर कदम उठाए हैं। परन्तु नकल की घटनाएं बराबर हो रही हैं और हिंसा

की घटनाएं भी हो रही हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी किसी आयोग या समिति के गठन पर विचार करेंगी जो सुझाव दे कि परीक्षा प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया जाय जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

शासन के सामने यह गम्भीर विषय है और समय-समय पर इस पर चिन्तन किया ही जाता है। माननीय सदस्य का जो सुझाव है सरकार उस पर गौर कर सकती है।

श्री रामगोपाल संड—

सन् ६८ में रामप्रकाश जी ने जो समिति बनायी थी नकल रोकने के लिए, मुझे भी सौभाग्य रहा उसमें मेम्बर होने का, उसने यह सुझाव दिया था कि जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और प्रायवेट होते हैं उन्हें अपने जिले में परीक्षा न देने दें बल्कि दूसरे जिले में रखें तो नकल की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी, क्या इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री जी को है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

समिति ने जो सुझाव दिये थे उनमें जो लागू करने लायक चीज थी उसे हमने लागू किया।

श्री मनोहरलाल कपूर (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह जो आपने ६ हजार की संख्या बतायी है, इसमें सामूहिक नकल करने वाले विद्यार्थी हैं या व्यक्तिगत रूप से नकल करने वाले और अगर सामूहिक रूप से हैं तो उन विद्यालयों के प्रति जिनमें यह नकल होती है क्या सरकार कठोर कार्यवाही करने को तैयार है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

सामूहिक और व्यक्तिगत की अलग-अलग सूचना नहीं है। जिन विद्यालयों में सामूहिक नकल की बात होती है उनमें प्रशासनिक कार्यवाही की ही जाती है।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह जो नकल की घटनाओं के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और जिन अध्यापको को इसमें हानि हुई है, सरकार द्वारा उनकी सहायता करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

उनके प्रोटेक्शन का तो इन्तजाम किया ही जाता है अगर शारीरिक क्षति होती है या जान जाती है तो उसको आर्थिक सहायता भी दी जाती है उनके परिवार को।

श्री कल्यान सिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सन् ६८ की जो समिति थी उसकी कुछ अनुशंसाओं को उन्होंने लागू किया है लेकिन ये घटनाएं उसके बावजूद भी हो रही हैं, इसलिये मैंने पूछा था कि क्या कोई आयोग या समिति के गठन पर विचार करेंगी जो परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन का सुझाव दे। उन्होंने कहा कि सुझाव हो तो माननीय सदस्य दे दें। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी आयोग या समिति की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

आयोग स्थापित करने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

समोगरा, जिला वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला खोलने की प्रार्थना

*५---श्री सजीवन लाल---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा समोगरा, कहरका, कैथउली, वगैरह ब्लाक पिंडरा तहसील व जिला वाराणसी के नागरिकों ने मार्च, सन् १९७० में स्थान समोगरा में प्राइमरी पाठशाला खोलने हेतु माननीय शिक्षा मंत्री, जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी एवं जिलाधीश, वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

जी हां ।

श्री नारायण दुबे ने मई, १९७० में समोगरा गांव में एक राजकीय प्राइमरी पाठशाला खोलने की प्रार्थना की थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा प्राइमरी पाठशाला खोलने की एक योजना प्रस्तावित है। प्राविधान होने पर जिला परिषद् स्कूलों के खोलने तथा उनका स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार करेगी।

श्री सजीवनलाल---

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि यह प्राइमरी पाठशाला समोगरा ग्राम में ही खुलेगी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

यह तो जिला परिषद् निश्चय करेगा ।

श्री सजीवनलाल---

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि जब तक चौथी योजना का कार्य आरम्भ नहीं हो रहा है इस बीच में वहां के बच्चों की पढ़ाई की कोई उचित व्यवस्था की जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

जहां तक मेरी सूचना है समोगरा ग्राम से एक मील दूरी पर एक पाठशाला है और करीब २ मील की दूरी पर दूसरी पाठशाला है और वहां पर एक पाठशाला गांव में कुछ व्यक्ति चला रहे हैं जहां पर पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई हो रही है। जिला परिषद की ओर से प्राविजन आया है। जब यह प्लान आ जायगा तब इस पर विचार किया जायगा ।

श्री सजीवन लाल---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जनसंख्या को देखते हुए वहां स्कूल खोलने का इरादा है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

वहां पर स्कूल खोलने का जिला परिषद् का प्रस्ताव है ।

हाईस्कूल तथा इण्टर की परीक्षा में हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिये कदम

*६---श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद), श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की १९७० में हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा में कुल कितने निरीक्षक हताहत हुए और उनके पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु सरकार ने क्या किया?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

प्रदेश की १९७० की हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा में केवल एक कक्ष निरीक्षक हताहत हुए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*७—श्री सर्वसुख सिंह, श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार आगे इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम करने का कोई प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित प्रभावशाली कदम उठाये गए हैं :--

१--सचल दल की व्यवस्था की गई है जो प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से सम्पर्क बनाये रखता है तथा सुरक्षात्मक प्रबन्ध करता है ।

२--जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि वे अपने जिले के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त पुलिस को नियुक्ति करने की व्यवस्था करें तथा केन्द्र के अन्दर तथा केन्द्र के बाहर सौ गज की दूरी तक धारा १४४ लगाने के आदेश दें । केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थियों की तलाशी लेने तथा किसी हथियार के पाये जाने पर उन्हें धारा १४४ के उल्लंघन के लिये दंडित करने के भी निर्देश हैं ।

३--केन्द्र व्यवस्थापकों को विषम परिस्थितियों के नियंत्रण के लिये तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो नकल बढ़ रही है और हत्या बढ़ रही है इसका कारण प्राइवेट छात्रों को परिमिशन देना और विद्यार्थियों का पढ़ने में रुझान न होना है ? इन दोनों बातों को देखते हुये इस बात की व्यवस्था मंत्रीजी करेंगे कि प्राइवेट छात्रों को न बैठाया जाय और विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में पुस्तक आदि ले जाने की अनुमति हो ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने न दिया जाय इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है शासन ने । शासन यह समझता है कि इस तरह से लोगों को अधिकार से वंचित न रखा जाय । जहां तक दूसरी बात है कि पाठ्यपुस्तकों को परीक्षा के अन्दर ले जाने की अनुमति दी जाय यह मौलिक प्रश्न है । हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसके अन्तर्गत इस प्रकार से अनुमति देना सम्भव नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड--

मैंने इस विषय में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था जिसमें मैनपुरी कालेज के उपाध्याय जी की हत्या के विषय में चर्चा की गई थी । मुख्य मंत्री जी ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि यदि कोई निरीक्षक इस तरह से पब्लिक सर्वेन्ट बन जाता है, और वह निरीक्षक मारा जायगा तो उसके परिवार को पृथक से पेन्शन दी जायगी जब तक कि उसके लड़के बालिग न हो जायं या उसकी विधवा की मृत्यु न हो जाय तो उसको पेन्शन दी जायगी तो उक्त अध्यापक के मरने पर पेन्शन देने की बात सरकार ने स्वीकार की थी या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा कोई आश्वासन दिया था लेकिन अगर वह दिया गया है तो अवश्य ही उस पर अमल किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, वह कार्यवाही से देख लिया जायगा ।

श्री मोहनलाल कपूर---

यह जो हताहत हुये हैं या मारे गये हैं उन की संख्या माननीय मंत्री जी ने केवल १ बताई है लेकिन सारे सूबे में हाथापाई कितनों के साथ हुई है और कितने निरीक्षक ऐसे हैं जिनको घूसे या लाठी मारी गई, तो किन किन स्थानों पर किन किन विद्यालयों में यह घटना हुई है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी

हाथापाई कहां-कहां और किस-किस तरह की हुई इसकी संख्या और ब्योरा तो इस समय मेरे पास नहीं है, हताहत की एक संख्या मैंने बता दी, इसका मतलब मृत्यु से है।

श्री सर्वसुख सिंह---

हताहत का मतलब होता है जो घायल हुये हैं और मारे गये हैं, हत और आहत दोनों शब्द इसके अन्तर्गत सम्मिलित हैं, इसलिये जो १ की संख्या दी गई है वह गलत है, केसेज ज्यादा हुये हैं और घायल की संख्या भी अधिक है।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री इस 'हताहत' शब्द का अर्थ पूरे तरीके से समझेंगी, इसमें दो चीजें हैं, अब की बार इस रोशनी में इसका उत्तर दें ।

श्री सर्वसुख सिंह---

मंत्री जी ने कहा है कि आर्थिक सहायता का प्रश्न विचाराधीन है, तो जब कोई निरीक्षक घायल हो गया तो प्रश्न विचाराधीन ही है और सहायता उसको नहीं दी गई, यह बात बड़ी अनुचित मालूम होती है, तो क्या मंत्री महोदया तुरन्त उनको सहायता देने का कोई आश्वासन देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

स्वर्गीय उपाध्याय जी के परिवार के लोगों को एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और बाद में किस प्रकार की और मदद की जाय यह विषय विचाराधीन है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि यह निरीक्षक जो आहत होते हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिये विभाग ने क्या कोई निश्चित नियम बनाये हैं या मर्सी पेटीशन की तरह जिसको जो चाहे देने की ही बात है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

कोई निश्चित नियम तो अभी नहीं है परिस्थिति के अनुसार क्षति को देखकर सहायता दी जाती है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगी कि जिस तरह से पुलिस के सिपाहियों या इन्सपेक्टर्स को घायल होने पर या मारे जाने पर सहायता दी जाती है उसी तरह से इन अध्यापकों को भी निरीक्षण के समय घायल होने पर उसी तरह की सहायता दी जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

पुलिस के बराबर ही अध्यापकों का दर्जा मानने की तो बात मैं नहीं करती, उनका दर्जा तो और भी ऊंचा है, बाकी इस तरह से अध्यापकों की क्षतिपूर्ति के लिये विशेष नियम होने चाहिये, इस पर विचार किया जायगा ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश में कई स्थानों पर सेमिस्टर सिस्टम कायम किया गया है जिसमें जो वार्षिक परीक्षायें हैं, उनके स्थान पर समय-समय पर पीरियोडिकल परीक्षायें हो जाती हैं ? तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रकार की सेमिस्टर प्रणाली को प्रारम्भ कराने का प्रबन्ध करायेंगी जिससे इस प्रकार की कठिनाई न हो ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी---

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सेमिस्टर सिस्टम को विशेष स्थान दिया गया है और यह अधिक उपयोगी भी साबित हो रही है। यह शिक्षा नीति का प्रश्न है, और आज के युग में इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

केन्द्रीय सरकार ने एक स्पष्ट पत्रक भेजा है कि ऐसे हताहत अध्यापक को सरकारी कर्मचारी मानकर मुआविजा देना चाहिए ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उस पत्रक के अनुसार कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

इल्लीगल क्वेश्चन होने के कारण यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे दें तो ज्यादा अच्छा हो ?

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, इसी तरह का एक सवाल उठा था जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैंने एक सवाल के जवाब में कोई आश्वासन दिया था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको पब्लिक सरवेन्ट नहीं माना है बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी के रूप में माना है क्योंकि हमने पुलिस विभाग में यह कर रखा है कि अगर किन्हीं एन्टी सोशल तत्वों का मुकाबला करते हुए कोई पुलिस अधिकारी मारा जाता है तो उसके बच्चे जब तक बालिग नहीं हो जाते हैं, उनको स्कौलरशिप वगैरह मिलता है और उसकी विधवा, वह अफसर जब तक ५८ वर्ष का न हो जाता, को तब तक के लिये तनख्वाह मिलती रहती है।

जहां तक आश्वासन का प्रश्न है मुझे याद नहीं है लेकिन अगर दिया है तो उस पर मैं क्या सजेस्ट करूं। केवल एक सवाल पर आधा घंटा हो गया है ?

गढ़वाल मण्डल में लीसा का वितरण

*८---श्री गोविन्दसिंह---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त गढ़वाल मन्डल ने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ गोपेश्वर चमोली को गत मार्च के अंत में तीन सौ कुन्तल लीसा दिये जाने की स्वीकृति दी थी, परन्तु अरण्यपाल टिहरी वृत्त न वह उपरोक्त लीसा संघ को न देकर एक ठेकेदार को व्यक्तिगत उद्योग के लिये देन की सरकार को संस्तुति की है ? यदि हां, तो उक्त अरण्यपाल ने उसके क्या कारण बताये ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, गोपेश्वर चमोली को मार्च,१६६६ के अन्त में तीन सौ क्विन्टल लीसा दिये जाने की स्वीकृति दी थी। यह सोयम वनों का लीसा था। औद्योगिक इकाइयों को सिविल तथा पंचायती वनों का लीसा दिया जाता है। सोयम वनों का लीसा नीलाम द्वारा बेचा जाता है। अतः यह लीसा उपरोक्त संघ को न दिया जा सका। अरण्यपाल, टिहरी गढ़वाल वृत्त ने यह लीसा किसी ठेकेदार को व्यक्तिगत उद्योग के लिये देने की संस्तुति सरकार को नहीं की है।

*६—श्री गोविन्द सिंह—

वर्ष १९६९ में गढ़वाल मन्डल के विभिन्न जिलों में कितना लीसा व्यक्तिगत व्यापारियों को दिया गया है और कितना सहकारी संस्थाओं को ? क्या मंत्री जी इसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२३ पर)

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कन्जरवेटर फौरेस्ट, टिहरी गढ़वाल, ने इस सहकारी संस्था को कोई पत्र लिखा था कि आपको यह लीसा मन्जूर किया जाता है और ३१ मार्च तक रुपया दे दिया जाय ? यदि हां, तो वह पत्र कौन-सी तारीख को डिस्पैच किया गया था?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोविन्द सिंह—

यह लीसा जो सहकारी समिति को दिया जाना था, क्या इसको नीलाम किया गया था ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

श्रीमन्, लीसे के बारे में सदन में कई बार प्रश्न उठ चुके हैं, और मैं यह समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है । तो सरकार इस पर फिर से विचार कर रही है और पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनसे भी सुझाव आमंत्रित करूंगा और उनको देखकर फिर कोई नीति इस सम्बन्ध में निर्धारित करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन औद्योगिक संस्थानों में यह लीसा दिया गया है, वह नीलाम की दर पर दिया गया है या एग्रीड रेट के दर पर दिया गया है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्द सिंह—

जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें लिखा हुआ है कि नीलाम की दर पर दिया गया है । परन्तु मेरी सूचना है कि नीलाम की दर पर नहीं दिया गया है । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप गलत कहते हैं तो वे जांच करायेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लिखित उत्तर जो दिया गया है कि यह लीसा नीलाम की दर पर बेचा गया है, यह सही है या जैसा कि इन्होंने कहा है कि सूचना की आवश्यकता है, वह सही है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि यह जो लीसा की मात्रा उत्तर में दी गई है कि यह बेचा गया वह नीलाम में बेचा गया या बिना नीलाम के दिया गया है ?

श्री अजीत प्रतापसिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्द सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर यह लीसा नीलाम में बेचा गया है तो किस दर पर बेचा गया है ?

श्री अध्यक्ष---

उनको मालूम ही नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । हम कोई प्रश्न रखते हैं तो उनकी अनुपूरक सूचनायें हमको मिलनी चाहिये और मंत्री जी को तैयार होना चाहिये । आप यह व्यवस्था दें कि यह प्रश्न दोबारा रक्खा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इनको दोबारा रक्खूंगा ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

मैं यह पूछना चाहूंगा, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि हम इसमें विधायकों से राय लेंगे । तो वे कितनी जल्दी विधायकों से राय मशविरा लेने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि वे जिलों से आते हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

शीध्र ही ।

[२९ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---श्री सजीवन लाल---

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित] ।

*२---श्री रामगोपाल संड---

[९वें शुक्रवार के लये स्थगित]

समाज कल्याण निदेशालय में एक पद का वेतन घटाना

*३---श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि समाज कल्याण निदेशालय के कतिपय उच्च वेतन क्रमों में स्वीकृत लिपिक वर्गीय पदों का वेतन-क्रम हरिजन कल्याण निदेशालय के उन्हीं पदों के वेतन-क्रमों को समान लाने की दृष्टि से वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा घटा दिये गये थे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)---

वेतन अभिनवीकरण समिति की संस्तुति के आधार पर निदेशालय के समाज कल्याण खंड में स्वीकृत एक पद का वेतन-क्रम रु० ३००-४०० से घटाकर रु० २५०-३२५ किया गया। उक्त संस्तुति का आधार समिति की रिपोर्ट के अध्याय ९ के प्रस्तर ८ में इंगित है।

*४--श्री नित्यानन्द स्वामी (अनुपस्थित)--

क्या हरिजन कल्याण निदेशालय में कालान्तर में उन्हीं पदों को उच्च वेतन क्रमों में अन्य विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के वेतन-क्रमों के समान अब स्वीकृत कर दिया गया है? अगर हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

निदेशालय में अनुसूचित जन जातियों की कल्याण कारी योजनाओं के कार्य के सम्बन्ध में जो पद स्वीकृत किये गये वे उन्हीं वेतन क्रमों में रखे गये जो अन्य विभागाध्यक्षों के अधीन समान पदों के लिये स्वीकृत हैं ।

अहीर, गूजर तथा जाटों की आर्थिक दशा

*५--श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अहीर, गूजर तथा जाट जातियों की आर्थिक दशा की जांच तथा उनके समाधान हेतु सरकार किसी कमीशन की नियुक्ति करेगी ? यदि हां , तो कब तक ?

श्रीमती विद्यावती राठौर--

इस प्रकार के किसी कमीशन आदि की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसीलदार मिर्जापुर द्वारा भूमिहीनों को वन भूमि देने की रिपोर्ट

*६--श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला तथा तहसील मिर्जापुर परगना कन्तित तप्पा उपरोध ग्राम नीम डीह के वन भूमि पर हरिजन एवं भूमिहीन मजदूरों द्वारा कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पट्टा करने की अनुमति देगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

जिला तथा तहसील मिर्जापुर परगना कंतित तप्पा उपरोध ग्राम नीम डीह के वन भूमि पर हरिजन एवं भूमिहीन मजदूरों द्वारा कोई कब्जा नहीं किया गया है । अतः सरकार द्वारा उन्हें पट्टा करने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*७--श्री रामनिहोर राय--

क्या सरकार को मालूम है कि भूमि को मिर्जापुर के तहसीलदार ने उन हरिजनों एवं भूमिहीन मजदूरों को जो उपरोक्त भूमि पर कब्जा किये हैं उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

तहसीलदार मिर्जापुर के कुछ भूमिहीनों के पक्ष में भूमि देने के बारे में रिपोर्ट भेजी थी परन्तु छानबीन करने के बाद प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिये गये ।

श्री रामनिहोर राय--

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार मिर्जापुर ने कब और कितने भूमिहीनों को कितनी भूमि देने के पक्ष में रिपोर्ट की थी?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

तहसीलदार मिर्जापुर ने एक रिपोर्ट २०-१-७० को दी जिसमें यह कहा था कि कुछ भूमिहीनों को जमीन दी जाय, मगर बाद में लिख कर भेजा कि नहीं देना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मिर्जापुर में वन विभाग की बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसमें एक भी पेड़ नहीं है और उस जमीन को २०-३० सालों से किसान जोतते आ रहे हैं और कागजात में इन्ट्री भी है, लेकिन विभाग विधिवत् उनको जोतदार नहीं मान रहा है, क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह---

पहले तहसीलदार ने रिपोर्ट दी कि भूमि दी जाय फिर रिपोर्ट दी न दी जाय, तो इसका आधार क्या है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

पहले उनको यह पता चला कि कुछ भूमिहीन हैं जो उसको जोतते हैं, बाद में पता चला कि वे लोग उसको नहीं जोतते हैं, इसलिये कहा कि न दी जाय।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

मिर्जापुर जनपद में अभी हाल हीं में सर्वेक्षण हुआ है जिससे पता चला है कि बहुत सारी भूमि पर काश्तकारों ने अपने मकान, कुवें, बगीचे आदि बना लिये हैं और काश्तकारी कर रहे हैं, परन्तु वन विभाग उसमें अड़चनें डाल रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा कर ऐसे आदेश देंगे कि जो भी ऐसी भूमि है जिस पर काश्तकार पहले से काश्तकारी हैं तथा उस पर उनका कब्जा है तथा जिसमें नियोजित ढंग से वन नहीं लगाये जा सकते उसको उन्हीं काश्तकारों को दे दिया जाय ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो वन विभाग की भूमि है वह उसमें १०० वर्ष से भी वन लगाने में असमर्थ रहा है। तो जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण भी यहां दिया था कि भूमिहीनों की समस्या से ला एन्ड आर्डर की समस्या पैदा हो गयी है, इसको देखते हुये क्या वन मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि वन विभाग की जिस भूमि पर भूमिहीन हरिजनों ने कब्जा कर लिया है और वे जोत रहे हैं उस भूमि पर उन्हीं का कब्जा मान लिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने जो सवाल उठाया है वह नीति का प्रश्न है और इसमें काफी लम्बा जवाब देना पड़ेगा जिसके लिये अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। हमारे यहां पंजाब को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में वन भूमि का क्षेत्रफल, सारे क्षेत्रफल को देख कर, सबसे कम है जो करीब १५-१६ प्रतिशत है जब कि नेशनल पालिसी है फारेस्ट के संबंध में उसके अनुसार इसे ३३ प्रतिशत होना चाहिये। मध्य प्रदेश में यह ४८ प्रतिशत है, केरल में ३३

प्रतिशत है। सारे हिन्दुस्तान का प्रतिशत शायद २३ है। तो वन भूमि के कम हो जाने से हमारे आर्थिक विकास का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिये हमारे यहां वन भूमि का क्षेत्रफल बढ़ना चाहिये बजाय घटने के।

अब विचार यह करना है कि यह बढ़े कैसे? माननीय मित्र जो यह कह रहे हैं कि वन विभाग में ऐसी भूमि भी पड़ी हुई है जिसमें सैकड़ों वर्षों से वन नहीं लगाये गये हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें पहली बात तो यह है कि वह जमीन खराब किस्म की है, बन्जर है, काबिले काश्त नहीं है। यूं तो सभी भूमि काबिले काश्त होती है, लेकिन अगर आसानी से हो गया होता तो कभी की उसमें काश्त हो गई होती। इसके अलावा आप कहते हैं कि उसमें वन मुश्किल से लगेगा जो कि ठीक है, तो जब वन ही मुश्किल से लगेगा तो वहां पर खेती भी मुश्किल से होगी। वन विभाग की नीति यह है कि धीरे-धीरे हम वहां पर प्लान्टेशन करें। ढ़ाई सौ रुपया एकड़ खर्च होता है। सन् ६६ से सरकार ने यह किया है कि किसी तरह से हम जमीन चारों तरफ से काटों से घेर दें और उसे पशु न चर सकें, तब भी किसी न किसी प्रकार के वृक्ष उसमें लग ही जाऐंगे। काश्त सबमें हो जाना प्रदेश के आर्थिक विकास के हित में नहीं होगा। आज भी हमारे यहां सब प्रदेशों के मुकाबले में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे ज्यादा यदि नहीं है तो करीब-करीब सबसे ज्यादा है। तो हमारे यहां यह जो हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन जोतने से, वनों की जमीन पर खेती करने से सम या सुलझ जाएगी, तो इससे समस्या सुलझने वाली नहीं है। हमें तो इस तरह की हवा पैदा करनी है कि जो लोग कृषि व्यवसाय में लगे हैं वे उससे हटकर अन्य धन्धों में जाएं। हमारे यहां भूमि ज्यादा नहीं है। ऊसर जमीन भी ले लें तब भी उस प्राब्लम का सलूशन नहीं है। तो आपका जो सुझाव है वह इतना आसान नहीं है कि उसको कार्यान्वित किया जा सके, इसलिए गवर्नमेन्ट को उसका मानना मुश्किल होगा।

श्री यादुवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही कि ३३ प्रतिशत वनों का क्षेत्र होना चाहिये, वह बात सही है, परन्तु मैं उनके लिए सुझाव देना चाहता हूं कि अगर खेती योग्य भूमि नहीं है तो क्या आप भूमिहीनों को फल लगाने के लिए—जैसे खैर, बेर, तेंदू, आंवला, हर्र, बहेड़ा आदि के पेड़ लगाने के लिए उन्हें दे सकते हैं कि इन्हें लगावो, जिससे आपका प्लान्टेशन भी हो सकता है और उनकी जो भूमि पाने की भावना है उसकी भी पूर्ति हो सके ?

श्री चरणसिंह---

दुबे जी को शिकार खेलने का शौक है, अक्सर मिर्जापुर के जंगलों में जाते हैं, तो वहां का उनका कुछ खयाल है कि इससे समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। यह इतना आसान नहीं है। फिर जमीन के डिमारकेशन की समस्या, किसको कितनी भूमि दी जाए आदि तमाम समस्याएं हैं। यह देखा जायगा कि खैर आदि के वृक्ष लग सकेंगे या नहीं, वह प्रेक्टिकल है या नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय---

मुख्य मंत्री जी ने सही बात कही है, किन्तु यदि वह वनों की कमी को देखते हुए उसे किसानों को खेती के लिए नहीं देना चाहते हैं तो क्या आप इस पर विचार करेंगे कि जब तक १५—२० वर्ष के लिये किसान उसको जोतता रहे और वन विभाग उस पर अपने इच्छित पौधे लगा दें, जिससे उनकी रक्षा भी हो सके और किसान उतने दिन तक उस पर काश्त करता रहे और सरकार को लगान भी देता रहे, इससे सरकार को आमदनी भी होगी और वनों की भी रक्षा हो जायगी और वह लग जाएंगे ?

श्री चरणसिंह---

यह प्रैक्टिस तो आज भी है। विभाग उन्हीं लोगों के जरिए प्लान्टेशन कराता है और उन्हीं के जरिये काश्त कराता है, उतने समय तक गवर्नमेन्ट के पेड़ों की रक्षा हो जाती है, तो यह तो आज भी होता है।

*८-९---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१०---श्री गोविन्द सिंह---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*११---श्री राम देव---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१२-१३---श्री कन्हैया लाल---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१४---श्री राम पूजन पटेल---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१५-१६---श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१७-१८---श्री रामपूजन पटेल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय तथा श्री धर्मवीर---

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*१९---श्री कल्यान सिंह तथा श्री मलिखान सिंह---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*२०---श्री रामगोपाल संड (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को माध्यमिक शिक्षा संघ ने १ फरवरी, १९७० को लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन को करने के पश्चात् अपनी मांगों के समर्थन में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ? क्या सरकार उनकी मुख्य मांगें स्वीकार करने की योजना बना रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को १-२-१९७० को एक ज्ञापन दिया था। उसमें उल्लिखित मागें तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया संलग्नक में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२४ पर)

सी० टी० टीचर्स को एल० टी० ग्रेड देने का सुझाव

*२१---श्री सियाराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन सी०टी० ग्रेड के एक्सटेंशन टीचर्स ने विभागीय आदेश लेकर बी० ए० परीक्षा १० वर्ष पूर्व पास कर ली है लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई जब कि एक बार सी० टी० ग्रेड में कार्य करने वाले ऐसे अध्यापकों को एल० टी०

ग्रेड में पदोन्नति की जा चुकी है ? इस प्रकार के एक्सटेंशन टीचर्स को जिन्होंने अपनी योग्यता बी० ए० कर ली है क्या सरकार पदोन्नति देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

सी० टी० वेतन-क्रम में स्थायी हो जाने के प्रश्चात् पदोन्नति पर विचार किया जायगा ।

लखनऊ और इलाहाबाद के राजकीय कालेजों में अस्थायी अध्यापिकायें

*२२—श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर) तथा श्री चन्द्रनारायण सिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद और लखनऊ में राजकीय कालेजों में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चुने जाने के बाद भी कितनी अध्यापिकायें ऐसी हैं जो ५ वर्ष से अधिक की सेवा करने के बाद भी स्थायी नहीं की गई हैं? क्या उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

ऐसी २७ अध्यापिकायें हैं इनकी सूची संलग्न है। इनमें से १२ अध्यापिकाओं को मौलिक नियुक्ति दी जा चुकी है और उपयुक्त समय पर उन्हें स्थाई कर दिया जायेगा। दो अध्यापिकाओं के बारे में जो अस्थायी पदों के लिये चुनी गई थी स्थायी किये जाने के बारे में आयोग से पत्र-व्यवहार हो रहा है। शेष १३ अध्यापिकाओं के स्थायीकरण के प्रश्न पर स्थायी पद उपलब्ध होने तथा इनके स्थायीकरण के नम्बर आने पर ही विचार किया जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२५–५२६ पर)

श्री पन्नालाल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन १२ अध्यापिकाओं को क्या लिख कर दिया गया है या ऐसे ही एक महीने की नोटिस दे कर निकाल दिया जा सकता है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

निकालने का प्रश्न नहीं है। वह टेम्पोरेरी पोस्ट के अगेंस्ट सेलेक्टेड हैं। जब स्थायी पद आयेंगे तो स्थायी की जायंगी ।

श्री पन्नालाल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियम है, कब स्थायी होंगी, कितने रोज तक अस्थायी रह सकती हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सारे उत्तर प्रदेश की एजूकेशन की सबार्डिनेट सर्विस का एक ही कैडर है। जब स्थायी जगहें निकलती हैं तो वरीयता के आधार पर, योग्यता आदि सब को देखते हुए, दे दी जाती हैं। उससे देरी होती है क्योंकि यह काफी बड़ा कैडर है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समाज में औरतों को समान अवसर नहीं मिल रहा है इसलिए आज भी वह हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, क्या इस क्षेत्र में विशेष व्यवस्था करेंगे कि पांच वर्ष से जो अध्यापिकाएं होंगी उनको निश्चित रूप से स्थायी कर दिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

यह तो स्थायी पोस्ट पर ही होगा। समय तो निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

शिक्षा निदेशक का सेवाकाल

*२३--श्री पन्नालाल तथा श्री चन्द्रनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश एक्सटेंशन पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेई--

जी नहीं ।

*२४--श्री धर्मवीर--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२५-२६ श्री मलिखान सिंह--

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

संस्कृत पाठशालाओं के वेतन बिल

*२७--श्री हिम्मत सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संस्कृत पाठशालाओं के वेतन बिल्स काउन्टर सिगनेचर के लिये निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के यहां दिसम्बर, १९५९ से लेकर ३० अप्रैल, १९७० तक के पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्या इनको डी० आई० ओ० एस० को देने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिसम्बर ६९ से लेकर ३० अप्रैल, १९७० तक के संस्कृत पाठशालाओं से प्राप्त कोई भी अनुदान बिल निरीक्षक संस्कृत पाठशालाओं के कार्यालय में काउन्टर सिगनेचर के लिये नहीं पड़ा है । अतः उन्हें डी० आई० ओ० एस० को देने के विषय में विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

*२८--श्री मनोहर लाल--

[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*२९--श्री मनोहर लाल--

[१०वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*३०--श्री राम देव--

[१०वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

(श्री हुकुमसिंह परिहार का नाम पुकारने पर)

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेई--

इसको स्थगित करवा दीजिये । यह है नहीं मेरे पास ।

श्री अध्यक्ष--

ऐंसर है मेरे पास । मैं आपको दे दूं । (कुछ रुक कर)

उत्तर वह दे देंगी । एक-आधा प्रश्न पूछ लें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

जिन सरकारी अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को फाइल नहीं दिया, उनको दण्ड दिलवा दीजिये। मंत्री जी खड़ी हैं। उनके पास फाइल ही नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह है नहीं। मुझे अफसोस है। इसको आप स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

स्थगित कराना आप चाहती हैं, तो दूसरे रोज लिया जाय।

*३१--श्री हुक्मसिंह परिहार--

[स्थगित किया गया]

अतारांकित प्रश्न

छाता तहसील में कोटवन ग्राम की वन भूमि

१--श्री तेजपाल (जिला मथुरा)--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील के कोटवन ग्राम की २८५ एकड़ भूमि जब से वन विभाग के नियन्त्रण में आई है उस पर कितना रुपया जंगल की व्यवस्था करने या पेड़ लगाने में ३० अप्रैल, १९७० तक लगा है और इस भूमि में कितने पेड़ लग पाये हैं ?

श्री अजीतप्रताप सिंह--

मथुरा जिले की छाता तहसील के कोटवन ग्राम में १४० एकड़ भूमि वन विभाग के नियंत्रण में है। उसमें जंगल की व्यवस्था करने या पेड़ लगाने में ३०-४-७० तक १८,५०२ रुपया लगा है और उस भूमि में लगभग २५० पेड़ प्रति एकड़ खड़े हैं।

क्रीड़ास्थल अनुदान

२--श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री रामगोपाल संड--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९-७० में क्रीड़ास्थल के लिये प्रदेश में कितने माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

वर्ष १९६९-७० में १८ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को क्रीड़ास्थल अनुदान दिया गया है।

प्रसार अध्यापकों का स्थायीकरण

३--श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना की उपयोजना संख्या ११ में कार्य करने वाले कृषि अध्यापकों को प्रसार अध्यापक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

स्थायीकरण पर विचार किया जा रहा है।

हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

४—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सत्र १९६४–६५ से सत्र १९६९–७० तक हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने में कुछ कितनी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा कितनी धनराशि का वितरण कितने छात्रों को किया जा चुका है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

१—दशम पूर्व कक्षाएं—

अब तक वांछित सूचना २६ जिलों से प्राप्त हुई हैं और संहत रूप में निम्नलिखित है:—

स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	छात्रों की संख्या
रु०	रु०	
१,१९,४६,८९३	१,१७,६२,१६६	१,२९,७०५

शेष जिलों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

२—दशमोत्तर कक्षाएं—

स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	छात्रों की संख्या
रु०	रु०	
७,६२,०१,४८९	७,६१,७०,७७१	१,७५,२८२

नोट:—९ जिलों से केवल १९६९–७० के विषय में सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो एकत्रित की जा रही है।

५—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सत्र १९६९–७० में जो धनराशि हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये स्वीकृत की गई थी काफी संख्या में कुछ जनपदों में छात्रों को नहीं दी जा सकी है ? यदि हां, तो न दी गई धनराशि क्या है तथा कितने छात्र वृत्ति पाने से वंचित रह गये ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

वर्ष १९६९–७० में दशमपूर्व कक्षाओं में २६ जिलों में रु० ३९,७५० का भुगतान नहीं हो सका तथा ३०८ छात्र वंचित रहे। शेष २८ जिलों से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

दाशमोत्तर कक्षाओं में २७ जिलों में ३०,७१८ रु० का भुगतान नहीं किया जा सका तथा १८५ छात्र वंचित रहे। शेष २७ जिलों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

सदन में माइक की खराबी के सम्बन्ध में शिकायत

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जो हार्न इस तरफ लगा है उससे साफ सुनाई नहीं देता है। इस संबंध में लिखित शिकायत भी आपको मैं भेज चुका हूं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । यहां पर ऐसा हार्न लगा दिया जाय जिससे आवाज ठीक से सुनाई पड़ सकें ।

बरेली की पत्रकार गोष्ठी में स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में तथाकथित घोषणा के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

२७ मई, ७० को नत्थी 'ग' प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में स्वायत्त शासन मंत्री ने बतलाया था कि सरकार ने इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं किया है कि चुनाव कब करायेगी किन्तु मेरी जानकारी है कि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने २३ मई को बरेली की पत्रकार गोष्ठी में घोषणा की सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव अक्तूबर अथवा नवम्बर में कराना चाहती है । जो सज्जन वहां मौजूद थे उनसे मेरी २४ मई को वार्ता हुई । इससे प्रगट होता है कि मंत्रिमंडल में नीति संबंधी प्रश्नों में आपस में मतभेद है या फिर स्वायत्त शासन मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है । मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि जहां तक मुझे स्मरण है जैसा सम्मानित सदस्य बदायूं ने कहा मैंने किसी पत्रकार गोष्ठी, बरेली में भाग नहीं लिया और न ही कोई वक्तव्य दिया । अगर कोई इस प्रकार की बात समाचार-पत्रों में छपी है तो वह सत्य से परे है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मेरे दृष्टिकोण से बात को लें ।

जिला परिषद्, सुल्तानपुर के सम्बन्ध में दिये गये प्रश्नों के उत्तर के बारे में पूछ-ताछ

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

आज आपके प्रश्न विभाग से मुझे एक सूचना मिली है । आपको स्मरण होगा कि ११-३-७० को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १-२ के संबंध में शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि जिला परिषद् सुल्तानपुर के संबंध में जो दो रिपोर्ट्स आई थीं उनके संबंध में जांच कराऊंगा। मैंने और प्रश्न किया तो आज मेरे पास प्रश्न विभाग से यह सूचना भेजी गयी कि इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और उत्तर सम्पूर्ण है। यह जो सूचना दी गयी है यह वास्तविकता से परे है । और जहां तक मेरी जानकारी है यह भी कहा गया था कि चूंकि मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं इसलिये और सवाल नहीं पूछे जा सकते ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेंज दें । मैं कार्यवाही देख लूंगा ।

कतिपय समाचार पत्रों को विज्ञापन न देने के विषय के सम्बन्ध में पूछ ताछ

श्री गोबिन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

एक सूचना चाहिये । कृष्णानन्द राय जी ने समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के संबंध में आपके पास एक सूचना भेजी थी । आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह कहा था कि मैं संबंधित मंत्री से जानकारी प्राप्त कर लूं तो आज मैंने उनको बुलाया है अपने कक्ष में और वहां मैं उनसे जानकारी कर लूंगा । शाम को यह लिया जायगा तो साढ़े ३ बजे सूचना प्राप्त करने के बाद फैसला कर लूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

कौंसिल में यह प्रश्न आया था । वहां माननीय गेंदा सिंह ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया था कि टाइम्स आफ इंडिया तथा नवभारत टाइम्स के विज्ञापन रोक दिये गये हैं मुख्य मंत्री जी के मौखिक आदेश के अनुसार । लिहाजा उन से कक्ष में न पूंछ कर हाउस में ही पूछ लिया जाय कि ऐसा आदेश उन्होंने दिया है या नहीं कि जो समाचार-पत्र उनकी आलोचना करेंगे उनके विज्ञापन बन्द कर दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलाया है । अब आप सदन का समय न लें ।

श्री जगदीश गांधी व कुंवर तेजभान सिंह द्वारा भारतीय क्रांतिदल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मैं सदन को सूचनायें देता हूं । वह इस प्रकार है कि श्री जगदीश गांधी और कुंवर तेजभान सिंह ने लिखकर भेजा है कि उन्होंने बी० के० डी० ज्वाइन कर ली है । इसके बारे में भी सूचना मिली है कि उनकी सदस्यता स्वीकार कर ली गई है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ऐसे सदस्य जो तीन-तीन बार दल बदलते हैं उनके सम्बन्ध में आपकी चेयर से कोई घोषणा होनी चाहिये । पता नहीं वे कल क्या कर लें । मैं इसके बारे में आप से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

जिन सदस्य के बारे में मैंने कहा वे स्वतंत्र थे, अब एक पार्टी से बंध गये हैं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, आप यह जो घोषणा करते हैं कि फलां सदस्य एक दल से दूसरे दल में चले गये हैं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें कम से कम ४८ घन्टे का समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

हमने यही नियम बना रखा है । दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी के वे सदस्य हों उस पार्टी में पहले वे नोटिस दें और उसके साथ ही साथ जिस पार्टी में वे जाना चाहते हैं उस पार्टी की स्वीकृति भी हमारे सामने दी जाय कि फलां सदस्य हमारे यहां आ गये हैं । तभी मैं उसकी घोषणा करता हूं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा) ---

मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दल-बदल की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या यह उचित नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दूसरे दल में चला भी जाय तो उसकी घोषणा आपके द्वारा न हो । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रश्रय मिलता है । अगर वह चला भी जाता है और उसे आप रिकग्नाइज करते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रश्रय न देने के लिए आप यहां पर घोषणा न करें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कहना चाहता हूं कि प्रिसाइडिंग आफीसर्स कान्फ्रेंस में जो निर्णय हुआ था उसी के अनुसार मैंने उसमें समय की सीमा रखी । दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी में वे जाते हैं (इन दोनों

में एक व्यक्ति तो किसी पार्टी में नहीं थे) वह उसकी सदस्यता स्वीकार करे। यह प्रिसाडिंग आफीसर्स काफ्रेन्स की सिफारिश थी और उसी सिफारिश के अनुसार मैंने स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

अब आप लोग इसके ऊपर न बोलें। अब आगे के प्रश्न लिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक समय में केवल एक आदमी को बोलने की आप इजाजत दें। सभी लोग एक साथ बोलने लगते हैं। हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। इससे सदन का समय व्यर्थ जाता है.....

(व्यवधान)--(अनेक सदस्यों का एक साथ बोलना)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठ जाइये। केवल एक सदस्य खड़े रहें।

श्री अनन्तराम जायवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जैसे कोई कन्फेसिंग अक्यूज्ड होता है और जब वह पुलिस कस्टेडी में मजिस्ट्रेट के सामने जाता है तो उसको कम से कम २४ घंटे का समय बयान लिखने के पूर्व दिया जाता है। उसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जाती है कि वह एकान्त में रहे ताकि आजादी से सोच-विचार सके। तो आपने जो यह व्यवस्था की है कि दलबदलू सदस्य के दल-बदल की घोषणा ४८ घंटे का समय दिया है, बीत जाने के बाद दी जाय, वह तो इसी आधार पर की होगी लेकिन क्या आपने श्री गांधी को एकान्त में रहकर सोचने-विचारने का अवसर दिया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

सोच-विचार के लिए ही तो वह समय होता है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस दिन से एम०एल० ए० चुना गया था, उस दिन से मैं निर्दलीय रहा था और माननीय गुप्ता जी की सरकार का विरोध करता रहा। वैसे मेरे उनसे संबंध बुरे नहीं थे। मैं उनमें भी श्रद्धा करता हूं और उनको भी अच्छा मानता हूं। (शोर) मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थीं। (शोर) लेकिन मैंने देखा कि बी०के० डी० ने इन तीन महीनों में प्रदेश में बहुत अच्छे-अच्छे काम किये हैं। प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दिया है, बजट में भी बहुत-सी अच्छी बातें रखी गयीं हैं। इसलिये मेरे क्षेत्र की जनता चाहती थी कि मैं बी०के० डी० में शामिल हो जाऊं। प्रदेश को अच्छा शासन देने की वजह से मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने आदेश दिया कि मैं बी० के० डी० में शामिल हो जाऊं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय गांधी जी का जो यह भाषण हुआ, वह किन नियमों के अनुसार हुआ है? आपने उनको किन नियमों के अनुसार बोलने की आज्ञा दी है?

श्री अध्यक्ष--

ये और जो लोग बोले वे किन नियमों के अनुसार बोले। लोग व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं और उस सिलसिले में दलबदलू आदि की बात कही गयी। अगर मैंने उनको स्पष्टीकरण करने का मौका दे दिया तो क्या बात हुई?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, भारतीय क्रांति दल के श्री मोतीलाल को पार्लियामेंटरी बोर्ड का मेंबर बना लिया है। अब वे टिकट बांटेंगे। क्या वे दलबदलू नहीं हैं? (शोर)

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं और सदन के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे प्रत्येक मामले को गुस्से के साथ न लें। क्योंकि जब गुस्सा आ जाता है तो सही तरीके से हम नहीं सोच पाते। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि . . .

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मेरी बात सुन लें आप। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह तय कर लें कि सदन आप चलायेंग या मुख्य मंत्री जी के जो पीछे बैठे हैं १०-१५ लोग, ये चलायेंगे। अगर ये चलायेगें तो ठीक है, हम लोग भी चला लेंगे। अगर आप चलायेंगे तो ठीक है। मैं यह जानना चाहता था कि श्री चतुर्भुज शर्मा किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

वह व्यवस्था पर बोल रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

एक व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया था तो आपने उठाने नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष---

आप बाद में बोल लीजियेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मेरी बात सुने बिना ही कि मैं क्या कहने वाला हूं आप लोग फिर वही करने लगे जो मैंने अर्ज किया था कि बोलने से पहले हमें गुस्सा आ जाता है और फिर हम बोलना शुरू करते हैं। तो यह बड़ा अहम सवाल है। मैं इसी विषय पर कहना चाहता हूं कि जो दल बदल की बात कही जाती है, दल बदल की बात वास्तव में अपने देश में . . .

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि मैं इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप व्यवस्था के बारे म कहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक आदमी जो किसी दल का हो वह अगर दल बदलता है तो दूसरी बात है लेकिन जो स्वतंत्र चुन कर आया है उसका यह अधिकार है कि किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है जिसको वह चाहे। (व्यवधान) तो उसके लिये शोरगुल करना यह अपमान है सदन का और उसका। तो आप इस पर व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

पहले मैं व्यवस्था दूंगा। आप सब लोग कृपा कर के बैठें। यह जो व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने उठाया। मैंने इसके ऊपर व्यवस्था पहले ही दे दी।

एक सदस्य---

यह पर्चा कैसा बंट रहा है। (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

यह चौधरी चरण सिंह का फतवा बंट रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा --

एक ही आदमी को एक समय में बोलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

पहले मैं व्यवस्था दे दूं । जो व्यवस्था का प्रश्न पूछा है उसका फैसला दे दूं उसके बाद आप लोग अपना यह सवाल उठाइये। जो निर्दलीय हैं उनके बारे में ऐसा नहीं करना चाहिये यह तो मैं पहले ही कह चुका था । मैं व्यवस्था दे चुका था उसके बाद आपने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया जिसका मैं फैसला दे चुका हूं। मैंने शुरू में ही यह कह दिया था कि निर्दलीय के लिये हम लोगों को कोई मजाक वगैरह नहीं करना चाहिये और अगर करते हैं तो किसी रूल के हिसाब से नहीं करते हैं । इसलिये हमने उनको मौका दिया कि वह अपना स्पष्टीकरण दें और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया ।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है बड़ा गम्भीर । माननीय जगदीश गांधी ने माननीय मुख्य मंत्री और माननीय धर्म सिंह जी के खिलाफ एक पुस्तिका छपवाई । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरी बात है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गान्धी--

यह झूठ है, यह मैंने नहीं छापी ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पाण्डेय--

पहले मेरी बातों को सुन लें, फिर कहें कि यह व्यवस्था है कि नहीं है । व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है कि जगदीश गान्धी ने "चेयर सिंह उर्फ चरण सिंह" नाम की पुस्तिका छपाई और धर्म सिंह के विरुद्ध २५ हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, तब भी क्या मुख्य मंत्री जी उनकी बातों को सही मानकर अपने दल में शामिल कर रहे हैं ? या उनकी बातें अगर गलत हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे कि एक सदन के नेता और मुख्य मंत्री के खिलाफ जगदीश गान्धी ने पुस्तिका छापी थी वह गलत थी या मुख्यमंत्री जी गलत थे जो ऐसे गलत आदमी को स्वीकार करते हैं ? आप भी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें । मेरी व्यवस्था यह है कि आपने सवाल उठाया कि उन्होंने छापी या नहीं छापी, लेकिन यह प्रश्न आप मुख्य मंत्री जी से पूछ रहे हैं और व्यवस्था मुझसे चाह रहे हैं। यह गलत बात है । मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, केवल एक छींटाकशी है । मैं इसको "अव्यवस्था का प्रश्न" समझता हूं । (व्यवधान)

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जब माननीय चतुर्भुज शर्मा बोल रहे थे उसी वक्त एक भारतीय क्रांति दल के सदस्य, मेरठ के, पर्चा बांटते हुए इसी हाउस में दिखाई दिये । आपने भी स्वयं देखा होगा । मैं समझता हूं कि यह अवमान का सवाल है, इसको आप नोटिस में ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

अगर वह पर्चा बांट रहे थे तो पर्चा बांटना कोई उचित नहीं है । दूसरी चीज यह है कि अगर वह सचेतक हैं तो हो सकता है कि वह दे रहे हों डायरेक्शन किसी को । अगर नहीं हैं तो फिर पर्चा बांटन से पहले उनको बतलाना चाहिये था । अगर सचेतक हैं तो वह धीरे से अपन लोगों को चुप-चाप दे सकते हैं कि इसके ऊपर यह हमारा आदेश है । यह होता है सब पार्टियों में । मैंने अपना फैसला दे दिया । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके ऐसी चीज दोहरायें नहीं ।

श्री महीलाल---
वह व्हिप बांट रहे थे मेरी तरफ से.....

श्री अध्यक्ष---
आप को बोलने की जरूरत नहीं थी ।

अफसरों द्वारा मंत्रियों को गलत सूचना देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---
विशेषाधिकार के तीन आये हैं । तीनों का सम्बन्ध प्रश्नोत्तरों से है । प्रश्नोत्तरों के बारे में यह कारण है:---

"सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा । यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे ।"

तो जो यह प्रश्नोत्तरों के संबंध में है उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ नहीं सकता । क्योंकि मंत्री ही, जिम्मेदार, जानबूझ कर गलतबयानी का नहीं होता । जो बात विभाग से आती है उसकी सूचना देते हैं । तो अगर उनको बता देंगे कि यह गलत है तो मंत्री का कर्त्तव्य है, मैं उसे उनको भेज दूंगा कि वह उचित कार्यवाही उसके अनुसार करेंगे और आपको सूचना देंगे ।

आज एक आइटम इसमें मौजूद है जिसमें जवाब दिया है इस प्रकार का । आपके पास एक पर्चा है जो उस तरफ से बंटा है । कृपा करके उसे मुझे दे देंगे तो उसको मैं मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा ताकि वे उसकी इनक्वायरी करा लेंगे । वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो सूचना दी है वह इसके विरुद्ध पड़ता है । आपका पर्चा मैं मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा कि उसकी जांच विशेषकर करें और उसकी सूचना सदन को दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---
श्रीमन्, यह सही है कि जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं वे प्रश्नों के उत्तर अपने अधिकारियों की सूचना पर ही देते हैं। एक परम्परा-सी दिन प्रति दिन बनती जा रही है कि गलत सूचना यहां भेज दी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । इसलिये यह पर्चा मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के पास देता हूं । अगर वह सही है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय जिसने गलत सूचना दी हो । एक तरफ तो कहा जाता है कि कोआपरेटिव बैंक में एकाउन्ट रखा गया, फिर कहा जाता है कि नहीं रखा गया, तो माननीय मंत्री जी इसका आश्वासन दें कि जिले से जो सूचना आयी है वह सही है या कौन बात सही है और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य होगी ।

श्री अध्यक्ष---
अब इसके लिये वे क्या आश्वासन दें ?

दारुलशफा में चोरी की घटनायें बढ़ने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---
श्रीमन्, ला ऐंड आर्डर से संबंधित एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ दिन पहले हमारे सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि दारुलशफा में चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं । माननीय पारसनाथ सिंह के यहां एक लड़का उनसे कमरे में मिलने के लिए आया और अपनी मोटर साइकिल बुलट जो ६ हजार रुपये की है, उनके दरवाजे पर खड़ी कर आया । इसी बीच मालूम हुआ कि वह गाड़ी चोरी चली गयी और उसके लिए उनके पिता पागल की तरह

से रात-दिन परेशान हैं लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उसका पता नहीं लगाया जा सका। जब से यह सरकार आयी है तब से दारुलशफा में चोरी की घटनायें अधिक होने लगी हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो घटना हुई है, कृपा कर उसे मेरे पास लिख कर भेज दें, फिर मैं उसके ऊपर विचार करूंगा कि क्या कार्यवाही की जाय।

कार्यसूची के अतिरिक्त कार्य लेने के सम्बन्ध में आपत्ति

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यसूची में जो कार्य अंकित न हो, उस पर भी आप कार्य करने की प्रथा डाल देंगे तो मैं समझता हूं कि उसका कोई अन्त नहीं होगा। अगर सब के साथ एक-सा व्यवहार करना चाहते हैं तो हर दल के ऐसे ५-५ या ६-६ सदस्यों के नये काय आ जायेंगे तो कार्य चलाना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये म आपसे निवेदन करता हूं कि कार्यसूची के अतिरिक्त कोई नया कार्य न लिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, कई दिन से मैं श्री शिवराज सिंह का यह रोल देख रहा हूं जो हमारी बरदाश्त के बाहर होता जा रहा है। मान्यवर, क्या वे यहां के रखवाले हैं, क्या हैं वे ? रखवाले तो आप हैं। तो सवाल पैदा होता है कि .....

श्री अध्यक्ष—

वे मुझ से ही कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं श्रीमन् से कहना चाहता हूं कि कई मर्तबा व इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं और इसी चीज को वे कई मर्तबा कह चुके हैं। मान लीजिये, किसी की मोटर साइकिल दारुलशफा से चोरी चली जाती है और एक माननीय सदस्य के पिता उससे परेशानी में हैं, जिसके लिये माननीय सदस्य आप से कहते हैं तो उसको रोकने वाले ये कौन हैं ?

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर आपका निर्णय होगा।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आपने किसी को अपना नेता बनाया, आपके उपनेता इस संबंध में बोल चुके, उसके बाद आप जरूर बोलेंगे, यह बात गलत है। वे बोल चुके हैं। (हंसी)

इस पर हंसना भी गलत है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या यहां कोई नौटंकी हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवराज सिंह ने नियम के अनुसार जो काम करने की बात कही वह सही है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हो जाता है तो बीच में व्यवस्था को कायम रखने के लिए मैं दूसरों को सुन भी सकता हूं नियम के अनुसार। बीच में जब कोई नया सवाल उठ जाता है तो मैं इजाजत दे देता हूं कि अपने मन की बात निकाल दें ताकि शोर न हो। केवल शोर को बचाने के लिए ही मैं यह व्यवस्था करता हूं। वरना शोर ही शोर होता रहेगा। शोर को बचाने के लिए मैं उनके दिल के अरमान निकल जाने देता हूं।

मद संख्या ५ के बारे में यह हम लोगों ने तय .....

(व्यवधान)

श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने तय किया है कि यह प्रस्ताव पहली तारीख को लिया जायेगा और उस पर विचार होगा । उस समय तक शांति कायम रखेंगे तो मैं सबको हृदय से बधाई दूंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे निवेदन करना है । कल आपने हाउस को एडजर्न करने के बाद मीटिंग बुलाई थी और उसमें नेता सदन, वित्त मंत्री जी और आप मौजूद थे । कल यह तय हुआ था कि यह प्रस्ताव आज आयेगा और उस पर चर्चा होगी । तो जब कल तय हो गया तो उसको वापस लेने की क्या बात है? प्रस्तावक महोदय मौजूद हैं, उसके पेश होने से पहले आपने घोषणा क्यों कर दी कि आज यह पेश नहीं होगा ?

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आपके पास भेजा था उस पर आचार्य जी के, हमारे और दूसरे सदस्यों के दस्तखत भी थे । अगर कोई नहीं होगा तो उसे हम पेश करेंगे । आप कृपया इस प्रस्ताव को पेश होने दें ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि जब हम किन्हीं पार्टियों के नेताओं को बुलाते हैं तभी विचार हो सकता है। यह उन्हीं के विचार से जब सदन दो रोज बाद बैठेगा पहली तारीख को लिया जायेगा । यह सदन के हित में है । इसलिये इसको मैंने पोस्टपोन कर दिया । अब आज इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल---

श्रीमन्, यह पहली तारीख को क्यों रखा जा रहा है ? मैं इस प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं, यह सदन की भावनाओं के खिलाफ किया है । आपने कल हमें आश्वासन दिया था कि यह आज सदन में जरूर आयेगा । यह सदन की मर्यादा के खिलाफ किया है । इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रामचन्द्र विकल सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत दे दें । अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जो शोर व गुल रहता है उसका सब से बड़ा कारण यह है कि आपकी आवाज माइक की खराबी की वजह से साफ नहीं सुनाई देती है । जब कभी माईक से मुंह हट जाता है तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। मैं समझता हूं कि इस शोर व गुल का यह सब से बड़ा कारण है। तो कृपया माइक को ठीक कराने का आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष---

जिस वक्त आपको सुनाई न दे तो उस वक्त आप कह दीजिये कि सुनाई नहीं देता है तो मैं अपनी आवाज को उसके साथ मिला कर ऊंची कर लिया करूंगा ।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४८,५९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, डाइरेक्टर ट्रेनिंग ऐंड इम्प्लायमेंट के अधीन जो सेवायें हैं उनमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी योजनाओं में काफी प्रगति हुई है। हमारा विकास क्रमिक बहुत अच्छा रहा है। इतना ही नहीं जो औद्योगिक इकाइयां हैं वह जो हमारे नौजवान प्रशिक्षित नहीं थे उनको प्रशिक्षित करके किसी सेवा के योग्य बना हैं ।

श्रीमन्, और सूबे के आंकड़े को देखेंगे तो यह सही है कि हमें जितनी उन्नति करनी चाहिये उतनी उन्नति हम नहीं कर पाये और इसका कारण हमारे सूबे का बहुत बड़ा होना है जिसके कारण हमारी अपनी व्यावहारिक कठिनाइयां रही हैं फिर भी हमारी प्रगति और सूबों के मुकाबिले में अच्छी रही है। हमने धीरे-धीरे करके अपने सेवा योजन कार्यालय की संख्या ७६ कर ली है और अब तक हम लोगों ने ५०,००० लोगों को काम पर लगाया है। जिन लोगों ने अपने काम का ब्योरा दिया है उनमें औरतें भी हैं और १८ वर्ष के ऊपर के बच्चे भी हैं । हमने इस प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर पहुंचाने का प्रयास किया है। श्रीमन्, यह बहुत लम्बा चौड़ा विभाग है और इसमें सैकड़ों प्रतिष्ठान हैं । इस कारण यह सही है कि कहीं-कहीं गड़बड़ी भी हो जाती है और उनको हम दूर करने के लिए बराबर कोशिश करते हैं । हमने अपंग और विकलांगों के लिए भी कोशिश की है कि वह भी समाज के लिए उपयोगी बन सकें । श्रीमन्, सारे सदस्यों को सुनने के बाद विस्तार में मैं बाद में कहूंगा लेकिन श्रीमान् से मैं बता देना चाहूंगा कि इस डिपार्टमेंट ने जो सेवा की है वह सचमुच ही सराहनीय है और हमारी जो मांग है वह उचित है और उसको जरूर पारित किया जाय ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ३८ में समस्त अनुदान की मांग की धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले अपना प्रदेश कृषि प्रधान था लेकिन धीरे-धीरे अब हमारा प्रदेश उद्योगों की तरफ दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसके फलस्वरूप श्रम विभाग का दायित्व भी बढ़ गया है क्योंकि चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें श्रमिकवर्ग ही काम करता है। विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो सभी जगह श्रमिक काम करते हैं । लाखों की तादाद में यह श्रमिक काम करते हैं और उनकी अलग अलग समस्यायें हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि सरकार इन श्रमिकों इन कर्मचारियों को आज ही नहीं हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। सरकार के कर्मचारी एक तरफ हैं दूसरी तरफ बोर्ड बनते जा रहे हैं । हाइडिल बोर्ड आया है, टेक्स्टाइल बोर्ड सरकार अलग बनाने जा रही है और रोडवेज के बोर्ड की मांग भी चल रही है लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन बोर्डों के बना देने से सरकार अपने उत्तरदायित्व से अलग नहीं हो सकती है।

चाहे वह श्रमिक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो अथवा पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हो, उन श्रमिकों के संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार पर है और वह उससे बरी नहीं हो सकता है। आज जो समाज कल्याण का युग है उसमें जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, चाहे कर्ज से अथवा अनुदान से, किसी भी आधार पर परन्तु जब सरकार उनको सहायता देती है उसका तो है ही परन्तु श्रमिकों के लिए यह बात कही जाती है कि वह तो फलां फलां व्यक्ति की है और

[श्री मलिखान सिंह]

हम उसकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं । मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं और श्रम मंत्री जी इसको बताने की कृपा करें कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री में एक द्वितीय वेतन बोर्ड लागू करने का मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और क्या कारण है कि वह तो सरकार की फैक्ट्री है और उसमें अभी तक वह द्वितीय वेतन बोर्ड क्यों नहीं कायम हुआ ? जब कि आपने क्वार्टर्स का किराया बढ़ाया है और सरकारी कर्मचारी ही वहां पर रहते हैं और उनका किराया उस समय से बढ़ाया गया जब से वह कर्मचारी उसमें रहता आया है। किराया उस समय से बढ़ाया जाना चाहिये जब से आदेश हुये परन्तु यह नहीं किया गया । इस प्रकार से सरकारी जो फैक्टरी है वहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है ।

बोनस भी उस समय से दिया गया जब से इसके नियम बने हैं और उस समय से नहीं दिया गया है जब से कर्मचारी वहां पर काम कर रहा है, जब से वह सर्विस में आया है। उसी समय से उसको बोनस मिलना चाहिये । सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रही है। इसी प्रकार से परिवहन विभाग है। हजारों की तादाद में वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं । वहां पर आज तक सेवायोजन के कोई नियम लागू नहीं किये गये हैं जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी समस्याओं को रख सकें । इस प्रकार से टाला जा रहा है। परिवहन विभाग के कर्मचारी चाहे वे चतुर्थ श्रेणी के हों अथवा क्लार्क्स हों उनको यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि हम बोर्ड बना रहे हैं और उसके बाद आप बोनस के अधिकारी होंगे । परिवहन विभाग सरकार को रेवेन्यू देता है। उसको हम केवल सरकारी विभाग कह कर टाल रहे हैं । इसी प्रकार से बिजली विभाग भी है जो आपको रेवेन्यू देता है और उनसे सरकार की आमदनी होती है और इनको बोनस मिलना चाहिये जिस प्रकार से प्राइवेट संस्थान देते हैं । अगर उनको ओवरटाइम एलाउन्स मिलेगा, बोनस मिलेगा तभी वे विभाग उन्नति कर सकते हैं और इनसे सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा । परिवहन विभाग में सरकार इस प्रकार से सेवायोजन के नियम बनाने में असमर्थ रही है।

(इस समय १२ बजकर ४२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे मुख्य मंत्री जी जब यहां पर बैठते हैं तो उनके सिर पर सारे प्रदेश का भार होने के कारण उनका सिर झुका ही रहता है और वे अपने साथ ४,६ फाइलें लाते हैं उसी में वह व्यस्त रहते हैं परन्तु श्रीमन्, हमारे जो सिंचाई मंत्री जी हैं वे जब सदन में आते हैं तो मुख्य मंत्री जी के पास ६ फाइल होंगी तो इनके पास ३६ होंगी । पता नहीं मुख्य मंत्री जी से इनका कम्पटीशन हो गया है या प्रदर्शन करना चाहते हैं । कम से कम वह तो हमारी बात सुना करें । मुख्य मंत्री जी के ऊपर तो सारे प्रदेश का भार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सदन का ही कार्य करना चाहिए और करते होंगे । मैं अध्यक्ष हूं, पुलिसमैन नहीं हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमान्, अध्यापक जरूर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो छोड़ चुका । सन ५४ में था ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

फाइल तो बहुत लोग देखा करते हैं, श्रीमान् । लेकिन यहां पर एक निर्णय हो चुका है कि जो विषय सदन के सामने है उससे सम्बन्धित फाइल है तो उसे देखना उचित है और जनरल फाइल है तो नहीं देखना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यही अनुमान लगाता हूं कि यहां जो कोई भी फाइल देखी जाती है, आप जिस निर्णय का उल्लेख कर रहे है, उसके अनुरूप ही वह है ।

श्री मलिखान सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि परिवहन विभाग में मैं चाहूंगा कि वहां के कर्मचारियों के जो सेवायोजन के रूल है उन्हें स्थायी रूप से कार्य रूप में परिणत किया जाय ।

श्रीमान्, एक डल्ला फैक्टरी है सीमेन्ट की । उसमें अन्धाधुन्ध छटनी होती है । वह फैक्टरी पिछड़े हुए क्षेत्र में है । सरकार को इस बात को गम्भीरता के साथ देखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को हमने इस जमीन से उजाड़ा, बहुत कम कम्पेन्शेसन देकर हटाया, वे व्यक्ति जो नौकरी में हैं उनको तीन महीने और छः महीने बाद छंटनी कर दिया जाता है । यह कहां का न्याय है ? वह बहुत पिछड़े हुए और गरीब लोग हैं । कहीं अपनी आवाज भी नही पहुंचा सकते हैं । पढ़े लिखे नहीं हैं । प्राइवेट फैक्टरी वाले ऐसा करें तो और बात है लेकिन कम से कम सरकारी फैक्टरी में तो इस तरह से मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए ।

इसी तरह से चीनी उद्योग जिसकी महीनों से सदन में चर्चा चल रही है कि इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । इसका एक ही कारण है—चीनी मिल वाले किसान से गन्ना सही रूप से नहीं लेते थे, फैक्टरी को मनमाने रूप से चलाते थे और कर्मचारियों की छंटनी करते थे । आज स्थिति बदल गयी है । वहां हमारे रिसीवर हो गये हैं । मेरी समझ में सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि जो वहां ३ परसेन्ट बोनस दिया जाता है वह अब पूरी आमदनी पर दिया जाएगा और उद्योगपति जो उसमें चालाकी करते थे छूट की, शूगर वगैरह की, वह बन्द की जाएगी । तब हम यह समझेंगे कि वास्तव में विभाग मजदूरों के हित में चल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, वह सोचेंगे तो निश्चय ही आज नहीं तो बाद में, लेकिन इनका परिवर्तन होगा और उस समय लोग कहेंगे कि समय पर इन्होंने घोषणा नहीं की । तो मैं यह चाहूंगा कि शूगर मिलों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी छंटनी न हो और उनको बोनस पूरी आमदनी पर मिले, जो तीन प्रतिशत देकर उनको टाल दिया जाता है यह नहीं होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यहां पर नारायण दत्त जी तिवारी नहीं हैं । उन्होंने कर्मचारियों के बीच में, जब वह श्रम मंत्री थे, यह बात कही थी और यह स्वीकार किया था कि दूसरा वेज बोर्ड लागू किया जायगा । आज वह इस समय यहां पर नहीं ह । सरकार की ओर से इस तरह की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए । किसी भी मंत्री का आश्वासन इस तरह का होना चाहिये जो पूरा किया जाय । वही आश्वासन उनको देना चाहिये जो पूरा किया जा सके । यदि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आजाय तो दूसरी बात है लेकिन यदि मंत्री कोई इस तरह का आश्वासन देता है और वह पूरा नहीं होता है तो इससे सरकार के प्रति लोगों की भावना अच्छी नहीं रहती है और आस्था हटती है । मंत्रियों के आश्वासनों को भी ऐसे ही माना जायगा जैसे कि नेता लोग प्लेट फार्म से कोई भाषण देते हैं । इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी । मन्त्रियों को आश्वासन सोच समझकर देना चाहिये और जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय करके देना चाहिय कि हम यह कर सकत हैं या नहीं । सरकार से आस्था हटती है तो आने वाली पीढ़ियां-यह कहगी कि यह सरकार किसी तरह से भी अपने विचारों के अनुरूप नहीं कर सकती थी और दूसरे के विचार से करती थी । सरकार ने सूती मिलों में उस दूसरे वज बोर्ड को क्यों नहीं लागू किया ?

[श्री बलिराम सिंह]

मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वह सूती मिल रायबरेली में खोल रही है लेकिन इसके साथ मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि जो मिलें बन्द पड़ी हुई हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय। विक्टोरिया मिल बन्द है और दूसरी हाथरस की वीविंग मिल बन्द है। ये मिलें क्यों बन्द हैं, सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। सरकार नई मिल खोल रही है लकिन पुरानी मिलों की तरफ ध्यान नहीं है। नयी मिल के लिये उनको बधाई देता हूं लेकिन यह भी विचार करना चाहिये कि ये दो मिलें क्यों बन्द पड़ी हैं। यह प्रदेश की मिल हैं और इनकी व्यवस्था करना जरूरी है। आप उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और नयी मिल खोलने जा रहे हैं जिसके लिये बहुत रुपया खर्च किया जायगा। सरकार अपने ढंग पर सोचती चली जाती है और कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ कर रही है जिससे रुपया अपव्यय हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय में अपनी स्पष्ट नीति बनाये। कम से कम जो छटनीशुदा मजदूर हैं उनको तो राहत मिलनी चाहिये ताकि अपने प्रदेश का उद्योग पनपे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो फैक्टरी के मालिक हैं वे केवल इस बात पर मजदूरों को निकाल देते हैं कि वे अपनी मांग उनके सामने रखते हैं। मोदी मिल से ७ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जो निकाले हुये ७ कर्मचारी थे उन्होंने भूख-हड़ताल की और उनकी हड़ताल २२ दिन तक जारी रही। सरकार ने उस सम्बन्ध में अपना आश्वासन दिया लेकिन उस आश्वासन के बाद भी आज तक उनकी समस्या हल नहीं हुई है। यही दशा दूसरी जगह की भी है। सैनिक स्कूल के प्रिन्सिपल ने केवल इस बात पर १२ कर्मचारियों को निकाल दिया कि उन्होंने अखबार में यह पढ़ लिया था कि वे यूनियन बना रहे हैं। उन्होंने यूनियन के नाम से घबराकर ऐसा कर दिया। चाहे पब्लिक सेक्टर हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो यह परम्परा शोषण करने की सब जगह चल रही है। जैसा पहले जमींदार करते थे कि जरा भी मर्जी के खिलाफ हुआ या यूनियन बनाने का नाम सुना तो वह खौफ से डर जाते थे और उनको बरखास्त कर देते थे। वही आजकल स्थिति पैदा होगई है। यह प्रवृत्ति इन पूंजीपतियों के दिमाग से निकालना चाहिये।

एक समझौता समिति बनी हुई है। उसको मिल मालिक और मजदूरों के बीच में समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिये। वह समझौते वाला मामला भी यहां तक हो गया है कि सरकार ने सारे अधिकार अपने ही पास रख लिये हैं जबकि नियमतः जिन मामलों में समझौता नहीं हो सकता उन को सीधे न्यायालय फैसले के लिये भेजना चाहिये लकिन सरकार और उस के अधिकारी मिलमालिकों के दबाव पर केसेज को डम्प कर देते हैं, सैकड़ों केसेज हैं जो तय नहीं हुये हैं। उन को सीधे कोर्ट से तय कराना चाहिये और ओपिन ट्रायल उन का हो, मजदूरों की गलती है तो वह भुगतें और अगर मिलमालिकों की गलती है तो वह उन का वेतन दें और वह उसका पालन करें जो कोर्ट का आदेश हो। लेकिन यह सरकार सारे हथियार अपने हाथ में रखे हुये है और यह मिलमालिकों को अपने कब्जे में रखने का तरीका है। जितने भी समझौता कमेटी के केस हैं वे सब सरकार द्वारा लेबर कोर्ट में भेजे जाने चाहिये क्योंकि वहीं उनका फैसला और सच्चा न्याय हो सकता है, वर्ना सरकार बराबर बदनाम होती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार के विभागों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बिजली विभाग में ५० हजार के ऊपर कर्मचारी हैं जिनके बारे में आजतक किसी प्रकार के कोई सर्विस रूल्स नहीं बने हैं और हजारों की तादाद में कर्मचारी अस्थायी पड़े हुये है और उन के ऊपर बराबर टर्मिनेशन का डंडा लटकता रहता है। इस तरह से कैसे वह अपने कार्य में रुचि ले सकते हैं? मिलमालिकों के लिये तो सरकार कहती है कि मिलमालिक नहीं करते और हम समझौता करा रहे हैं लेकिन बिजली बोर्ड को तो सरकार सीधे पैसा देती है और एक तरह से सरकार ही उसकी फाइनेंशियर है तो वह उन से इस विषय में कह सकती है और दबाव डाल सकती है। जबतक उनके रूल्स ठीक से नहीं बनेंगे तबतक के लिये वह कह सकती है कि हम पैसा आगे को नहीं

देंगे । वह कह सकते हैं कि हम कर्मचारियों के विषय में आप की कोई बात नहीं सुनेंगे जबतक कि आप उनको आवश्यक सुविधायें नहीं देंगे । जब तक कर्मचारियों को स्थायी नहीं करेंगे उनके सर्विस रूल्स नहीं बनायेंगे. सरकार पैसा नहीं देगी, इस तरह की चीज वह कर सकते हैं ।

मैं चाहता हूं कि उनके लिये एक कमीशन का निर्माण किया जाय । हाइडल वालों केसाथ भी न्याय नहीं हो रहा है । वही क्या प्रदेश के सारे कर्मचारियों के विषय में माननीय गुप्ता जी ने एक वेतन आयोग बनाने की बात की थी लेकिन इस सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया। जबतक कि आप उस को बनाने की पुनः घोषणा नहीं करते तबतक सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बना रहेगा। हाइडल विभाग की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि उन की समस्याओं पर मंत्री जी विचार करें और कैबिनेट में इस विषय को रखें क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है, वहां के कितने हजार सुर्कचार्ज कर्मचारी हैं जो परेशान हैं और विभाग उन की बेकारी का लाभ उठा रहा है । बेकारी की समस्या के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा लेकिन बेकारी का लाभ सरकार को इस तरह से नहीं उठाना चाहिये । आज एक डिप्लोमा होल्डर से कहा जाता है कि तुम लाइन की फिटिंग का काम करो तो तुमको १५० रुपया माहवार देंगे । आज तो इतना पैसा एक मिस्त्री लेता है । जितना गरीब लोगों के बेकारी का लाभ मिलमालिक उठाते हैं उस से ज्यादा लाभ यह विभाग उठा रहा है जिस का कि सीधे सरकार से सम्बन्ध है । यह सरकार जो कहती है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करेंगे उस से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में और सरकार के विभागों में स्वयं शोषण की प्रवृत्ति आ रही है ।

आज बड़े बड़े ठेकेदारों और बड़े-बड़े इंजीनियरों और गरीब मजदूरों और कर्मचारियों के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह विषमता जब समता के रूप में आयेगी तभी भला हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे इनका विद्युत् विभाग है उसमें ओबरा में और रिहन्द में काम करने वालों को ये पहाड़ी इलाका होने के कारण इस बात का भत्ता देते हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनके यहां सब मामले अलग-अलग हैं । ओबरा में किसी और नाम से अलग से देते हैं । इन्हीं के सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता है । सारे प्रदेश में इन्होंने असमानता की दीवार खड़ी कर रखी है । ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने शायद इस पर विचार ही नहीं किया है ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई विभाग में सर्विस रूल्स जो हैं, उनको जल्द से जल्द रिवाइज किया जाय और जो विषमताएं आ गयी हैं, उनको दूर किया जाय ताकि जो वहां के मजदूर हैं, उनको संरक्षण हो सके और सिंचाई मंत्री सदन में यह कह सकें कि वे उनका संरक्षण कर रहे हैं । मजदूरों में कोई भेदभाव न रहे तब तो ये प्राइवेट सेक्टर वालों को कह सकते हैं कि ऐसा करो, वर्ना तुम्हारे विरुद्ध यह कार्यवाही की जायगी । सरकार का एक विभाग मलेरिया विभाग है । उसमें १२ हजार कर्मचारी हैं । उनको सेवा करते हुए इतने दिन हो गये हैं लेकिन केवल ८ ही स्थायी हुये हैं, यह है हमारी सरकार की श्रम नीति । यह केवल एक उपहास ही करना है कि १२ हजार कर्मचारियों में से केवल ८ स्थायी किए जायं । इसे हम केवल सरकार की उदासीनता का द्योतक ही कह सकते हैं । यह सरकार कितनी उदार है या अनुदार है, इस बात से साबित हो जाता है ।

इसी तरह से प्रदेश में जितने स्कूल्स हैं, राजकीय, उनमें राज्य कर्मचारियों में ३० हजार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । इस वर्ग में भी जो राज्य कर्मचारी हैं वे सब अलग-अलग हैं चाहे दारुलशफा में काम करने वाले हों, चाहे सिंचाई विभाग में काम करने वाले हों, इस सचिवालय में काम करने वाले हों । मैं समझता हूं कि १० साल से तो मैं देखता आ रहा हूं । इससे पहले भी इनके सर्विस रूल्स नहीं हैं । कम से कम इनके लिए तो कोई सेवा नियम बना दिए जायं लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है । उनका सिर्फ १०० रुपया कर दिया गया । पिछली

[श्री मलिखान सिंह]

बार जब बहुत बार कहा सुना गया तो केवल एक इतवार की छुट्टी दी गयी । मैं चाहूंगा कि जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए एक ही प्रकार के सेवा नियम बनाये जायं जिस तरह से अन्य सरकारी कर्मचारियों के हैं । उनके साथ सौतेले भाई जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । बे बेगार करते हैं, अफसरों के घर पर काम करते हैं, पुलिस और सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में तो मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि इन कर्मचारियों का दुरुपयोग होता है । ये जो सब कमियों हैं, उनको दूर करने में सरकार को क्या कठिनाई है, मेरी समझ में नहीं आता है ।

तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और कम से कम उन गरीबों के साथ जो यहां पर रहते हैं, सौ, सवा सौ या डेढ़ सौ रुपये लेते हैं, किसी तरह का अन्याय न हो, इसपर सरकार ध्यान देगी । उपाध्यक्ष महोदय, एक सिल्क मिल बनारस में है । वे चालाकी करते हैं । उस मिल को वे तीन महीने या चार महीने बाद बन्द कर देते हैं । नियम यह है कि मिल बन्द होने से पहले जो कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फन्ड है वह राजकोष में जमा होना चाहिये, लेकिन वह राजकोष में जमा नहीं होता । इससे कर्मचारियों को नुकसान होता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय पांडे जी, मैं इन्हीं के आश्वासन के बारे में कहता हूं । इन्जीनियरिंग फैक्टरीज में द्वितीय वेज बोर्ड लागू करने के लिये खुद मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन को कम से कम दो महीने और ज्यादा हो गये हैं लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुआ मेरी सूचना के अनुसार । मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके द्वितीय वेज बोर्ड को लागू करें ।

यही नहीं, आगरा में अतुल इन्जीनियरिंग वर्क्स है और महाजन आयरन फैक्टरी है । उन्होंने मजदूरों को तीन-तीन महीने और चार-चार महीने के लिये लिया और नौकर कर लिया और उसी नाम को बदल कर फिर तीन-तीन महीने बाद रख लिया । उस अकेले फैक्टरी वाले ने पांच फैक्टरियां कायम कर दी हैं केवल मजदूरों के पैसे का दुरुपयोग करके । मैं चाहूंगा कि इन मजदूरों के साथ जो फैक्टरियां अन्याय करती हैं उन पर सरकार विचार करे और उन नौकरों को स्थायी करने में शीघ्र कदम उठाये । इसके अलावा एक पेशा कर है जिसको हमने पिछली बार सदन में पास किया है । वह पेशा कर अब ४,२०० रुपये की आमदनी पर कर दिया गया है । मैं उसे पेशा कर नहीं कहता । यह सेवा कर है जो कर्मचारियों पर भी लग रहा है । जो आपके यहां कर्मचारी सेवा करें, जो काम करें उन कर्मचारियों से आप पेशा कर के नाम पर ले लें । पेशा कर तो उसको कहते हैं कि कोई धन्धा कर रहा है, कोई फैक्टरी खोल रहा है, उस पर लगाया जाय । लेकिन यह तो पेशा कर के नाम से सेवा कर है । सरकार कम से कम इस पर विचार करे और लाखों की तादाद में प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उन को मुक्ति दिलाये । चाहे वे राज्य कर्मचारी हों, चाहे वे प्राइवेट फैक्टरी में काम करने वाले हों, पेशा कर हटाकर सेवा कर करें तब तो हम मानते हैं कि वह टैक्स लगे नहीं तो नहीं लगाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय मुद्रणायल एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ में है । राजकीय मुद्रणालय नें यह तय किया है कि हम कूलर लगवायेंगे । यहां पर इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिससे कर्मचारियों को लू न लगे । मैं आपकी सूचना और सदन की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि इस साल न वहां पर कूलर ही लगे और न पंखे लगे और इस वर्ष एक कर्मचारी लू से मर गया । सरकार को इस पर गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये कि जो चीज वह तय करती है उसका पालन अवश्य हो ।

श्री राजमंगल पांडेय—

आप लेबर के लिये कूलर की बात करते हैं, वहां हाउस लक में तो कूलर हैं नहीं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)––

सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

एक और दो के बीच कोरम का प्रश्न नहीं उठाना चाहियें, लेकिन जब उठा दिया गया है, तो माननीय सदस्य कृपया बैठें।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मलिखान सिंह––

माननीय मंत्री जी ने कहा कि लेबर के लिये कूलर की क्या आवश्यकता है। मान्यवर, कूलर की आवश्यकता है या नहीं यह अलग प्रश्न है, मगर जब एक बार आपने तय कर लिया कि कूलर लगना चाहिए तो आपके निर्णय का पालन अवश्य होना चाहिये। मान्यवर, जब कोई कर्मचारी मेडिकल लीव पर २–३ महीने के लिये जाता है तो उसको, भले ही वह शहर में रहे, मगर उसको मकान भत्ता, तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाते हैं। यह चीज गलत है। जब वह मेडिकल लीव पर जाये तो उसको शहरी भत्ता, मकान आदि का भत्ता मिलना चाहिये। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारियों का मामला यह कह कर टाल दिया जाता है कि यह उनका मामला है। मामला चाहे जिला परिषद् के कर्मचारियों का हो, चाहे नगरपालिका का हो, चाहे टाउन एरिया का हो, उनके कर्मचारियों को वही महंगाई-भत्ता मिलना चाहिये जो राज्य कर्मचारियों को मिलता है, और राज्य कर्मचारियों को वही भत्ता मिलना चाहिये जो केन्द्र में मिलता है। जब प्रान्त में मिलता है तो नगरपालिकाओं के कर्मचारी क्यों वंचित रहते हैं। अलग-अलग नगरपालिकाओं का अलग-अलग डी० ए० होता है। उन सब कर्मचारियों को प्रान्त के कर्मचारियों के बराबर डी० ए० क्यों नहीं मिलता है। वह मिलना चाहिए तथा अन्य दूसरी सुविधाएं भी समान रूप से मिलना चाहिए। इस पर मंत्री जी विचार करें और इस पर गम्भीरता से विचार के बाद अपने मंत्रिमंडल में निर्णय लें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी मिलें हैं जो सीजनल चलती हैं, चाहे वे गन्ने की हों या धान की। सभी मिलों में समान नियम लागू होने चाहिए। सीजनल होने के कारण उनके साथ सख्ती नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों आदमी अपने प्रदेश में बेकार घूमते हैं, आपने उनके लिए सेवा योजन कार्यालय खोल रखा है। लेकिन वे अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम नहीं देते हैं। आपने यह समाजवाद का नारा लोगों को गुमराह करने के लिए दिया है। अन्य देशों में यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको रोजी या रोटी देने की सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है और यदि उसे १५ दिन के अन्दर नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उसको खाने के लिए तब तक पैसा देती है जब तक उसको रोजी न मिले। क्योंकि सभी को काम देना, रोजी देना सरकार का उत्तरदायित्व है। लेकिन यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और सेवायोजन कार्यालय दफ्तर के तौर पर चला दिये गये हैं। उस कार्यालयों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बेकार हैं, उन्हें सरकार संरक्षण दे, और जब तक काम नहीं मिलता है तब तक सरकार उसको उतना तो दे कि उससे उसकी रोटी चलती रहे और वह भूखों न मरें। यहां पर बेकारी के सही आंकड़े भी नहीं रखे जाते हैं। सही आंकड़े तभी मिलेंगे। जो बेकार होगा और परेशान होगा वही अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा, कोई शौकिया नहीं करायेगा, इसलिए सभी बेकारों की सही-सही सूचना सरकार को देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका उत्तरदायित्व हो कि उनको रोजी दे और रोजी न दे तो तब तक रोटी दें। यह सिद्धान्त जब तक नहीं होगा तब तक प्रदेश की लेबर समस्या हल होने और उसकी समस्या के सही आंकड़े कभी नहीं आ सकते।

[श्री मलिखान सिंह]

आज जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन फैक्टरी वाले नई-नई जमींदारी बैठा रहे हैं। उनके खर्चे पर भी रोक होनी चाहिए। कोई भी मिलमालिक २० हजार रुपये के ऊपर खर्च न कर सके। यदि खर्च करता है तो उससे हिसाब मांगा जाना चाहिए। उससे ज्यादा कमाता है तो उसे उद्योग में लगायें। आज मिलमालिक भोग-विलास और ऐश्वर्य का जीवन बिता रहे हैं। इस तरह से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है उद्योगपति का काम यह होना चाहिए कि ज्यादा कमाये तो प्रदेश में उद्योगों में लगाये जिससे किसानों और मजदूरों को सुविधा हो।

मैं इन चन्द सुझावों के साथ कटौती के अपने प्रस्ताव को रखता हूं और जो मंत्री जी कहेंगे उसका बाद में जवाब दूंगा। इसको मैं मजबूती के साथ रख कर चाहता हूं कि सदन इसको पास करे।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, जो अनुदान मुख्य मंत्री ने सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे सामने किसी धनराशि का प्रश्न नहीं है, हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम मजदूरों के सम्बन्ध में अपने प्रदेश में किस प्रकार की श्रम नीति को निर्धारित करें उसका संचालन करें। मुझे आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में हमारे सामने आज की बदलती हुई राजनीति के नये परिवेश में कुछ नयी घोषणाएं करेंगे लेकिन उनका भाषण सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं आशा करता था कि वह सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि जब चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा तो मजदूरों को भी प्रबन्ध में हिस्सेदार बनाया जायगा। मैं इस बात की आशा करता था कि आज वह इस सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कि अनेकों वर्षों से इण्डस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्युट्स ऐक्ट में जो परिवर्तन करने की बात चल रही है वह घोषणा करेंगे कि इसमें परिवर्तन किया जायगा और मजदूरों की जो इससे उत्पन्न कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। मैं यह भी आशा करता था कि वह इस बात की सदन में घोषणा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली में लगे हुए कर्मचारियों के वेतन को फिर से रिवाइज करने के लिए सरकार कोई निश्चय करेगी। लेकिन ऐसी घोषणाएं नहीं हुई। इसलिए मुझे निराशा हुई। यह निराशा मुझ तक सीमित नहीं है।

कल समाचार-पत्रों में माननीय मुख्य मंत्री का भाषण छपेगा तो सारे मजदूर जगत में मेरी ही भावना व्यक्त की जायगी। लेकिन इसी समय मैं यह भी आशा करता था कि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमारे श्री मलिखान सिंह जी उन आधारभूत नीतियों की कमियों की ओर भी कुछ ध्यान आकर्षित करेंगे। उनकी ओर ध्यान आकर्षित न करके कुछ व्यक्तिगत मामलों के उदाहरण दिये। इससे मालूम होता है कि जो मजदूर नीति बरती जा रही है उससे वह पूर्ण रीति से सहमत हैं। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि केवल एक व्यक्ति को छोड़कर हमारे यहां भी कोई ऐसा श्रम मंत्री नहीं बनाया गया जिसको मजदूरों की समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का अन्दाज हो। यही कारण है कि आज इस समय भी मजदूरों की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई विचार विनिमय नहीं किया जा रहा है।

हमारे प्रदेश में तीन तरह के उद्योगपति हैं। एक तो वह हैं जो अपने आप पूंजी लगा कर कारखाने चलाते हैं। दूसरे उद्योगपति वह हैं जिसको हम सरकार के रूप में देखते हैं। सरकारी पैसे से सरकार जो कल कारखाने चलाती है वह भी नियोजक की हैसियत से काम करती है। तीसरे वह उद्योगपति हैं जो छोटे-छोटे उद्योगों को चला कर वितरण का कार्य करते हैं। इसी संदर्भ में तीन तरह के कर्मचारी हैं एक वह कर्मचारी हैं जो निजी उद्योगो में लगे हुए हैं। दूसरे वह हैं जो सरकार द्वारा संचालित कारखानों या फैक्टरियों में काम करने वाले हैं। तीसरे वह

कर्मचारी हैं जो छोटे-छोटे उद्योगों में काम करते हैं। सबसे पहले मैं छोटे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १९४७ में तमाम प्रयत्नों के बाद उत्तर प्रदेश में एक कर्मचारी कानून लागू किया गया। १९४७ में यह बात तय की गयी कि दूकानों का बन्द होने का समय रात को ८ बजे रहेगा। २३ वर्षों तक इस पाबन्दी का पालन किया जाता रहा लेकिन विभाग जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री के पास आया, तो उन्होंने अनायास ८ बजेके समय में परिवर्तन कर दिया। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि इन दो तीन वर्षों में न मालूम कितने प्रतिनिधि-मंडल दूकानदारों के श्रममंत्री से, उद्योग मंत्री से मिले थे और उनसे यह प्रार्थना तथा अनुरोध करते रहते थे कि दूकानों के बन्द करने का समय बढ़ा दिया जाय लेकिन उस समय हम लोगों के दबाव से और मजदूरों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से समय में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई लेकिन न जाने क्यों अब दूकानों को बन्द करने का समय ८ बजे के बजाय साढ़े ८ बजे कर दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि जिस समय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे वे इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि ऐसा क्यों किया है।

कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनको सरकार अपने हाथ में लेकर चलाती है। कानपुर की म्योर मिल है। इस मिल के मजदूरों को बोनस देने के लिये पिछले वर्ष मंत्रिपरिषद् ने यह तय किया था कि यहां के मजदूरों को ८ प्रतिशत बोनस दिया जायगा लेकिन अथोराइज्ड कंट्रोलर ने केवल ६ प्रतिशत बोनस दिया और सरकार न तो अपने निर्णय को कार्यान्वित करा रही है और न वह कोई कारण बतला रही है कि ८ प्रतिशत के बजाय ६ प्रतिशत बोनस क्यों दिया जा रहा है।

कुछ कल कारखाने बन्द पड़े हुए हैं। उनको चलाने की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और उसके परिणामस्वरूप हजारों मजदूर बेकारी की हालत में इधर-उधर घूम रहे हैं। कोई सब्जी बेच कर अथवा रिक्शा चला कर अपना जीवनयापन कर रहा है। क्या मैं उनसे आशा करूं कि मजदूरों की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर इस तरह जो कारखाने बन्द पड़े हैं उन्हें चलाने का प्रयास करेंगे। कानपुर में विक्टोरिया मिल का नाम मैं लेना चाहता हूं जो दो वर्ष से बन्द पड़ी है लेकिन उसको चलाने के जितने प्रयत्न किये जाते हैं वे सब असफल हो जाते हैं और उसके चलाने की कोई आशा प्रतीत नहीं होती। मैं आशा करूंगा कि इस मिल को चला कर जो हजारों मजदूर बेकार पड़े हुए हैं उनको काम में लगाया जायगा।

सरकार द्वारा जो कारखाने चलाये जा रहे हैं अथवा सरकार द्वारा जो दूसरे व्यावसायिक विभाग चलाये जा रहे हैं उनमें श्रम कानूनों का पालन किसी तरह से नहीं किया जाता है। जब कोई निजी कारखानेदार श्रम कानून का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और उसको दंडित किया जाता है फिर जिनको सरकार स्वयं चलाती है उनमें जब श्रम कानून का पालन नहीं होता है प्रदेश के निजी कारखानों को चलाने वाले मालिकों को इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि कितना भी अधिक कानूनों का दुरुपयोग किया जाय, सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं आशा करूंगा कि वह भी एक एम्पलायर है और उसको एम्पलायर के रूप में मिल मालिकों के सामने, निजी उद्योगों को चलाने वालों के सामने माडल एम्पलायर के रूप में पेश करना चाहिये जिससे वे उसका अनुकरण कर सकें।

बिजली के उद्योग में लगे हुए जितने कर्मचारी हैं उनका वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार ने घोषणा की थी लेकिन उन सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया। केसा में इस विषय को लेकर हड़ताल हुई जिसके कारण उत्पादन घटा, मजदूरों को भी नुकसान हुआ। जब ऐसे प्रश्न सरकार के सामने आये तो उनको हल करने के लिये एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये जिससे जैसे ही ऐसे प्रश्न पैदा हों उनका निराकरण कर दिया जाय।

जो सरकारी कारखाने हैं उनमें किसी तरह का कोई भी कानून लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने श्रमिक कानून प्रचलित हैं उनका सही-सही पालन होना चाहिये लकिन देखने में

[श्री भगवती सिंह विशारद]

यह आता है कि कोई भी कानून सरकारी कारखानों में लागू नहीं हो पाते और न कोई सरकारी कर्मचारी इस बात की हिम्मत करता है कि उन कानूनों को किसी तरह से वहां पालन करा सके। म्योर मिल के जो अथोराइज्ड कंट्रोलर मिस्टर कपूर हैं वह आई० सी० एस० आफिसर हैं---वह एक ऊंचे पद पर हैं और लेबर कमिश्नर उनसे नीचे का अधिकारी है जब वे यह कोशिश करते हैं कि श्रम कानून का पालन कराया जाय। तो वे अपनी सुपररियोरिटी से उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं। इससे कर्मचारियों और मिल मजदूरों को काफी क्षति उठानी पड़ती है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मान्यवर, परिवहन विभाग में किसी तरह का कोई नियम प्रचलित नहीं है। वहां पर जिस समय भी चाहें किसी आदमी को एक महीने का नोटिस देकर उसे नौकरी से पृथक कर दिया जाता है। यह परम्परा अच्छी नहीं है। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। भविष्य में विभाग का विकास होगा, वह बढ़ेगा तो वहां के कर्मचारियों की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिये भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार ही उनकी नियुक्तियां, पदोन्नतियां और नौकरी से निकाले जाने के सम्बन्ध में कार्य किया जाना चाहिए।

मान्यवर, इसी सदन में यह घोषणा की गई थी कि जितने भी सरकारी कारखाने हैं उनके लिये एक वर्क्स कमेटी बनाई जायेगी किन्तु १-२ कारखानों को छोड़कर किसी भी सरकारी कारखाने की कोई वर्क्स कमेटी नहीं है। यह यदि वर्क्स कमेटी वहां बना दी जाय तो जो नित्य-प्रति के वहां पर झगड़े होते हैं उनका निपटारा किया जा सकता है और उनकी समस्यायें दूर हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह आशा करूंगा कि इन कानूनों को ध्यान में रखते हुये मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये आपकी जो श्रम नीति है उसमें परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन ही नहीं बल्कि जिससे मजदूर भाइयों को यह आभास हो सके कि हमने जिस समाजवादी समाज की रचना काम उठाया है वह उनके लिये भी लाभप्रद सिद्ध हो सके। मान्यवर, दूसरे कारखाने जो इस समय बन्द बड़े हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उसमें परिवर्तन करने का आश्वासन जितने भी श्रम मंत्री रहे हैं हमें दिया है। अनेकों बार इस सम्बन्ध में विचार हुआ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, सूचना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने किस ऐक्ट के बारे में कहा ?

श्री भगवती सिंह विशारद---

मान्यवर, मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के बारे में कह रहा था। इस ऐक्ट में परिवर्तन और संशोधन करने के सिलसिले में कई बार घोषणाएं हुई हैं किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि श्रम मंत्री तो बदल जाते हैं और कानून ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। एक बार यह घोषणा की गई थी कि इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कानून बनाया जा रहा है। यह बात बहुत पहले से चली आ रही है। मुझे आशा है कि वह इतनी जल्दी नहीं बन पायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मजदूरों के हितों की रक्षा हो, इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में परिवर्तन और संशोधन करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

मान्यवर, दूकान कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी दूकान के कर्मचारी हैं वे सारे प्रदेश में फैले हुये हैं और उन्हें प्रोविडेंट फण्ड या अन्य किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह बात की प्रार्थना करूंगा कि वे केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करें कि जिन दूकानों के पांच या पांच से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी प्राविडेंट फण्ड की स्कीम लागू की जाय। इसके साथ ही साथ छोटी-छोटी दूकानों के जो कर्मचारी हैं और वे दूकानों में काम कर रहे हैं उनको भी बुढ़ापे में पेन्शन की व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, दूकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के जो मामले श्रम विभाग में भेजे जाते हैं उनमें किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती है। जो मामले कंसीलियेशन में जाते हैं और, उन पर फैसला होता है तो दूकानदार उन फैसलों को नहीं मानते हैं। उन्हें फिर से एडजूडिकेशन में भेजने की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु जो मामले वहां नहीं जाते हैं वे जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं। मैं यह चाहूंगा कि दूकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का निम्नतम वेतन तय कर दिया जाना चाहिये और उस के साथ ही साथ उनके झगड़ों को निबटाये जाने के लिये प्रदेश भर में बड़े-बड़े स्थानों पर ऐसी कन्सीलियेशन लशीनरी बनायी जानी चाहिये जिनमें दूकानदारों के, कर्मचारियों के प्रतिनिधि हों, और सरकारी प्रतिनिधि हों। तीनों मिल कर उन मामलों को निबटायें। अगर ऐसा न हो पाये तो नियमित रूप से उन मामलों को एडजूडिकेशन में भेज दिया जाया करे।

इसके अलावा कर्मचारियों की एक श्रेणी और है और वह है खेतिहर मजदूरों की श्रेणी। उनकी हालत सबसे ज्यादा गिरी हुई है। आज तक उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और भविष्य में भी ऐसा मालूम पड़ता है कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जायगा। खेतिहर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये सरकार को कोई कमेटी बैठानी चाहिये जो उनकी समस्या का अच्छी तरह से अध्ययन करे तथा उनको दूर करने का उपाय बताये। यह जो सुझाव दे सरकार को उन सुझावों पर अमल करना चाहिये।

इसी प्रकार से बाजार कर्मचारियों के संबंध में भी इंक्वायरी कमेटी बैठायी जाय जो उनके निम्नतम वेतन, कामों के घंटे, झगड़ों को निबटाने के लिये कान्सीलियेशन मेशीनरी, प्रावीडेंट फण्ड तथा बुढ़ापे के लिये पेंशन आदि के विषय में अपनी संस्तुति करे और सरकार उस पर गौर करे। इन शब्दों के साथ जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसके साथ ही साथ जो मेरा इसमें कटौती का प्रस्ताव है उसको भी संबद्ध करता हूं। श्रीमन्, अभी हमारे पूर्ववक्ता जो बातें कह रहे थे उनकी बहुत सारी बातें तो नहीं, कुछ बातों से मैं सहमत हूं। माननीय सदस्य को कटौती के प्रस्ताव में जो निराशा हुई, अगर उन्होंने मेरा कटौती का प्रस्ताव भी देखा होता तो न होती और वह मेरा नाम लेकर धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने उससे समाजवादी दिशा की ओर संकेतमात्र करने का प्रयास किया है। उसके द्वारा मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि मेरा विश्वास है कि समाजवाद तब तक नहीं आ सकता जब तक समाज के गिरे, दबे और कमजोर लोगों को ऊपर नहीं उठाया जायगा, और उनको उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जायगा। मेरा विश्वास है कि अगर श्रमिकों को प्रबन्ध में साझीदार बनाया गया होता तो उनका अवश्य ही कुछ कल्याण हुआ होता और अगर उनको प्रबन्ध में साझीदारी नहीं मिली तो मिलों का केवल सरकारीकरण कर देने से या अफसरशाही करने से कोई काम नहीं हो सकता। इसके द्वारा समाजवाद आने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में सबसे बड़ी नैशनलाइज्ड इन्डस्ट्री रेलवे है जिसका गोरखपुर में हेडक्वार्टर है। रेलवे के मजदूर अगर यह महसूस करते कि उनके हक महफूज हैं तो वे यूनियन बनाते ही क्यों। फिर अपने हकों के लिये लड़ने की बात ही क्यों आती। वहां से अफसरशाही की गन्ध आती है, तानाशाही की गन्ध आती है और उससे मजदूर प्रताड़ित होता है, उत्पीड़ित होता है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आज हमें इस बात का भरोसा हो चला कि आज जिस दल के सहयोग से यह सरकार चल रही है, उसमें से एक दल अपने को समाजवादी नीतियों के अनुरूप मानता है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

और हमारा और उनका झगड़ा ही इस बात का था कि वे लोग कहते थे कि हमसे वह अधिक समाजवादी हैं । लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि वे सरकार के लोग, और वह सरकार का दल, जो अपने को समाजवादी कहते हैं उनके इस बजट के अन्दर समाजवाद की गंध तक नहीं मिली । मजदूरों के कष्टों के निवारण का कोई नक्शा इस बजट में सामने नहीं आया । मैं इसलिये यह बात कहता हूं कि किसी भी सरकार का बजट उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों का आइना होता है । लेकिन ऐसा न कर के अफसरशाही की वही पिटी पिटाई बात है । मुझे अफसोस उन लोगों से नहीं है जिनको समाजवाद के नाम पर छींक आती है । मुझे तो अफसोस उन लोगों से है जिन लोगों के सहयोग से यह सरकार चलायी जा रही है और जो लोग अपने को समाजवादी होने का दावा करते हैं ।

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की इजाजत चाहिये कि आज इस बात का फैसला हो रहा है इस प्रदेश में किस ही माने में यह शासक वर्ग चाहे बी० के० डी० हो, चाहे इन्डीकेट हो वह समाजवादी है या नहीं मुझे विश्वास हो गया है कि समाजवादी नहीं है । ढकोसला देखकर मुझे एक कहावत याद आती है :

"कौन कौन गुन वरनों रे कुबरी तोर" ।

क्या कहूं, यह इनकी नीतियों का खुलासा है । दूसरे आप देखें, बजट में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात कहने की भूल नहीं की गयी है सरकार के द्वारा जिससे श्रमिकों के हितों की कोई रक्षा होती हो । मेरा ख्याल था कि कटौती के उन प्रस्तावों पर जो, १, २, ३ करके लिखे गये हैं माननीय मंत्री जी अपने विचार प्रकट करते, लेकिन मुझे भाषण तो जरूर मिला जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है लेकिन मुझे उस एक्सप्रेस की खड़खड़ाहट और गड़गड़ाहट में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं मालूम हुआ जिसमें कहीं अपनी निगाह बैठ पाती कि हमारी नीतियों की गुंजायश यहां है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से यह करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप यदि हमारे विचारों से, हमारी सुझावों से लाभ उठाना चाहते हैं अथवा अगर इसमें संकोच होता हो तो अपनी नीतियों की ही हमारे बातों का उत्तर देते समय स्पष्ट घोषणा करिये कि आप प्रबन्ध में मजदूरों को हिस्सा देने जा रहे हैं या नहीं, आप अफसरशाही को कुचलने के लिये कोई कारगर कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं, आप मजदूरों की दैनिक अवस्था को सुधारने के लिये कोई प्रभावकारी कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं, आप उन मजदूरों की जो गांवों में, जैसे लोहार, बढ़ई, चूड़ी बनाने वाले कारीगर, दरी और कालीन बनाने वाले कारीगर और जो अन्य दूसरे छोटे उद्योगों में लगे कारीगर हैं उनकी अवस्था सुधारने के लिये कोई कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं ।

मैं जानना चाहता हूं कि नैशनलाइजेशन का हौवा सिर्फ अफसरों को वहां बैठाकर और लोगों के मनोबल को गिराने के लिए है अथवा करोड़ों रुपया जो इन बैंकों में जमा पड़ा है उसका यूटिलाइजेशन उन गरीब मजदूरों की उनकी सहकारी समितियां बनाकर या व्यक्तिगत रूप से या दूसरे तरीकों से जो उपयोग हो सकता है कि उनके माध्यम से ऋण देकर या कोई कारपोरेशन या निगम बनाकर कोई ऐसी व्यवस्था करने की इच्छा रखते हैं या नहीं ? बजट में नहीं है ? लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कब आसमान से सोना बरसेगा बैंक के नैशनलाइजेशन का ? मैं पूछना चाहता हूं कि कबतक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे ? आज अच्छा दिन है, वह पर्व है जिस पर्व को कसम खाइये और कहिये कि हमारा विचार और दृष्टिकोण मजदूरों के प्रति उस प्रकार का होगा और सारे बैंकों के सारे साधनों का उपयोग उनके लिए इस प्रकार किया जायगा जो अति आवश्यक और सरकार और इस सदन के दृष्टिकोण में देना उचित होगा । मुझे प्रसन्नता होगी अगर इन बातों का सरकार की ओर से उत्तर आयेगा और मैं उनको साधुवाद दूंगा । लेकिन मैं यह समझता हूं कि ऐसा न करके कुछ और ही उत्तर आयेगा ।

इसी विषय से सम्बद्ध सेवायोजन कार्यालय है। वाह रे वाह सेवायो जन कार्यालय ! क्या महिमा तुम्हारी ! तुम्हारी महिमा विचित्र है। इंजीनियर बेकार ही घूमता है इस मुल्क में। श्रीमान्, ओवरसियर बेकार ही घूमता है इस मुल्क में और बी० एस-सी०, ए० जी० आज ट्यूबवेल आपरेटर के लिए दरख्वास्त दिये बैठे हैं। मेरे पास एम० ए० पास लड़का आया कि आपरेटरी का चुनाव है उसके लिए आया हूं। जब पूछा तो कहा कि करूं क्या ? तो इन बेकारों की फौज को इस सेवायोजन कार्यालय के जरिये इसकी समस्या को हल कर सकते हैं ? नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कर सकते हो तो क्यों नहीं इंजीनियर्स का एक निगम बनाते ? निगम का सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि निगम को साधनों के उपलब्ध करने की शक्ति होगी। लेकिन इनका इरादा नहीं है। ये तो कहेंगे कि व्यक्तिगत किसी को दे दें तो खाकर बैठ जायगा। ठीक है, लेकिन आपका कोई इरादा उस तरफ चलने का है ? एक कदम भी कभी चलने की बात सोचिये कि क्या होगा सेवायोजन कार्यालय का ? आपके सेवायोजन कार्यालय में एक जायगा और १० लाइन लगाकर खड़े हैं और निराश होने पर नारेबाजी लगेगी "इनकलाब जिन्दाबाद"। आप इस मुल्क को तबाही की तरफ मत ले जाइये। आपने लोगों की इच्छाओं को इस तरह से उभारा है, जगह-जगह लेक्चर दिये हैं, कि आसमान से समाजवाद बिल्कुल धरातल पर आयेगा लेकिन निराशा हाथ लगी। दिल्ली और लखनऊ की कुर्सियां आपके हाथों में हैं। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है, चाहे मंत्री के नाते मान कितना मिलने वाला हो लेकिन आने वाला जमाना बतायेगा कि यह सेवा-योजन की फौज आपकी सरकार का सत्यानाश कर देगी।

माननीय विशारद जी ने तालाबन्दी का जिक्र किया। अफसोस होता है। इसी सदन में आप जानते हैं चीनी मिलों को टेक ओवर करने की बात क्यों कहीं गयी ? यह कहा गया कि इन पर बहुत बकाया है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)––

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रम समस्या से सम्बन्धित इस प्रदेश के ३ करोड़ लोगों का प्रश्न है लेकिन जब मिनिस्टरों की एक सेना खड़ी है, फिर भी आप देखें कि एक भी कैबिनेट स्तर का मंत्री यहां मौजूद नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब हमारे पचीस मिनिस्टर्स हैं और उनको काफी वेतन व भत्ता मिलता है तथा और भी अन्य सुविधायें मिलती हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कैबिनेट स्तर के मंत्री यहां पर बैठ कर हमारी समस्याओं को सुन सकें और माननीय सदस्यों को सुन कर उनकी समस्याओं को हल कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष––

मुझे बार-बार स्मरण कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये कि एक और दो बजे के बीच में कोरम के सवाल पर भी और उपस्थिति के सवाल पर भी कुछ ढील रहती है। इसलिये बीच में उसके लिये कहना कि इसकी व्यवस्था करें, यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। एक मंत्री हैं, लेकिन सवाल यह है कि २ बजे के भीतर जब आप उदारता से सदन को चलाते हैं––या तो एक घंटे के लिये छुट्टी हो जाय, हमें तो प्रसन्नता होगी अगर बीच में छुट्टी हो जाय और ११ बजे से १ बजे तक और फिर २ बजे से ५ बजे तक सदन चले या और दिन बढ़ा दिया जाय लेकिन जैसी व्यवस्था आज है, आप स्वयं एक लिखित समझौते के अन्तर्गत दो बजे के अन्दर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री कृष्णानन्द राय––

यह तो श्रीमन्, आपने माननीय सदस्यों के लिये कहा लेकिन कैबिनेट स्तर के मंत्री तो सदन के नौकर होते हैं इसलिये उनको यहां रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

भोजन का आइटम तो दोनों के लिये आवश्यक है। एक और दो बजे के बीच में दोनों को भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री कल्पनाथ सिह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि कानपुर की लगभग तीन मिलें बन्द हैं। एक विक्टोरिया मिल तथा दो मिलें और है। चीनी मिलों के लिये तो झटपट ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त और इन बन्द मिलों की क्या हालत है जिनके कई हजार मजदूर बेकार हैं और जो मिलें चलती भी है तो अर्धगति से, मन्द गति से और कभी कभी कुगति से। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इनकी नीयत क्या है? चीनी मिलों में कुछ ज्यादा दुधारू गाय मालूम पड़ती हैं। एड-मिनिस्ट्रेटर पहले मुकर्रर। ये मिलें मालूम होता है कम दूध देती हैं। कुछ ऐसी हैं, जैसे वह गाय जो दूध देना बन्द कर दे वही दशा इनकी हो गयी है, यही समझ कर मालूम होता है कि सरकार ने उनकी उपेक्षा कर दी है। क्यों? मजदूरों का क्या होगा? इनके बोनस का मामला है, और दूसरे मामले हैं, मजदूरों को इम्पलायमेंट मिले, ये सब एक दूसरे से नत्थी हैं। ध्यान उधर नहीं है, आखिर ध्यान कहां है? चीनी मिलों पर। अच्छी बात है, चीनी मिलों में बोनस की क्या हालत है, चीनी मिलों में कर्मचारियों की क्या हालत है?

अगर आपने फैसला कर लिया होता कि चीनी मिल का मजदूर बिना क्वार्टर के नहीं रहेगा, अगर इसका प्राविजन इस बजट में कर दिया होता, तो मैं बधाई देता। लेकिन यह ऐसा नहीं कर सकते। किया इन्होंने क्या? अफसरशाही के पदों का सृजन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि विवाद ज्यादा बढ़ रहे हैं, मुकदमें बढ़ रहे हैं, इसलिये ऐसा किया है। विवाद खत्म करने की ओर ध्यान नहीं दिया इन्होंने, विवाद बढ़े इस ओर दिशा दिया और कहा कि तुम जितना ही विवाद बढ़ाओगे हम तुम्हारे लिये उतनी ही मशीनरी फिट कर देंगे। यह पूंजीपति की सरकार का नमूना है। और उनकी मशीनरी की हालत देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक कंसिलियेशन आफिसर से पूछिये कि अच्छा भाई बताओ कि अगर मिल मालिक तुम्हारा कहना न माने तो तुम क्या करोगे तो वह कहेगा कि हमको कोई पावर नहीं है कि हम कुछ कर सकें, हम तो रिपोर्ट कर देंगे। और रिपोर्ट करने के बाद क्या दशा होगी, कि मुकदमा सीधे-सीधे अदालत में नहीं जा पायेगा जबतक कि उनकी मर्जी न हो जाय जो ऊपर बैठे हैं। तो श्रीमन्, यह इनकी मशीनरी की व्यवस्था है।

हमारे सामने राज्य मंत्री बैठे हैं (श्री राजमंगल पांडे की ओर संकेत)। वह कहते हैं कि हम तो समाजवादी हैं। आपको याद होगा, श्रीमन् मैंने एक दिन हाउस में पूछा मुख्य मंत्री जी से कि उन्होंने अपने को समाजवादी कहने की गलती नहीं की उन्होंने कहा हम तो गांधीवादी समाजवादी हैं। तो मैं "गांधीवादी समाजवादी" की परिभाषा जानना चाहता हूं। क्या मुख्य मंत्रीजी ने उस विचारधारा के अन्तर्गत मजदूरों की दशा का विश्लेषण किया है? गांधी जी का नाम लेने वालों सुन लो कि आज उनकी आत्मा पुकारती होगी, तुम्हारे नाम पर रोती होगी जो आज गांधीजी का नाम लेते हैं। आज जितना ही उत्तर प्रदेश के मजदूरों पर जुल्म हो रहा है उतना ही श्रीमन्, मुझे उम्मीद है गांधीजी की आत्मा को कष्ट होगा। तो मेहरबानी करके किसी महापुरुष का नाम लेना बन्द करो और अपने कृत्यों की चर्चा करो।

श्रीमन्, और तो और मैं जानता हूं कि यह अपने मालिकों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि यह वह सवारी है जिनके ऊपर पूंजीपतियों की जबर्दस्त सवारी चली आ रही है और उनका जुलूस निकल रहा है ऐनो चमन से और नाजो नखरे है। श्रीमन्, सरकारी कर्मचारियों की क्या हालत है, आपके सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों की क्या हालत है और आपके एलेक्ट्री-सिटी बोर्ड के कर्मचारियों की क्या हालत रही है जिनका सीधे सम्बन्ध इनसे रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने भाषण में इस ओर कुछ संकेत दिया। अगर कुछ सरकार को हवा आयेगी तो वह शायद यह कहे कि हम सोच रहे हैं इन बातों पर। लेकिन सोचने की

बात भी मैं कहना चाहता हूं कि इसकी भी स्पष्ट घोषणा कर दी जाय कि बजट सत्र के समाप्त होते ही इसी सत्र में इसी विधान सभा में बिल लाया जायगा तो मैं मान लूंगा कि इनकी नीयत में सुबह करने की गुंजाइश नहीं है। खड़े होकर कहिए जो कहना हो ?

श्री राजमंगल पांडेय—

आप २० वर्ष तक यह बात नहीं सोचे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

"सूप हंसे तो हंसे चलनी क्या हंसे जिसमें ७२ छेद"। श्रीमन्, मैं तो सन् १९४८ में ही कांग्रेस छोड़कर चल दिया जब इनको समाजवाद के नाम पर घृणा होती थी। जादू वह जो सर पर चढ़कर बोले। आपने मुझसे सीखा कि प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है ? मेहरबानी करक इन्डीकेटी मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। वह छेड़छाड़ अपने अफसरों से करें जो उनसे डरता है। मैं तो सीधे-साधे यह कहना चाहता हूं कि आप मेरे पुराने विचारों के आधार ले रहे हैं और हम लोग आपके गुरू हैं और मुझसे आज भी शिक्षा लीजिए। श्री जी० डी० बाजपेयी साहब बैठे हैं मैं उनकी बात मान लूंगा। मैं श्री भगौती सिंह की बहस का एक बार भी खंडन नहीं करता हूं और अपने दोस्तों से कहता हूं कि लड़ो दोस्तो लड़ो तुम अन्दर से और हम बाहर से और देखें कि यह भाग कर कहां जाते हैं ? हमारे साथ आइये अगर समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं, समाजवाद का रास्ता इधर है। समाजवाद का रास्ता कम्युनिस्टों के साथ नहीं है, इनका कट-मोशन आप देख लीजिए और समाजवाद का रास्ता बी० के० डी० के साथ नहीं है। आप इनका बजट पढ़ लीजिए। क्रमशः प्रजातांत्रिक समाजवाद का रास्ता अगर कहीं है तो इन कुर्सियों पर है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है आपको २५ मिनट हो चुके हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं तो अनुशासित सिपाही हूं। आप जैसी आज्ञा दें। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इन समाजवादियों से अपील करता हूं कि या तो इस बजट में समाजवाद का चित्र लायें अथवा इस बजट को गिरा दें।

*श्री गनेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं इस अनुदान में समर्थन में बोलूं, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो ग्रान्ट है वह टोटल बजट की एक परसेन्ट है इसी से मालूम होता है कि हम जिस विभाग के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं उसको कितना महत्व दिया गया है। यहां पर सदन में जो माननीय सदस्यगण हैं वे भी जितनी संख्या में हैं उससे भी बजट की महत्ता का पता चलता है कि हम इस विभाग को कितना महत्व देते हैं। हमारी सरकार में जितने भी विभाग हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग श्रम विभाग को होना चाहिये। जिस तरह से फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट हर विभाग में रुपयों के कन्सीडरेशन के कारण थोड़ा-बहुत दखल रखता है उसी प्रकार से हमारी सारी चिन्तन का केन्द्र वर्किंगमेन है, काम करने वाला आदमी है तो हर विभाग में काम करने वाले आदमी हैं और उनका प्रभाव भी उसी प्रकार से पड़ना चाहिये। वहां की पालिसी, रिलेशनशिप ऐन्ड कन्ट्रोल हर विभाग में उन्हीं काम करने वाले श्रमिकों के अध्ययन के द्वारा, सोशल टेंशन्स का, आफिसर्स का, मध्यम दर्जे के कार्यकर्ताओं का, निम्न दर्जे के कार्यकर्त्ताओं का करके किया जाना चाहिये और उसका अध्ययन करके इसके सुधार करने के लिये सभी चीजों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशदत्त बाजपेयी]

को सुपुर्द किया जाना चाहिये । श्रम विभाग में और ऐसी प्रक्रियायें निकालनी चाहिये ताकि नीचे से ऊपर तक सभी लोग समझ जायं कि हम एक हैं, बराबर हैं और सभी को मिलकर काम करना चाहिये । श्रम विभाग का जो बजट है उससे मैं परेशान नहीं हूं । गान्धी जी की मन्थली आय का बजट २०० रुपया होगा परन्तु उस व्यक्ति ने सारे हिन्दुस्तान को हिला दिया था । परेशानी यह नहीं है । श्रम विभाग में किस तरह से संगठन किया जाय इस बारे में आपका कोई नजरिया ही नहीं है और इसी की दिक्कत है श्रम विभाग को मैं तो श्रम शक्ति विभाग समझता हूं । श्रमिक विभाग में जितनी भी वर्किंग पापुलेशन है इसके हर स्तर पर, हर विभाग में एक संगठन करना चाहिये और अगर यह एक पीढ़ी में सम्भव न हो सके तो दूसरी पीढ़ी में यदि आवश्यकता हो तो भी इसको करें । अभी तक हम लोगों में जो अच्छे से अच्छे लोग हैं वे आगे चलने वाले स्काउट्स हैं और इस प्रकार का समाजवाद हमसे अभी पीढ़ियों दूर है । इस प्रकार से जो लोग बहुत ज्यादा समाजवाद की बात करते हैं उन्होंने भी समाजवाद का अध्ययन नहीं किया है परन्तु समाजवाद की रट वे लगाये ही जाते हैं । उनको हम क्षमा ही करते हैं । श्रम विभाग के बजट के दिन में कोई इस प्रकार का ग्रीवेन्सेज आफ कैटेलोग नहीं पेश करना चाहता हूं । बल्कि कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं ।

इस वक्त हिन्दुस्तान की हर पार्टी को चुनकर आने और गवर्मेन्ट बनाने का एक कामन नुस्खा है और वह यह है कि देहात के गरीब आदमी का और शहर के गरीब आदमी का वोट लिया जाय और अमीर आदमियों से पैसा लिया जाय चाहे हाथ जोड़कर चाहे पैर छू कर और चाहे एक के बदले उनको दस पैसे कमवाकर । चाहे जो नाम आप रख लें । इंडीकेट, सिंडीकेट, पी० एस० पी० कुछ भी समझ लें । दो-चार, दस-पांच आदमियों को छोड़कर कामन स्ट्रैटिजी यही है । लीडर बनने के लिये पैसा जितना लाजिमी हो गया है । आध्यात्मिकता और चिन्तन उतना ही कम जरूरी हो गया है । अब इस परिस्थिति को आप उलटें तब हम समाजवाद के किसी भी तरह नजदीक आ सकते हैं । कौन सा डिपार्टमेन्ट हमारे पास है जो यह दिशा दे हमारे गरीबों को, हमारी वर्किंग पापुलेशन को? पी० डब्लू० डी० तो चूने, गारे, सरिया और सीमेन्ट से काम करता है । हम उसको रिजैक्ट करते हैं । इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट बिजली बनाता है । उसके इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजिनियर हैं, सोशल इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जितने भी आदमी मैटिरियल से काम करते हैं, चाहे वह नोबुल प्राइज पा जायं, पा ही हैं, उन सबके मुकाबले में आदमियों को और आदमियों के विचारों को मोल्ड करके एक साथ ले चलना जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, इससे बढ़कर कठिन काम ईश्वर ने मनुष्य के लिये दिया ही नहीं, क्योंकि इसके अन्दर दिल होता है, दिमाग होता है । अगर मैं डाक्टर हूं और कोई बीकर आज छोड़ जाता हूं तो कल सबेरे आकर उठा सकता हूं लेकिन मेरे साथ जो चलने वाले हैं वह रोज अपनी राह बदल सकते हैं । किताब या बीकर नहीं रेंग सकते हैं ।

श्रम विभाग के माध्यम से हमको यह करना है कि उसमें ऐसे अफसर रखें जो एजूकेटेड हों डेमोक्रैटिक कल्चर में । केवल पैसा पाकर नौकरी करने वाले, कुछ दिन इस विभाग में और, कुछ दिन उस विभाग में रहने वाले न हों । उदर निमित्तं बहु कृत वेशः । ऐसे लोग जो हैं वह इस काम को नहीं कर सकते । इसके लिए हाइली स्पेशलाइज्ड सोशलिस्ट काडर चाहिये और वह इस काम को कम पैसे में भी करे । चाहे वह कारखाने का लेबर हो जिसको आर्गनाइज्ड लेबर कहते हैं--उसमें भी अब कई भाग हो गए हैं, एक तो प्रायवेट सेक्टर के कारखाने का लेबर, दूसरे पब्लिक अन्डरटेकिंग का तीसरे सरकारी मिनिस्ट्रीज द्वारा चलाये कारखानों का, और चौथे सैलेरी पाने वाले सेक्रेटरियट एम्प्लाइज जो दफ्तरों में काम करते हैं । इन लोगों

को समाज का महत्वपूर्ण अंग कैसे बनाया जाय ? न सिर्फ यह कि उनकी तनख्वाह का मामला ले लिया जाय, यह कतई नाकाफी है, श्रम विभाग का यह ऐंगिल ही नहीं है । हम तो भैंस के बारे में सोचते हैं कि कितना चारा दिया जाय । इंसान का तो हम अपने बराबर और ऊंचा बनाने को सोचते हैं तो इसलिये हम कहते हैं कि श्रम विभाग की सारी शक्ति केन्द्रित दो-तीन बातों में रहती है--कहीं हड़ताल न हो, लाक आउट न हो, प्रोडक्शन बढ़ता रहे । हम भी चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ता रहे ।

मगर एक तो होता है हम चाहें और एक होता है तुम चाहो । जब मजदूर चाहें । एक तो आप लड़के को जबरिया पढ़ायें और एक लड़का रोकर किताब मांगे कि हम आइसक्रीम नहीं लेंगे, पढ़ने में मन लगायेंगे, किताब दीजिये । मैं यह पूछता हूं कि आपने पिछले वर्षों में किसी भी मजदूर कानून में परिवर्तन नहीं किया । आपने कुछ किया भी मगर कानून में जो मजदूरों को समाज में स्थान मिलना चाहिये और ठिलुओं को डिसप्लेस होना चाहिये वह नहीं हुआ । हमारा टोटल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का ६० परसेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ४० परसेंट है । तो उस अनुपात से अगर असेम्बली में कोई बैठे होते तो कुछ बात समझता कि ठीक है । हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के यहां १०० आदमी बैठे होते और खेती करने वाले ३०० आदमी बैठे होते तो मैं समझ लेता कि जनता किस हिसाब से देश के लिये धन का उत्पादन करती है । उसी अनुपात से हमारी यह जो विधान सभा है उनमें लोग बैठे हुये हैं । यह वर्कर्स बाडी है और यह पीजेन्ट्स बाडी है । न मुझे यहां वर्कर्स दिखाई देते हैं और न मुझे यहां पर पीजेन्ट्स दिखाई देते हैं । यहां पर तो सभी लोग १४ कैरेट के हैं । मगर यहां तो आप यह समझ लीजिये कि समाज से लेने वाले ज्यादा और देने वाले कम हैं ।

अगर यहां पर वकील, डाक्टर और इंजीनियर हैं तो ये समाज से लेने वाले ज्यादा हैं और कम देने वाले हैं । भारतवर्ष के भावी समाज के निर्माता यहां पर एक भी नहीं है । असेम्बली में अगर उसी हिसाब से यहां पर बैठे दिखाई देते तो यह गौरव की बात होगी । यूनियन वाले १५० बैठे होते और खेती करने वाले ३०० आदमी बैठे होते तो मैं समझ लेता मगर यहां पर तो ठिलुवे बैठे हैं । मैं बिना किसी माननीय सदस्य की किसी शान के खिलाफ कोई शब्द कहे इस विडम्बना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पूरे वर्किंग क्लास को और पूरे एग्रीकल्चरिस्ट क्लास को जो मैं अलग-अलग क्लास नहीं मानता हूं राजनैतिक जोश देना और उनको यहां तक लाना अगर इसके अलावा मैं समाज में किसी डिपार्टमेंट को अपनी मशीन बनाऊं तो मुझको सिवाय श्रम विभाग के और कोई चीज दिखाई नहीं देती है । इस वजह से मैं इस विभाग को बहुत पसन्द करता हूं ।

अब मैं छोटी-मोटी दो-चार बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं । विक्टोरिया मिल २।। लाख रुपया रोज का कपड़ा देता है । अभी तक १२ करोड़ रुपया हम उससे लूज कर चुके हैं । यह १२ करोड़ रुपये का अहित इसलिये हम कर चुके हैं कि अभी तक उसमें हम २० लाख रुपया नहीं लगा पाये हैं । वह भी इन्वेस्टमेंट ही होता, खर्चा नहीं होता । तब हम क्या आशा करें कि आप इस प्रदेश का उद्योगीकरण करने में सफल होंगे । हम किसी दूसरे की बात नहीं कहते हैं । हमारी निज की कमजोरी है जिसको देखना जरूरी है । यहां तक कि कुछ लोगों ने स्वतन्त्र रूप से इसमें सोचा और काम किया । आपकी कैबिनेट ने तय किया कि म्योर मिल ४ परसेन्ट बोनस दे लेकिन उसने २ परसेन्ट दिया । क्या किसी भी देश में चाहे वह इंगलैण्ड हो या अमेरिका, जहां पर ब्यूरोक्रेसी है, यह मुमकिन है कि कैबिनेट के डिसीजन को डिफाई कर दे । आप जो कहते हैं कि आप अफसरों को कर्ब कर सकते हैं । आपने उन पर क्या ऐक्शन लिया ? उनको कमिश्नर बना कर मेरठ भेज दिया ।

मैं तो इस सब के लिये श्रम विभाग को ही माध्यम बनाऊंगा । अफसरशाही ओवर प्रोडक्टेड न हो, पेमेंट बाई रेमिटेंस न हो, यह हमें देखना है और उनको सुविधा दें । सोशलिस्ट

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

देशों में यह होता है, मैं सभी समाजवादी देशों में गया हूं और मैंने वहां की प्रगति को देखा है। बिलकुल सीधी बात है कि वह मजदूर यूनियनों को पास बैठाल लेते हैं, वहां की इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज के प्रतिनिधियों को बिठाल लेते हैं, वहां और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों को बिठाल लेते हैं और इस तरह से वह एक मिली-जुली ३ पार्टाहट कमेटी सी बन जाती है और वहीं उन सबसे पूछ कर टार्गेट बना लेते हैं कि यह-यह माल चाहिये, यह-यह सुविधायें चाहिये वह सब वहां तय कर लेते हैं। जैसे हम हलवाई से पहले से पूछ लेते हैं कि इतनी चीनी चाहिये, २० सेर आटा चाहिये, इतना घी चाहिये, इतनी लकड़ी चाहिये और वह समय भी बता देता है कि यह सामान इस समय तक मिल जाय। वहां अगर टार्गेट पूरे नहीं होते तो मैनेजर या जिसकी भी कमी से पूरे नहीं होते उस को दण्डित किया जाता है। लेकिन हमारे यहां अफसर कभी दण्डित नहीं होता। उसकी एकाउन्टेबिलिटी कभी कोई नहीं देखता, उसकी क्षमता है या नहीं यह देखा जाय, वह कम है तो उसको सहायता दी जाय, उसको दृष्टि दी जाय कि तुमको यह करना है यह नहीं करना है, तब तो कुछ होगा वर्ना तो कुछ होता दिखाई नहीं देता।

मैं यह चाहूंगा हूं कि जो सरकारी दफ्तर हैं या अर्द्ध सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट अन्डरटेकिंग या पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं हम उनमें जल्द से जल्द एक क्षमता पैदा करें जिस को कि कहते हैं कोआपरेटिव प्रासपेरिटी प्रोग्राम, उसमें कोई भी कारखाना हो उसके चार अंग होते हैं, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसका मैनेजीरियल स्ट्रक्चर, उसका प्रोडक्शन स्ट्रक्चर और उसका मार्केटिंग स्ट्रक्चर। इन चारों चीजों का विचार मैनेजर मजदूरों से छिपा कर करे, या मालिक कुछ छिपा कर कार्य करे या ज्ञान की चोरी की जाय यह कहां तक उचित है। अगर वह ज्ञान उनको बता दिया जाय तो इन बड़े कारखानों में एक नहीं १०१ मैनेजर उस बड़ी क्षमता रखने वाले निकल सकते हैं मजदूरों में से ही। यहां पर होता क्या है, हेड क्लर्क बन जाते हैं वह दो-चार बातें ज्यादा जानते हैं और उनको २० बरस तक छिपाये रखते हैं और जरा से ज्ञान की बदौलत बड़े बाबू बने रहते हैं और उससे भी जरा सा ज्यादा जो जानते हैं वह अफसर बनते हैं और फिर वह सीढ़ी दर सीढ़ी योग्यता के अनुसार ऊंची से ऊंची जगह पहुंच जाते हैं। उनको अगर खाली सुविधायें और थोड़ा सा ज्ञान दिया जाय तो उनको अपने काम में स्वयं आनन्द आयेगा और जीवन में वह लुत्फ महसूस करेंगे। इस प्रकार की सुविधायें श्रम विभाग के द्वारा हर क्षेत्र के श्रमिकों के लिये देने की बात सोचना पड़ेगी। लेकिन यह जो वाटर टाइट कम्पार्टमेंट्स बने हैं, यह लेबर विभाग से होगा, यह फलां विभाग से होगा और यह अप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट करेगा, यह फलां डिपार्टमेंट की राय के बिना नहीं हो सकता तो इस तरह से तो यह श्रम विभाग तो लकवा मारा हुआ पड़ा रहेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप न सिर्फ अपने कामों को अपटुडेट करेंगे बल्कि मजदूरों की क्षमता को भी सबल बनायेंगे। आप देखें कि हमारे यहां अकेले कानपुर में ही सालाना ३० करोड़ रुपये का वेज बिल होता है।

अगर आप पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट में यह अलाउ कर दें तो हम अपनी यूनियन से ही ३० लाख रुपया साल हम खुद ले दें और हम आपको भी १०-२० लाख रुपया दे दें और आपको इन पूंजीपतियों के सामने दुम हिलाने और उनके पैरों पड़ने की जरूरत न पड़े। मैं छुआछूत में बहुत विश्वास करता हूं लेकिन मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि मैं हरिजन भाइयों से छुआछूत करता हूं। समाज में जो भाई दूसरों का पैसा लेकर उनका शोषण करते हैं, जो करोड़पति हैं, उनसे छुआछूत करता हूं और जब उनसे छू जाता हूं तो नहाता हूं। उसमें भी २ किस्म के लोग हैं। एक हैं कर्मशियलिस्ट, जो बहुत रुपया कमाते हैं और छिपाते जात हैं और दूसरे हैं राजनैतिक लोग जो पैसा कमाते हैं और कमवाते हैं, अपने को नेता कहते हैं। उनसे बढ़कर भारतवर्ष में पतित होना असंभव है। उनकी मैं छोटी-छोटी बातों में नहीं जाता इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्रम विभाग मेरे इन विचारों को प्रचार का माध्यम बना ले तब तो वह श्रम विभाग हुआ और जब वह लेबर का शोषण न करे, श्रम शक्ति विभाग न बने तब ही हम भारत का कुछ रूपान्तरण कर सकेंगे। मैं मूलरूप से चिन्तन में परिवर्तन चाहता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम और सेवायोजन के हिस्से में लगभग ४ सौ करोड़ रुपये में से जो रकम आयी है, सदस्य, कानपुर, ने ठीक ही कहा है कि कम है। चिन्तन के हिसाब से उसका कारण समझ में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति में श्रमिक लोगों का उसमें हिस्सा भी कम है। कभी हिन्दुस्तान के मजदूर क्रान्ति की ओर अपना कदम बढ़ायें, सत्ता को अपने हाथ में लेने की बात करें तो फिर वे जब अपना बजट बनायें तो यह रकम ३ करोड़ की इस प्रदेश के लिए न रहेगी। वे फिर लेनिन की तरह से पूरी की पूरी सरकार को अपने कब्जे में कर लेंगे। आज जो नीति मालूम होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी की वह यह है कि पूंजीपति की सरकार, पूंजीपति के द्वारा और पूंजीपति के लिए चलती रहनी चाहिए चाहे जो भी श्रम नीति उसकी उल्टी सीधी हो चाहे उसके लिए ३ करोड़ रुपया मिले या चाहे २ या ३ रुपया मिले।

आज जो हमें यह किताब मिली है इसमें आंकड़े दिए हुए हैं। डिटेल में न जाकर मैं मोटी २ बातों के बारे में अर्ज करूंगा। उसमें आप देखें आबादी कितनी है, ९ करोड़। मेहनत करने वाले लोग कितने हैं, गवर्नमेंट सरवेन्ट्स कितने हैं, रिक्शा चलाने वाले कितने हैं? ये सब श्रमिक लोग हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? यह कहीं नहीं है कीमतें बढ़ती चलें और उनके पेट पीठ से लगते चलें, यह कहां का न्याय है? अगर यही नीति चली तो एक नहीं आप १० जी० ओ० भेज दीजिए, निश्चय ही वहां सेवायोजन द्वारा कोई नियुक्ति नहीं होती है। पूंजीपति अपने ही हिसाब से नौकर रखते हैं और उसी की नकल सरकारी अधिकारी भी करते हैं और आपके जी० ओज सेवायोजन कार्यालय की आलमारी में रखे रह जाते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने आज सुबह फरमा दिया कि "देहाती जमीन पर बड़ा बोझ है और इन्डस्ट्रीज को स्थापित करके हमने इस समस्या को कुछ हल किया है।" मैं तो कहूंगा कि किसानों को सरकार ने उसके माध्यम से सेठों के कारखानों में गुलाम बना दिया। मान्यवर, यह कोई नीति न हुई। अगर उत्तर प्रदेश के एक कोने के अन्दर ८०-८७ फी सदी के करीब किसान रहते हैं तो क्या उनके बच्चों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपने गांवों में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनको शहरों में बसा दिया जायेगा। इसका मूल कारण है सेठों के हिसाब से बनाई गई नीति। गांवों में रहने वाले शहरों में आयें ताकि सेठों के कारखानों में मशीनों का पहिया चलाने के लिये गांवों से खिचकर आने वाले आदमियों की कोई कमी न रहे। अगर आपकी नीति यही है तो उत्तर प्रदेश का कल्याण होने से रहा। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम हो, ठीक-ठिकाने से उत्तर प्रदेश चले तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि छोटे-छोटे कल कारखाने देहातों में खोलिये।

श्रीमन्, जहां के लोग रहने वाले हैं उनको वहीं काम दीजिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि अलीगढ़ जैसे छोटे शहर के लोग दिल्ली में नौकरी करें। जब वह दिल्ली से निकाल दिया जाय तब उसको रिक्शा चलाने के लिये बाध्य होना पड़े। तो इस तरह उत्तर प्रदेश तरक्की करने वाला नहीं है। सवाल आता है कि हमने लेबर इन्स्पेक्टर्स नियुक्त कर रक्खे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लेबर इन्सपेक्टर्स करते क्या हैं। आपके लेबर इन्सपेक्टर्स पूंजीपतियों के एक तरह से कारिन्दे होकर रहते हैं। पूंजी का जिस तरह से आपने बंटवारा करना चाहिये था नहीं किया। बीस वर्ष में लगातार किसान के बेटे की खून-पसीने की कमाई को बड़े सेठ के पेट के अन्दर रख दिया। लेबर इन्सपेक्टर्स उनकी कोठरियों की हाजिरी देते हैं या उनकी हिफाजत करते हैं जिनके हाथ पैर फट जाते हैं। तो लेबर के सिलसिले में आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं। मोदीनगर में गोली चलानी पड़ी सन् ६७ में। तो सोशलिस्ट श्रम मंत्री को हमने गया सम्मेलन में इस्तीफा दिलाया। कोई अगर सड़ा हुआ मंत्री होगा तो उसकी यही नीति होगी कि मोदीनगर का सेठ और बड़ा सेठ हो जाये।

[श्री अनीसुर्रहमान]

पूंजीपतियों के पालन पोषण की सरकार रहेगी तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि फ्रांस के अन्दर जब क्रान्ति हुई थी तो उसके पहले जो बैरेन्स थ, बड़े-बड़े जमींदार थे उनको हटा दिया था। सीधी सत्ता नौकरशाही ने अपने हाथ में ले ली थी उस नौकरशाही ने बुर्जुआ क्लास के नाम के पूंजीपतियों को छुट्टी दी थी कि तुम लूट करो। पूंजीपतियों और नौकरशाही का जो एका हो गया है उसी के कारण ट्रेड यूनियनों को नहीं बनने दिया जाता है। यदि आप ट्रेड यूनियनों के संबंध में कोई निश्चित नीति लाना चाहते हैं तो मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप मान्यता दें उन ट्रेड यूनियनों को जो गुप्त मतदान द्वारा चुनी जायं जो अपने काम काज को चलाने के लिये बना कर लाई जायं। उस तरह नहीं कि पूंजीपतियों के कमरे में बैठकर दो-चार आदमियों को खिला कर कह दिया जाय कि तुम लोग आगे आ जाओ और उनके आगे आने के बाद ऐसी यूनियन बनें जो चमचागिरी करें।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर यह जनता की सही तौर पर नुमाईन्दगी करती है और मजदूरों के लिये कोई नीति बनाना चाहे तो मिल मालिकों के प्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रतिनिधि और सरकारी प्रतिनिधि तीनों मिल कर बैठ कर ऐसी नीति अपनायें जिससे कि यूनियनों को मान्यता दी जा सके और जिससे इन श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई समाधान हो सके। तब तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश में कोई श्रम नीति है वरना २२ वर्षों में तो रिक्शा चालकों की तादाद ही बढ़ाई गई है। सेवायोजन कार्यालय खोल कर तो सरकार ने भ्रष्टाचार के केन्द्र खोल रक्खे हैं। सारे के सारे जी० ओ० अन्दर रक्खे हुए हैं पर सारा काम मनमाने ढंग से होता है।

मंत्री जी को यह पता नहीं है कि डायरेक्टोरेट में क्या हो रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। ज्वाइंट डायरेक्टर साहब की पोस्ट को ही ले लीजिये। पिछली एसेम्बली में इनके संबंध में प्रश्न भी उठाया गया था, मगर वह आ नहीं सका था। श्री के० पी० शुक्ला को ज्वाइन्ट डायरेक्टर बना दिया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वे श्रम नीति को चला पायेंगे? मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने उसके बारे में क्या कहा था? उन्होंने जांच करायी थी और जांच के बाद यह साबित हुआ था कि जो आई० टी० आई० के लिये मशीनें खरीदी गयी हैं उसमें घपला है और क० पी० शुक्ला साहब की जो नियुक्ति ज्वाइन्ट डायरेक्टर के पद पर हुई है उसमे भी घपला है। वह नियुक्ति सन् ६२ में हुई थी। उसको लेकर हाई कोर्ट तक में मामला गया था। फिर उसकी जांच बैठी सन् ६७ में।

पब्लिक सर्विस कमीशन से मिल-मिला कर ऐसे लोगों को जब आप बिठा लेंगे तो वे क्या नया अध्याय श्रम नीति में जोड़ेंगे? अंग्रेजों के जमाने में बेगार थी, कांग्रेस ने श्रमदान योजना को चालू किया। उसके बाद अब बेशरमी का युग आ गया। मान्यवर, यह जो नियुक्ति हुई इसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। यह सन् ६२ में हाई कोर्ट ने कहा, सन् ६७ में भी वही गड़बडी अपनायी गयी। तो अब तो सफा बेशर्मी का युग आ गया है, इसमें श्रम नीति क्या अपनायी जायेगी, श्रम नीति की जगह खाओ, पीयो नीति बनेगी। जो मान्यवर, जांच बिठाई गयी उसने साफ-साफ यह बताया है कि इसमें १ करोड़ कुछ लाख का ही घपला नहीं है, बल्कि जो चीजें खरीदी गयीं उनकी कीमत भी ज्यादा दी गयी तथा जो सामान खरीदा गया उसकी आई० टी० आई० में जरूरत भी नहीं थी। तो आपकी ऐसी श्रमनीति के लिए क्या कहा जाय? इसको श्रम नीति कहा जाय या बेशर्मी की नीति कहा जाय?

मान्यवर, मैं अब मजदूरों के संबंध में जो सरकार की नीति है उस पर कुछ कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि हम मशीनों के युग में हैं। किन्तु जब हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुन कर यहां आते हैं तो उनसे संबंधित नीतियों को समझना चाहिये और समझकर कुछ कार्य करना चाहिये, वरना वही होगा जो आज पटना की दीवारों पर, कलकत्ता की दीवारों पर लिखा जा रहा है। मैं तो उनको अपना चेयरमैन नहीं मानता, हमारे तो चेयरमैन उग्रसेन जी

ही हैं, लकिन आप ने अगर अपनी श्रम नीति को नहीं बदला तो यहां भी वही लिखा जायेगा कि माओ हमारा चेयरमैन है। पटना की दीवारों पर लिखा हुआ है, पता नहीं कब लखनऊ का भी नम्बर आ जाय ।

एक आवाज---

यहां भी लिखा जाने लगा है ।

श्री अनीसुर्रहमान---

अगर इनकी यही नीति रही तो यहां भी लिखा जाने लगेगा । मजदूरों में आज जो असंतोष है उसको बड़े बड़े सेठ फैलवा रहे हैं, अपने कारिन्दों से फैलवा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वह दिन हमारे लिये बड़ा ही खराब होगा जब यहां के मजदूर और मेहनतकश लोग अहिंसा का मार्ग छोड़ कर हिंसा के मार्ग का सहारा लेंगे । मैं तो अपने माननीय सदस्य, कानपुर, से इतना अर्ज करना चाहता हूं कि वे भूल गये कि हिंसा कौन किया करता है ? हिंसा वह आदमी करता है जिसको पेट भर रोटी नहीं मिलती । हिंसा वह आदमी करता है जिसके लिए सब दरवाज़े बन्द हो जाते हैं ।

आपकी श्रम नीति ऐसी है कि उनके लिए आपके सब दरवाजे बन्द होते जा रहे हैं । आपके दरवाजे उन नौजवानों के लिए भी बन्द होते जा रहे हैं जो बेकार लोग सदैव सेवायोजन कार्यालय के चारों तरफ घूमा करते हैं । उन दरवाजों को खोलने के लिए क्या वे आपका घेराव नहीं करेंगे ? उसमें नाकामयाबी होने पर क्या वे हिंसा का सहारा नहीं लेंगे ? फिर आपकी यह श्रम नीति धरी की धरी रह जायेगी और जो नया अध्याय आप उसमें जोड़ने जा रहे हैं उसके बारे में चौराहे पर खड़े होकर आपसे पूछा जायेगा कि बताओ शक्ति तुम्हारी श्रमनीति से निकली है या बन्दूक की नली से । मैं यह दिन उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के लिए देखना नहीं चाहता हूं वह खून खराबी का दिन होगा । सरकार या तो अपनी नीतियों को बदलें, सोचने का तरीका बदले, नहीं तो इस दिन को कोई रोक नहीं सकेगा । आप सब जेबों से पैसा निकाल कर चन्द जेबों में रखना छोड़ दें, नहीं तो उत्तर प्रदेश २२ वर्ष में कहां पहुंच गया और ४-५ वर्षों में कहां पहुंच जायेगा, यह आप सोच लें । आपकी श्रम संबंधी सारी नीतियां दोषपूर्ण हैं । आपके नियमों से मजदूरों को हानि होती है। उन्हें मजबूर होकर आपके नियमों को तोड़ना पड़ता है। अच्छा हो कि आप अपने नीति को बदलें, नियमों में सुधार करें, जिससे लोगों को उन्हें तोड़ने को विवश न होना पड़े । अपनी नीतियों को आप बदलें उसे मरोड़ना बन्द करें । क्या आप कोई ऐसी योजना नहीं बना सकते जिसमें बेकारों को काम दिया जा सकता हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे निरक्षरों को पढ़ाना हो चाहे ग्रामों में उद्योगों के विकास का काम हो । यदि आप उनको काम नहीं दे सकते हैं तो कुछ दिन पूरे उत्तर प्रदेश के बजट को आप रोक कर इस बात की व्यवस्था करें कि बेकार व्यक्ति किसी भी गांव में रहे अपना पेट हमेशा सरकार से पैसा लेकर भरता रहे, जिससे कि वह माओ को अपना चेयरमैन न कह सके । यहां आपका दिमाग इस तरफ जाता ही नहीं है ।

भारत की जो परम्परा रही है, अहिंसा में उसका जो विश्वास रहा है, उसको तोड़ने के लिये लोगों का ध्यान जा रहा है। सदस्य कानपुर ने कहा कि यहां से बेरोजगारी दूर हो । जिस सरकार का ध्यान बेरोजगारों की तरफ नहीं है, वह मजदूरों की तरफ और पूरे हिन्दुस्तान की तरफ ध्यान नहीं देगी । श्रम मंत्री जी इस बात को नोट कर लें कि यदि आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, यदि आप बेकारों को भत्ता या काम नहीं दे पाते हैं, तो यह आपकी सरकार किस तरफ जा रही है, इसे आप पहचानें । मैं तो यहां उस दिन को देखने के लिए भी तैयार नहीं हूं, जब कि एक लाख कुछ हजार आदमी केवल एक रात में समाप्त कर दिये गय थे लेनिन की रूसी

[श्री अनीसुर्रहमान]

क्रांति के समय में आप जिस कुर्सी पर भी बैठिये, उस पर यह सोच कर बैठिये कि आपको कोई नया काम करना है। तभी आप ध्यान करेंगे कि रिक्शाचालक का, बेरोजगार घूमने वालों का और ट्रेड यूनियन के झंडे के नीचे लड़ने वाले लोगों का कि उनकी सही मांगें क्या हैं ? नहीं तो आप भ्रष्ट ज्वाइंट डाइरेक्टर के लिखे पढ़े पर ही ध्यान देंगे जो कि आपसे आई०टी० आई० के गलत खर्चों पर ही आपकी मोहर लगवाता रहेगा ।

अब मैं आपका ध्यान बोनस की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह कभी वेतन के साथ में दे दिया जाता है और अधिकतर मालिक हजम कर लिया करता है। होना यह चाहिये कि आप किसी भी कारखाने का प्रोडक्शन देखिये, अगर श्रमिकों ने वहां का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो उसके अनुपात से मजदूरों को बोनस मिलना चाहिये । बोनस को मालिकों या किसी कमीशन की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिये । नहीं तो बोनस के नाम पर फजीता और झगड़ा ही बढ़ता रहेगा ।

एक और छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, डिसमिसल की बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । डिशमिसल हो जाता है, कुछ दिन नौकर रखने के बाद पहियों के जरिये मजदूर की सारी शक्ति सेठ के यहां पहुंच जाती है और फिर उसकी शक्ति और खून निचोड़ने के बाद सेठ उसे बरखास्त कर देता है । उसके लिए आपने अपील का रास्ता खोल दिया, ट्रिब्युनल बना हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई रास्ता नहीं है । अपील वाली जो बात है वह निश्चित रूप से डिसमिशल होने वाले को मिलनी चाहिये । कैसी निकम्मी सरकार है जो इस तरह की गन्दी नीति चला रही है। और यहां उसके प्रतिनिधि कैसे हैं जो अपनी बात न कह सकें । बेशर्म सरकार की जगह श्रम की सरकार बने और वह काम करे ताकि गरीब इंसान और उत्तर प्रदेश का भला हो । इन शब्दों के साथ मैं उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और तीन करोड़ के अनुदान का विरोध करता हूं ।

*श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)--

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार का और विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । गरीब, बेकार, बेरोजगार, विशेषकर उन खेतिहर मजदूरों की ओर जिसमें अधिकतर हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, जिनके पास रहने के लिए भूमि नहीं है, उनके विषय में माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जिस हल और हलवाहे के बल पर जीत कर मुख्य मंत्री हुये हैं, उनकी सरकार कायम हुई है, वह बजट में मजदूर किसानों के लिए कुछ भी देने के लिये तैयार नहीं हैं । मैं देख रहा हूं कि ११ जिलों में कुछ श्रम नियोजन केंद्र कायम किये हैं मजदूरों के लिए । बाकी जिलों के किसान मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मुख्य मंत्री का यह व्यवहार कहां तक सही है।

दूसरे मैं मेहतरों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके संबंध में आज कोई भी सदस्य नहीं बोले हैं । मैं देख रहा हूं कि इंडिकेट और सिंडिकेट बापू के उस समाजवाद को हमेशा दोहराते रहते हैं लेकिन उस पर चलने को तैयार नहीं हैं। वह समाजवाद में मेहतर समाज को, जो श्रमिक हैं, पूरे समाज की गन्दगी को दूर करते हैं, उनको क्या दे रहे हैं ? बड़े बड़े कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जो १ हजार से २०० रुपये तक पा रहे हैं लेकिन जो मेहतर है जो नागरिकों का गलीज फेंक रहा है उसको ३०, ४०,५० रुपये मिलते हैं । यह शर्म की बात है, बापू के नाम को कलंकित करते हैं । गुप्ता जी की सरकार रही उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी मेहतरों के साथ वही व्यवहार किया गया आज माननीय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह की सरकार का वही व्यवहार है। किसान मजदूर की तीन आने से ले कर एक रुपये तक मजदूरी है। तीन आने से लेकर एक रुपया मजदूरी पाने वाला किस प्रकार अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है, जब हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं । हमारे किसान मजदूर, भूमिहीन, हरिजन पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते । इसके साथ साथ जो हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी तरह से उनके मातापिता ने शिक्षा दिलायी है, उनके लिए १८ परसेंट का जो रिजर्वेशन रखा गया है वह केवल कागज में हैं, प्रैक्टिकल में बिलकुल नहीं है।

मैं मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि वह समाजवाद को लाना चाहते हैं तो १८ परसेंट हरिजनों का जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उनकी नियुक्ति ४५,५० प्रतिशत कर दी जाय जब तक कि वह कोटा पूरा न हो जाय । लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है और श्रमिकों के मामले में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं उन्हीं के हित के लिए सारे नियम व कानून होते हैं । मैं उपाध्यक्ष महोदय आपका ध्यान फैक्टरी के मजदूरों की ओर दिलाना चाहता हूं । कर्मचारी बीमा योजना में डाक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत होती है लेकिन वहां जो प्रबन्धक हैं वे डाक्टर के उस प्रमाण पत्र को मानने को तैयार नहीं हैं । हिन्द अल्मूनियम फैक्टरी में ३ वर्ष से जो निरीक्षक है उसने न कोई जांच की और न सरकार के पास काई रिपोर्ट भेजी और सरकार की तरफ से उसके प्रबन्धक जो नियम बने हैं उनको भी मानने की तैयार नहीं हैं । अगर सरकार सच्चा समाजवाद लाना चाहती है तो पहले खेतिहर मजदूरों व पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक सुविधा दे और उनके रहने के लिए नगरों में आवास का प्रबन्ध करें ।

*श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । जहां तक मजदूरों को सुविधा देने का प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुविधा उनको अवश्य मिलनी चाहिये । उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठना चाहिये । उनको हर प्रकार की सुविधा शिक्षा तथा दवादारू के संबंध में मिलना चाहिये लेकिन साथ ही साथ यह भी हवा में उड़ने वाली बात है कि सारी सुविधायें उनको मिलना चाहिये लेकिन समाज के प्रति वे कितना अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं, यह भी हमको देखना होगा । वोट मिले या न मिले, वोट लेने के लिए भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना बन्द करना होगा और वोट लेने की डिवाइसेज बन्द करनी होंगी । नाराज न हो जायं मजदूर व किसान भगवान, इसलिये उनको खुश रखो और गला फाड़ कर चिल्लाओ ताकि वह सुन लें, इस नीति के अन्तर्गत कार्य करना सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा देशद्रोह है।

मैं इसे देश द्रोह नहीं मानता हूं । अगर हम ईमानदार हैं और हममें इस बात की ईमानदारी है कि मजदूरों को सुविधा मिले तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे मजदूर भी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं या नहीं । क्या कारण है कि दिनोदिन उत्पादन घटता जा रहा है? क्या कारण है कि हमारा जितना टारगेट है वह पूरा नहीं होता ? इसलिये मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान विशेषतौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ओर तो आप यह पहलू रखिये कि मजदूरों के कष्टों का निवारण आवश्यक है क्योंकि वे भी इंसान हैं उनको भी जीवित रहने के लायक आपको सुविधा देनी पड़ेगी किन्तु दूसरी ओर प्रदेश की उत्पादन की हालात से आप आंखें न मूंदिये । वे कितना उत्पादन बढ़ाते हैं, कितनी कुशलता से कार्य करते हैं, कितनी टेक्निकल और कारीगरी में वे उन्नति करते हैं यह भी आपको देखना पड़ेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमदनमोहन मिश्र]

इस संबंध में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मजदूरों को जो सुविधायें दी जाती हैं उसका उपभोग और उपयोग ५० प्रतिशत अधिकारीगण करते हैं । ५० प्रतिशत ही मजदूरों के पास जाता है। मजदूर लोग हड़ताल करते हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान और हानि इस देश को हो रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जितने भी लोग शोर-शराबा मचाते हैं वे तो मजे में रहते हैं और जो शोर-शराबा नहीं करते हैं वे कष्ट में रहते हैं । उनकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । मजदूरों से मेरा मतलब केवल बड़ी-बड़ी फैक्टरियों और बड़ी -बड़ी मिलों में काम करने वाले मजदूरों से नहीं है बल्कि मतलब सबसे अधिक खेतिहर मजदूरों से है जिनको कि चार-आठ आने मजदूरी मिलती है । यदि उनको अपने परिवार के लिये खाने के वास्ते ४ रोज के लिये १ मन गल्ले की आवश्यकता है तो उनको केवल २० सेर गल्ला ही दिया जाता है और उन्हें उस गल्ले को ८ रोज तक खाने के लिये मजबूर किया जाता है।

इसका यह नतीजा होता है कि अपना पेट भरने लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, इधर उधर से मांगना पड़ता है ताकि वह अपने बच्चों को खिला-पिला सके । वह दूसरी जगह पर काम भी नहीं कर पाता है क्योंकि गांव के जो बडे लोग हैं जो सरगना लोग हैं उनकी लाठी में ताकत है, जो गुंडे और बदमाश लोग हैं उनका भला करते हैं व जबरदस्ती उनसे काम करवाते रहते हैं । उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ बिजली कर्मचारियों के वेतन संबंधी एक प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा था । मैं भी उसका समर्थन करता हूं । बिजली कर्मचारियों के वेतन रिवाइज होने चाहिये । और जो कर्मचारी हैं उन्हीं के स्तर पर उनका भी वेतन निर्धारित होना चाहिये । प्राइवेट कम्पनियों के मजदूरों की क्या हालत है। उसे आप देखिये । उनकी हालत यह है कि आजकल ९ बजे सुबह दुकान खोलने का समय होता है और शायद जाड़ों में १० बजे का समय दुकान खोलने का है। किन्तु वह मजदूर सवेरे ७ बजे ही दुकान खोलकर झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। वहां पर आपका कानून मदद नहीं करता है, वहां पर आपका अधिकारी मदद नहीं कर पाता है। दिन भर उस दुकान में काम करना पड़ता है। दुकानदार को खुश रखना पड़ता है। शाम को ८ बजे दुकान बन्द हो जानी चाहिये किन्तु होता यह है कि बाहर से दरवाजा तो बन्द कर दिया जाता है और अन्दर वह मजदूर काम करते रहते हैं । आज वह मजदूर चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, मुनीम हो, या सेल्समैन हो, शाप ऐक्ट के हिसाब से उसको अधिक काम करना पड़ता है, बरना उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं है । यही हालत रेस्टारेंट और होटलों के मजदूरों की है। माननीय मंत्री जी में मजदूरों के उत्थान के लिए जजबात हैं, उनको मजदूरों की भलाई करने का इससे अधिक अच्छा मौका नहीं मिलेगा और वे आज उनके लिये कुछ करके उनके बीच में अपने लिये एक अच्छा स्थान बना सकते हैं ।

रायबरेली में न तो कोई बड़ी फैक्टरी है, न कोई मिल है । वहां पर मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं । उसी से वे अपनी रोजी रोटी पालते हैं । यह काम वहां पर ठेके पर होता है, इसलिये मजदूरों को कोई सुविधायें नहीं मिल पाती हैं । काम ज्यादा लिया जाता है और पैसा उनको कम दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान रायबरेली के बीड़ी मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उनको वे वही सुविधायें दिलाने की कृपा करें जो बड़े बड़े कारखाने के मजदूरों को मिली हुई हैं । उनके बच्चों के खेलने और उनकी शिक्षा के लिए प्रबन्ध कराया जाय । इसी प्रकार का प्रबन्ध रिक्शा चालकों के लिए भी कराया जाय ।

हमारे यहां आई० टी० आई० है। वहां कई विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन जब लड़के पढ़ कर निकलते हैं तो उनको कोई धंधा नहीं मिल पाता । उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाय कि अगर उनको नौकरी न मिले तो वे अपना स्वयं का रोजगार कर लें । आप

उनको कुछ लोन व अनुदान इस कार्य के लिये देते हैं । लेकिन वह समय पर नहीं मिलता । दूसरे अगर एक हजार उसको मिलना है तो १००-१५० रुपया रिश्वत दे देनी पड़ती है । जो रुपया एक महीने या पंद्रह दिन में मिल जाना चाहिये वह ६ महीने या साल भर में मिल पाता है ।

शुगर मिलों के बारे में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है । बड़े बड़े पूंजीपति इस कोशिश में सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं कि शुगरमिलों का समाजीकरण न होने पाये और प्राइवेट ही चलती रहें । मेरी प्रार्थना है कि घोषित नीति के अनुसार ही उनका नेशनेलाइजेशन किया जाय । एक भी कदम उस बारे में पीछे रखना ठीक न होगा और उनकी हालत को सुधारना होगा । इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि जिन मिलों को हम चला रहे हैं, उनको लेने के पहले उनकी लाइबिलिटीज और असेट्स क्या थे और आपके उनको ले ने के बाद क्या हो गये हैं । इस बात का भी पता आपको लगाना होगा । मजदूरों के संबंध में मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि आप उनकी तनख्वाह, उनके कपड़े और उनके रहने की व्यवस्था करें । आज सबसे बड़ी समस्या जो बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूरों की है वह उनके रहने की है । आज शहरों में ६०.८ परसेंट मजदूर टी० बी० से एफेक्टेड हैं । नतीजा यह है कि छुट्टी में या रिटायर होने के बाद जब वे अपने अपने जिलों में जाते हैं तो वहां पर टी०बी० का वरदान ले कर जाते हैं और उन जिलों में टी०बी० फैलती है। टी०बी० फैलने का मुख्य कारण यह है कि उनकी लिविंग कंडीशन्स बहुत खराब है ।

इसके अतिरिक्त, मैं आपका ध्यान नगर में जो सफाई मजदूर हैं, जो मेहतर भाई हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूं । हरिजनों का नाम तो बहुत लिया जाता है लेकिन मैं तो यहां तक कहूंगा कि हरिजन नेता भी हरिजनों की स्थिति को उठाने में सीरियस नहीं है। वे हरिजनों का नाम लेकर फायदा तो उठाते हैं लेकिन वास्तव में हरिजनों का उत्थान होता है या नहीं इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सफाई मजदूर हैं उनकी ओर आप ध्यान दें और इनके आवास, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करें । आज गरीब मजदूर जब तनख्वाह पाता है तो पहले ही वहां पर आगा या महाजन लोग आफिस में लाठी ले कर खड़े हो जाते हैं और जो तनख्वाह वह पाता है उसको वे लोग ले भी लेते हैं । नतीजा यह होता है कि दुखी होकर मायूसी से जब वह भर जाता है तो शराब या स्पिरिट पी कर अपने गम को गलत करने की कोशिश करता है। तो इस ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही मजदूर ज्यादा ईमानदारी के साथ काम करें इस संबंध में मेरा सुझाव है कि मजदूरों को मुनाफे में हिस्सेदार बनायें तब उनका मन ज्यादा लगेगा काम करने में और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी जिस से हमारा देश और प्रदेश समुन्नत होगा । इसलिये जो भी कारखाना हो उसमें लेबर को प्राफिट में हिस्सा दें और जो कमेटी बनायें उसमें जहां और लोगों को रखें वहां लेबर और कंज्यूमर्स के रेप्रेजेंटेटिव्ज को भी रखिये, ट्रेड यूनियन वर्कर्स को भी रखिये । इस तरह से सर्वांगीण विकास के लिए सब लोगों के सुझाव मिलेंगे । श्रम मंत्री जी तो स्वयं इतना अच्छा काम करने वाले हैं कि मैं समझता हूं कि उनको इस बात का खुद ही ध्यान होगा कि मजदूरों की हालत सुधरे । मुझे आशा है कि वह इसे एक नई दिशा देंगे जिससे मजदूरों का कल्याण हो सके । इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्रम मंत्री द्वारा पेश किया गया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री राज मंगल पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि कटौती के बहुत से प्रस्ताव हैं और मसला बहुत पेचीदा है इसलिये मुझे कम से कम वक्त जरूर दें ताकि मैं पूरी बातें कह सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कितना समय चाहते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

अगर आप दे सकें तो एक घंटा चाहूंगा नहीं तो कम से कम ४५ मिनट तो जरूर दें ।

श्री रामप्यारे--

एक व्यवस्था की बात थी। ऐसा है कि आप जानते हैं कि विरोधी पक्ष में सबसे अधिक संख्या हम लोगों की है और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि आप पार्टीवाइज सदस्यों को बुलाते हैं। फलस्वरूप जबकि हम अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याओं को यहां सदन में रखते हैं, हमको कम समय मिलता है उन समस्याओं को रखने का। तो जहां आप और पार्टियों का खयाल रखें वहां सदस्यों की संख्या का भी ख्याल रखें।

श्री उपाध्यक्ष--

रखेंगे और ध्यान देंगे।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे श्रम अनुदान पर बोलने के लिए अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस अनुदान के लिए जो धनराशि रखी गयी है वह बहुत कम है, अगर हम देखें कि शहरों में रहने वाले श्रमिक, देहातों में रहने वाले खेत मजदूर, रिक्शा वाले, खोमचे वाले, ठेले व पटरी वाले इनकी तादाद देखते हैं तो करीब ७ करोड़ बैठती है और इस तरह से आठ आने प्रति मजदूर इस अनुदान में रखा गया है। यानी एक साल में एक मजदूर पर आठ आने खर्च होगा। इसी में उनका श्रम हितकारी केन्द्र और ट्रेनिंग स्कूल अस्पताल और कालोनी और दूसरे विभाग आ जाते हैं। तो इस मुहकमे की जितनी जरूरत है उसके मुताबिक बजट में अनुदान की रकम बहुत ही कम है।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह श्रम विभाग आज श्रमिक विभाग न होकर मिल-मालिकों का विभाग बन गया है। यह मिल मालिकों को श्रमिकों को निकालने के लिए कानून बताता है, उन पर चार्जशीट लगाने के लिए तरह-तरह का शोषण करने के लिए कि किस तरह से उनको तंग किया जाय वह सारे कानून बताता है और इस प्रकार मिल मालिकों के हितों की रक्षा करता है बजाय श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के। जितने श्रमिक अफसर हैं ये सब मिल मालिकों की कारों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें सैर करते हैं, उनके गेस्ट हाउसेज में ठहरते हैं और जब उनकी मिलों से वापस जाते हैं तो उस मिल में बने हुए सामान की पेटियां ले लेकर चले जाते हैं। मोहन नगर में मैं आपको बतलाना चाहता हूं जो मैं रोज देखता हूं। वहां उत्तर प्रदेश के जितने श्रमिक अधिकारी हैं वह एक-एक हफ्ते जाकर वहां ठहरते हैं और जब चलते हैं तो शराब की पेटियों की पेटियां अपनी कारों में ले जाते हैं। तो जब मिल मालिकों से शराब की पेटियां लेंगे, उनसे नजराना लेंगे, उनकी कारों का इस्तेमाल करेंगे, गेस्ट हाउसों का इस्तेमाल करेंगे तो वह श्रमिक अधिकारी पूंजीपतियों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे ?

तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि श्रम विभाग पूर्णतया मिल मालिकों का विभाग बन गया है, मजदूर का नहीं है मजदूर के साथ सौतेले व्यवहार करता है मिल में अधिकारियों की साजिश से मजदूरों को तरह-तरह से तंग कराया जाता है, मजदूरों की वेतन वृद्धि महंगाई की मांग की पैरवी नहीं की जाती है। जब मजदूर चार्जशीट का जवाब लेकर जाता है या कोई फरियाद लेकर जाता है तो श्रम निरीक्षक उसकी जांच नहीं करता और ए० आर० सी० ओ० या दूसरे जो अधिकारी हैं वह सब मजदूरों को उल्टा धमकाते व लताड़ते हैं। अगर वह जांच करने गया भी तो मिल-मालिक ने जो कुछ बतला दिया वह कच्चे थे या बिना छुट्टी की दरख्वास्त दिय, छुट्टी पर चले गये या देर से आये और अगर वह माफी मांगें तो मिल-मालिक रख सकते हैं यह जवाब काम निरीक्षक जांच के बाद श्रमिक को भेजता है।

तो जब श्रम निरीक्षक यह लिखता है और ऐसी भाषा बोलता है तो वह मिल मालिकों की भाषा बोलता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस विभाग को तोड़ देना चाहिये या इसके जितने भी कानून व नियम हैं उनमें ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहिए जिससे श्रमिकों की रक्षा हो और वह मिल-मालिकों का हित न साध सकें ।

इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो फैक्टरी इंस्पेक्टर हैं वह कभी फैक्टरियों में जाकर देखते नहीं हैं। मिल का मजदूर जब शिकायत करता है कि न उसके लिए टट्टी का इन्तजाम है न पेशाब का, न पानी पीने को मिलता है, न खाना खाने के लिए कोई जगह है, न जब ड्यूटी खत्म करता है तो विश्राम के लिए कोई स्थान है, न हाथ धोने का साबुन, न लू से बचने के लिए टिन या दीवार का सहारा, न वर्दी है न ही ओवरटाइम डबल है और न किसी प्रकार की कोई आराम की व्यवस्था है, जब इस तरह की शिकायत करता है तो फैक्टरी इन्स्पेक्टर मिल में जाता है और कोका कोला या चाय पीकर और अपनी जेब गर्म करके चला जाता है ।

श्रमिकों से जाकर कभी पूछते नहीं, उनकी शिकायतों की जांच नहीं करते कि तुमको क्या तकलीफ है और किस लिये तुमने शिकायत की है । अब मजदूरों के पास जाकर वे उनकी शिकायत की जांच नहीं कर पाते तो ऐसा मुकद्दमा बेकार है। वे मजदूरों का शोषण कराते हैं और पूंजीपतियों के धन के लालच में आकर मजदूरों को तंग कराते हैं, मिल मालिकों को एवं उनके चापलूसों से। लेबर इन्स्पेक्टर का मुहकमा हो या कोई भी श्रमिक मुहकमा हो, या तो उन्हें तोड़ देना चाहिए या फिर कानून में ऐसा परिवर्तन करना चाहिये जिससे वे मजदूरों के हितों की रक्षा करने लगें। इसके साथ ही साथ जहां श्रमिक बस्तियां हैं, जहां वे बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं वहां उनके लिये सस्ते क्वार्टर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं गाजियाबाद को लेना चाहता हूं।

गाजियाबाद में करीब-करीब ५० हजार मजदूर रहते हैं। ५० हजार मजदूरों के वहां रहने के लिये मकानों की कोई व्यवस्था नहीं है। गाजियाबाद में ५०, ६० रु० का कमरा मिलता है और मजदूर का वेतन ६० से ८० रु० प्रति माह है। हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज जो गरीबों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की व्यवस्था करती है जिसका उद्देश्य ही गरीबों के मकान बनवाना है, वह भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या बड़े-बड़े आदमियों को ही ऋण देती है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो मकान बने हैं या बनते हैं वे बड़े-बड़े आफीसरों, या ज्यादा तनख्वाह व आमदनी वालों को ही मिलते हैं, मजदूरों को वे मकान नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनका किराया ज्यादा होता है । ऐसे शहरों में जहां मजदूरों की आबादी २० हजार, ५० हजार या एक लाख से ज्यादा है वहां हाउसिंग को आपरेटिव सोसाइटो से, या बैंकों से या बीमा कम्पनियों से कर्जा लेकर मजदूरों के लिये बड़े पैमाने पर हजारों मकान बनवा कर देने चाहिये ताकि वह मजदूर ५, १० रुपये महीने किराये के क्वार्टर लेकर रह सके और हायर परचेज स्कीम के अन्तर्गत ५, १० रुपये महीने की सस्ती किस्तों के सहारे उस मकान को कुछ ही वर्षों में मजदूर उसका मालिक बना दिया जाय। जिससे वह अपने बच्चों के रहने के लिये प्रबन्ध कर सकें।

(इस समय ३ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामधारी शास्त्री पीठासीन हुए।)

इसके साथ ही साथ चाहे बिजली कम्पनी के मजदूर हों, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूर हों, चाहे नगरपालिका के कर्मचारी हों चाहे रोडवेज के कर्मचारी हों चाहे किसी भी सरकारी बिभाग के कर्मचारी हों, या मिलों में काम करने वाले मजदूर हों, या खेतों में काम करने वाले मजदूर हों, जितना भी मजदूर हैं, उनका न्यूनतम वेतन कम से कम १५० रु० मासिक रखा जाय। इसके साथ ही साथ आज की महंगाई को देखते हुए उन्हें मकान किराया भी भत्ते के

[श्री प्यारे लाल]

रूप में दिया जाय। यदि उनकी तनख्वाह १५० रु० कर दी जायगी और मकान मुफ्त होगा तो फिर मजदूर अपने बच्चों को भर पेट रोटी दे सकेगा, अपने बच्चों को तन ढकने के लिये कपड़े दे सकेगा, उनकी पढ़ाई व दवा वगैरह का प्रबन्ध कर सकेगा। यदि आप १५० रु० से कम तनख्वाह देंगे तो चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी प्राइवेट कम्पनी का मजदूर हो, वह हमेशा गरीब बना रहेगा। उनके बच्चे नंगे रहेंगे, वह बच्चों को दवा का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा, उनकी पढ़ाई नहीं कर सकेगा तथा उनके बच्चे भूखे पेट ही रहेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं श्रम मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरठ जैसे शहर में दो ट्रेनिंग स्कूल हैं जहां श्रमिकों की तादाद बहुत कम हैं लेकिन गाजियाबाद और मोदीनगर में जहां एक लाख से अधिक मजदूर रहते हैं, एक भी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। लिहाजा ऐसे सेन्टर पर जहां मजदूरों की तादाद ज्यादा हो ट्रेनिंग स्कूल खोलने चाहिये। गाजियाबाद में जहां ५२ गांवों को बर्बाद करके नगर को उन्नत किया गया है, जहां के किसान बेकार हो गये, जहां के किसान मजदूर बना दिये गये, उनके बच्चे जो आज तक किसानी का काम करते थे, हल चलाते थे, वे नहीं जानते थे कि मिल क्या है, और मिलों में किस तरह से काम किया जाता है, ऐसे नगर के लिये एक ट्रेनिंग स्कूल की बहुत बड़ी आवश्यकता है जहां उन किसानों के बच्चे दर-दर की ठोकरें खाने के बजाय काम सीखें। इन स्कूलों में जाकर वे ट्रेनिंग पायेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद मिलों में टेक्निकल जाब पर उनको नौकरी मिलेगी जिससे वे अपने बच्चों के पेट भर सकेंगे।

इसके साथ ही साथ जहां मजदूर बस्ती है, मिसाल के तौर पर गाजियाबाद जो मजदूर बस्ती है वहां केवल ७५० क्वार्टर्स हैं लेकिन वहां न कोई अस्पताल है जहां से वे अपने व अपने बच्चों के लिये दवा ले सकें और न कोई स्कूल है। इसलिये वहां अस्पताल खोला जाय, वहां स्कूल खोले जायं जहां उन गरीब मजदूरों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। यदि उनकी दवा का इन्तजाम न किया गया, यदि उनके बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम न किया गया, तो हमारे विधान सभा के साथी जो कहते हैं कि नक्सलवादी आ रहे हैं और बंगाल में आ गये हैं और लखीमपुर खीरी में भी आ गये हैं, यह उत्तर प्रदेश भी बंगाल बन जायेगा और उत्तर प्रदेश के घर-घर नक्सलवादी पैदा होंगे। बंगाल के नक्सलवादी चीन से प्रेरणा लेते हैं हम सब देशी नक्सलवादी बनेंगे और फिर बड़े-बड़े भू-खंडों, मिलों एवं सम्पत्ति पर कब्जा कर गैर बराबरी को खत्म करेंगे।

जो रोटी मांगता वह नक्सलवादी कहा जाता जो भूमि मांगता है नक्सलवादी कहा जाता है। अगर इन मजदूरों की समस्या को हल न किया गया तो जो ७ करोड़ मजदूर देश में है सारे के सारे नक्सलवादी बन जायेंगे और सारे एक जुट होकर संघर्ष करेंगे। और सारे प्रदेश में नक्सलवादियों की आग भड़क उठेगी। आज आप देखें मजदूरों को बीमा की सुविधा नहीं है, मुश्किल से १ फीसदी मजदूरों का बीमा है। आंकड़ों के अनुसार २,८८,५०,१४१ मजदूर काम करते हैं जिनमें बीमा योजना के अन्तर्गत २,८१,६३७ मजदूर आते हैं। इसके लिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बीमा की योजना सारे के सारे मजदूरों पर लागू होनी चाहिये तथा बीमा की किस्तें मासिक हों आसान हो।

इसी के साथ-साथ श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की यूनियन का जन्म गुप्त मतदान के आधार पर होना चाहिये। अभी तक यह होता है कि पूंजीपतियों के हाथ लम्बे होने के कारण और सरकार के अफसर भ्रष्ट होने के कारण यूनियनें रजिस्टर्ड नहीं हो पाती हैं रजिस्ट्रेशन में वर्षों लग जाते हैं। तो इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। प्राविडेंट फण्ड के बारे में मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका कानून बहुत ही लचर है। अगर कोई मजदूर निकाल दिया जाता है और उसकी ५, १० वर्ष की नौकरी है तो उसके निकलने में मजदूर के कई-कई साल लिखापढ़ी करनी पड़ती है तब

उसको प्राविडेन्ट फण्ड का पैसा मिल पाता है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि १ या २ महीने के भीतर उसको यह पैसा मिल जाना चाहियें। ऐसा फण्ड के कानून में संशोधन होना अनिवार्य है।

इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से, श्रीमन् आपके माध्यम द्वारा, कि श्रमिकों के लिये जो क्वार्टर की स्कीम रखी है, कानून में ऐसा परिवर्तन करें जिससे हर श्रमिक को क्वार्टर मिल जाय। मजदूरों के क्वार्टर की समस्या हल होगी, उनके वेतन और महंगाई भत्ते का प्रश्न हल होगा तो मजदूर खुशहाल होगा और जब मजदूर खुशहाल होगा तो देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिलों का उत्पादन बढ़ेगा और इससे देश खुशहाल होगा, सरकार को ज्यादा कर मिलेगा और सरकार भी खुशहाल होगी। अगर इसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इसी प्रकार की उपेक्षा की जैसी कि आज तक करती चली आई है तो देश में जो समाजवाद की आंधी जोरों से चल रही है, वह पूंजीपतियों को भी और सरकार को भी जो मिल मालिकों की हमदर्दी करती है उनको उखाड़ कर फेंक देगी और सारा देश लाल-लाल नजर आयेगा। मजदूर व किसान का राज्य कायम होगा पूंजीपतियों का सफाया होगा कोई रोक नहीं सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं मलिखान सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है। मंत्री जी ने बोलने के लिये एक घंटा मांगा है। एक घंटा नहीं, तो आध घण्टा जरूर लेंगे। सरकार के पक्ष में जो हैं वह तो अपनी बात कह देते हैं, लेकिन हम लोगों को बोलने का अवसर कम मिलता है। यह अच्छा होगा यदि आप विरोधी पक्ष वालों को बोलने का मौका दें। सरकार तो फिर भी है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझको श्रम तथा सेवायोजन जैसे महत्वपूर्ण अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। सरकार के अन्तर्गत बहुत से विभाग होते हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने उन विभागों को निश्चित करते समय अपना कोई उद्देश्य भी सामने रखा होगा और उसको सामने रख कर ही विभाग का महत्व निश्चित किया जाना चाहिये। साथ ही उसका कोई मूल्यांकन भी सामने होना चाहिए कि वह विभाग हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने में कहां तक उपयोगी है। मान्वयर, इस समय दो चीजें बड़ी जोर के साथ सामने आ रही हैं, एक तो यह कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और उसे हमको विकसित करना है और भारतवर्ष के नक्शे पर अपने प्रदेश को भी ऐसा स्थान दिलवाना है कि वह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश न कहा जाय।

दूसरी चीज है समाजवाद की बात। माध्यम समाजवाद है और उसके द्वारा हम अपने प्रदेश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इस दृष्टि से श्रम तथा सेवायोजन का हमारा विभाग हमारे प्रदेश के भविष्य के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सोचें कि प्रदेश की जो उन्नति करने का सवाल है वह श्रम शक्ति के बिना कैसे हल हो सकता है। यह प्रश्न सबसे मौलिक है। क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि बगैर श्रम शक्ति के सहयोग के हम प्रदेश का नक्शा देश में बना सकेंगे। यह सम्भव नहीं है। ऐसी सूरत में हमारी निगाहें अपने आप श्रमिक भाइयों की तरफ पहुंच जाती हैं जो आज हमारे समाज का सब से ज्यादा कमजोर अंग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है और उसको आगे बढ़ा कर ही हम अपने देश और प्रदेश के लिये उन्नति और विकास का मार्ग खोल सकते हैं। उसका हमको उपयोग करना है। यह काम श्रम विभाग से ही हो सकता है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह विभाग हमारे देश और प्रदेश के लिये बड़ा आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आता कि हमारे इस अनुदान के लिये बजट के केवल एक फीसदी का ही प्राविधान कैस किया गया है। यह देखकर एसा लगता है कि शायद उसका मूल्यांकन करने में सरकार ने कोई ज्यादा अच्छा इन्साफ नहीं किया इस प्रदेश के साथ।

[श्री रघुनाथ सिंह]

मान्यवर, माननीय गणेशदत्त जी बाजपेयी ने अपने संक्षिप्त भाषण में बड़ी ही मौलिक बातें बताई हैं। मैं उनका बहुत ही अनुग्रहीत हूं। मुझे इस विभाग का बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है और उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हुआ मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज लोगों की आकांक्षायें जग गई हैं, लोग समझने लगे हैं कि जिस समाजवाद की हम बात करते हैं वह हमारी पकड़ के अन्दर आ रहा है। ऐसी दशा में उन उद्देश्यों के लिये हमको पूर्ण रूप से ईमानदार होना चाहिये और सिन्सियरिटी आफ परपज के बगैर मैं समझता हूं कि हम अपने प्रदेश और देश के लिये कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो श्रम विभाग की ओर से प्रकाशित की गई है इसमें कहने के लिए बड़ी अच्छी-अच्छी योजनाएं हैं। तमाम श्रम कल्याण की योजनाएं हैं, और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन वास्तव में, एक बात देखने की है कि क्या अब तक श्रम की प्रतिष्ठा हम स्थापित कर सके अपने प्रदेश में। बड़ी मौलिक बात है। जिस वर्ग का इतना बड़ा योगदान हमारे देश और प्रदेश के प्रति हो अगर उसकी समाज में हम प्रतिष्ठा ही न स्थापित कर पाए तो हम जहां के तहां रहेंगे। इन श्रम कल्याण योजनाओं और केन्द्रों से कुछ प्ले ग्राउन्ड और सिनेमाघर बनाने से क्या होने वाला है? जब तक हम समस्या की तह में न जायं। श्रीमन्, एक मिसाल दूंगा। कानपुर में लेबर क्वार्टर्स की एक बड़ी समस्या है। वहां करीब सात हजार मजदूरों के घरों पर दूसरे लोग आबाद हैं और सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि उन लोगों को निकाल कर मजदूरों को उनमें बसाया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात की बड़ी भारी वकालत करना चाहता हूं। अगर मजदूरों के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसका निराकरण होना ही चाहिए लेकिन मौलिक रूप से अगर आप समस्या के अन्दर जायं तो देखेंगे कि मजदूरों के लिए जो क्वार्टर्स बनाये गये उनका किराया ही इतना ज्यादा रखा गया कि मजदूर उसको वहन नहीं कर सकता। वह उसकी क्षमता के बाहर था इसलिए हो सकता है कि कुछने, पगड़ी ले ली हो और दूसरे लोगों को बसा दिया हो। सरकार के सामने यह चीज आई है तो उसको बगैर किसी पक्षपात के सोचना चाहिए। श्रीमन्, मजदूरों को बसाने की समस्या है और साथ ही उन सात हजार परिवारों को भी बसाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है जो वहां से हटेंगे। वहां से हटा कर वह सड़क पर कर दिये गए तो क्या विप्लव मचेगा इसकी कल्पना सरकार को होनी चाहिए। एक श्रमायुक्त वहां पर गए जिन्होंने क्वार्टरों का किराया उन अनधिकृत लोगों से लेना बन्द कर दिया। नतीजा यह है कि सरकार का लाखों रुपया बकाया है और उसके सूद का नुकसान हो रहा है। हाई कोर्ट में शायद मुकदमा भी चल रहा है, और समस्या जहां की तहां है। जहां तक मैं जानता हूं वह क्वार्टर १२ रु० महीने में लेबर के लिए और २७ रु० महीने या कुछ और उसी के आस-पास उन लोगों के लिए है जो लोग रह रहे हैं। उसमें आम तौर से मध्यम वर्ग के लोग हैं, कोई क्लर्क है, कोई अध्यापक है कोई पूंजीपति नहीं है।

मेरा सुझाव तो इस सम्बन्ध में यह है कि किराया आप २७ की जगह चाहे ४० कर दें, ५० कर दें, और उसे वसूल करें और उसी रुपये से श्रमिकों के लिए ५–६ रु० महीने के क्वार्टर बनवा दें। यह सिन्सीयरटी आफ परपज होगा। अगर श्रमिकों के लिए कुछ करने का मंशा था तो इस तरह से होना चाहिए था जिससे श्रमिकों को लाभ हो सकता। अब यह एक सस्मया बिला वजह पैदा हो गयी कि सात हजार परिवार निकाल दिये जाएंगे पुलिस के द्वारा जिससे कि अच्छा खासा विप्लव पैदा होगा। तो एक समस्या दूर करने के लिए दूसरी समस्या पैदा कर दी जाय यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी।

एक बात और कहूंगा। कानपुर के पूंजीपतियों के बारे में। मुझे जानकारी है कि कुछ फैक्टरीज में मालिकान गुंडे रखते हैं जिनका काम यह है कि जब श्रमिकों की ओर से प्रावीडेंट फण्ड, बोनस आदि की बात संगठित रूप से उठायी जाय तो झगड़ा कर दें और फिर पुलिस में रिपोर्ट हो, कुछ लोग १०७ वगैरह में गिरफ्तार हों और मजदूरों की आवाज वहीं दब जाय।

सरकार के पास बड़े साधन हैं। कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि इस चीज को सरकार रोक सके। श्रमिकों के लिए आप रोज कानून बना रहे हैं और सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। और यह तिकड़मबाज लोग इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं।

इस ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह तत्काल इस पर सोचें और सोच कर ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह तिकड़म बन्द हो। कुछ दिन पहले की बात है कि कानपुर में लेवर हाउसिंग के नाम पर कुछ पूंजीपतियों ने वहां पर कालोनी बनाने के लिये नगर महापालिका से जमीन ली। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जांच करायें कि वह लेवर कालोनी कहीं बनी या नहीं ? उन लोगों ने उस सारी जमीन को हड़प लिया। मकान वहां पर बनाये गये लेकिन दूसरी तरह के मकान बने। जहां तक मेरी जानकारी है उन लोगों ने उस जमीन को बेच लिया और बहुत लाभ उठाया।

मेरा निवेदन है कि सरकार के विभागों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। अगर लेबर हाउसिंग के लिये जमीन वहां पर नगरमहापालिका ने दे दी तो दूसरे विभागों की भी अनियमितता रोकने के लिए कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिये। कोई हस्ताक्षेप करनेके लिये उनको कदम उठाना चाहिये था। इसलिये मेरा निवेदन मंत्री जी से यह है कि विभागों में कोआर्डिनेशन स्थापित किया जाय कि अगर लेबर हाउसिंग के नाम पर इस तरह से शोषण किया गया है, ब्लैकमेलिंग की गई है तो उसको रोका जा सके। आखिर यह जमीन कहां गई यह बड़ा भारी सवाल है। जरा-जरा सी जमीन के लिये लोग परेशान हैं। उन पूंजीपतियों को सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी गई और तरह-तरह से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, किराया लेकर उठाया या बेच लिया इसकी जांच होनी चाहिये। महापालिका वहां पर कान में तेल डाले बैठी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कानपुर में जो इस तरह की लेबर हाउसिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग हुई है उसकी मन्त्री जी जांच करायें। ओल्ड एज पेन्शन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जो परेशान लोग है, बूढ़े लोग हैं उनको देने के लिये इसमें कुछ ऐसे नियम बनाये जायं जिससे सही लोगों को यह आसानी से मिल सके। जो दया के पात्र हैं उनको नहीं मिल पाती है और दूसरे लोग पा जाते हैं।

इसी तरह से मैं कुछ बात सेवायोजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से श्रम की समस्या है उसी प्रकार से यह बेकारी की समस्या भी गम्भीर होती चली जाती है जिसका समाधान हमारे सेवा योजन द्वारा होने का प्राविधान है। मैं बहुत संक्षेप में इस विषयमें निवेदन करना चाहता हूं एक कानून है "इम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज" कम्पलसरी नोटीफिकेशन आफ वैकेन्सीज ऐक्ट, १९५९ जिसके मातहत यह प्राविधान किया गया है कि अगर कोई नौकर रखनेवाला किसी को नौकर रखना चाहता है तो वह उस रिक्त स्थान के लिये अनिवार्य रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। और वह आदमी सेवा योजन द्वारा रखा जायगा। यह इस ऐक्ट को बनाने का उद्देश्य रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में इसका पालन कहां तक हुआ है। इस प्रदेश में इस ऐक्ट को कहां तक प्रभावी बनाया गया है। सेवा योजन विभाग के कार्यालय ने इसका फायदा उठाया है या नहीं उठाया है। इसके अन्दर यह प्रविधान है कि :

"After the commencement of this Act in any state or area there of, the employer in every establishment in public sector in that State or area shall, before filling up any vacancy in any empolyment in that establishment notify that vacancy to such Employment Exchanges as may be prescribed".

इसमें यह भी है कि अगर कोई इस ऐक्ट की अवहेलना करेगा तो उसके लिये पेनाल्टी की व्यवस्था है।

मैं मन्त्री जी पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां पेनाल्टी लगाई गई है। हमारे कानपुर में रोडवेज विभाग ने कानपुर रीजन में हजारों को भर्ती कर लिया इस ऐक्ट की अवहेलना करके। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछा था एक महीना हो गया अभी तक उस का उत्तर नहीं

[श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)]

दिया गया लेकिन मुझे पता लगा है कि जिन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली गई थी अब उन को रेगुलराइज किया जा रहा है और लड़कों को बराबर सेवायोजन कार्यालय भेजा जा रहा है कि उस कमी को पूरा किया जाय।

आप देखें कि इस में ही एक और प्राविजन है कि हर तीसरे मास एक स्टेटमेंट हर विभाग को भेजना चाहिये कि उसमें कितने स्थान रिक्त हैं और अगर वह भर लिये गये हैं तो उसका कारण भी उस में लिखना होता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह कृपा कर के इस का भी पता लगा लें कि सरकार के विभिन्न विभागों से क्या वाकई यह क्वार्टरली स्टेटमेंट जाते हैं। मेरी सूचना है कि और विभागों की बात तो जाने दीजिए स्वयं सेवायोजन कार्यालय ही इसकी अवहेलना कर रहा है। अगर आवश्यकता होगी तो मैं इस की अनेक मिसालें भी दे दूंगा। इस समस्या को ही हल करने के लिये केन्द्र ने इस तरह का प्राविधान किया था और उसका इस तरह से हाफ हार्टेडली पालन हो रहा है तो फिर किस तरह से बेकारी की समस्या दूर हो सकती है वह तो और दुरूह होती जाती है। जिस समस्या को लेकर आज केन्द्रीय सरकार चिन्तित है, प्रधान मंत्री चिन्तित हैं लेकिन उन्हीं के द्वारा किया हुआ प्राविधान यहां लागू नहीं किया जाता तो फिर इस बेकारी की समस्या का हल कैसे निकल सकता है। अगर यही दशा रही तो हमें इतिहास क्षमा नहीं करेगा।

इंजीनियर्स की बात भी भाषणों में कही गई। हमारे पड़ोस में एक इंजीनियर हैं श्री सतीश चन्द्र दुबे जो आल राउन्ड फर्स्ट क्लास और स्कालरशिप होल्डर हैं, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग पास की है। उन्होंने न मालूम कितने प्रार्थना-पत्र बिरला, सिंहानिया, जयपुरिया आदि के यहां उन के उद्योगों में काम पाने के लिये दिये लेकिन उन को कहीं से नहीं बुलाया गया जबकि मेरी जानकारी है कि सेकिन्ड क्लास और थर्ड क्लास ले लिये गये और इन को नहीं लिया गया। आज इन इंजीनियरों का बेकारों का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है और वह सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या प्रधान मंत्री के यहां जाकर भूख हड़ताल करें। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहां नेक्सेलाइट्स की तादाद बढ़ रही है इस का कारण यही है, हालांकि मैं तो उन का पूर्ण समर्थन नहीं करता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि "विभुक्षितः किम् न करोति पापम्" अन्त में मैं कहुंगा कि हमारी सरकार इस महान् समस्या का कोई हल निकालने की कोशिश करे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और जो सुझाव मैंने दिये हैं आशा है मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

बिभक्षितः किं न करोति पापं,
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति।
आख्याहि भद्रे प्रिय दर्शनस्य,
न गंगदत्तः पुनरेति कूपम्।

*श्री रामप्यारे---

अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में जो यह श्रम और सेवायोजन का अनुदान पेश हुआ है उस पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।...

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और आप से निवेदन है कि ग्रान्ट के सम्बन्ध में जो समय वितरित होता है उसमें विभिन्न दलों के लोगों की नुमाइन्दगी का सवाल पैदा होता है। बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व भी बहुत रहे तो छोटे दलों के लोग रह जाते हैं। श्री राम प्यारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी भी बड़े दल के ही सदस्य हैं जब कि वह कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी है लेकिन हमें भी तो समय दिया जाय ।

श्री अधीष्ठाता--

ठीक है, आप की भावना को समझ लिया गया है ।

श्री रामप्यारे--

यह बड़े सन्तोष की बात है कि आज इस विभाग की बहस में भाग लेने वाले सभी लोगों ने सरकार की श्रम नीति की आलोचना की है और सभी लोगों ने एक मत से सरकार के इस बजट पर निराशा व्यक्त की है । जिस प्रदेश की आबादी का ३४ प्रतिशत श्रमिक वर्ग हो और जिस की संख्या लगभग ३ करोड़ की है वहां के श्रम विभाग के बजट पर केवल १/२ प्रतिशत रखा जाय यह इस सरकार की श्रम के प्रति उपेक्षा का द्योतक है ।

मान्यवर, आप देखें, इन्होने एक श्रमिक विभाग से सम्बन्धित पुस्तिका छापी है, बड़े विस्तार से । हर सेक्शन की सूचना इसमें छपी है कि उनके आवास के लिए क्या व्यवस्था है, उनका वेतन क्या है, उनकी दवा दारू और अन्य सुविधाओं के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं । संक्षेप में जितनी हमारी प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में फैक्ट्रियां हैं, उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हू । प्राइवेट सैक्टर में एक एल्युमुनियम फैक्ट्री है, एक सोडा फैक्ट्री है एक रेनु सागर पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट सैक्टर में है और सरकारी क्षेत्र में एक रिहन्ड डैम योजना, ओबरा जल विद्युत योजना, ओबरा थर्मल, डाल्ला सीमेंट फैक्ट्री और एक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री हैं । इन क्षेत्रों का मैं प्रतिनिधि हूं लेकिन मैं देखता हूं कि जो नीतियां यहां पर निर्धारित की जाती है, वहां पर उसकी बिल्कुल उल्टी बातें देखने को मिलती हैं ।

इस किताब में यह भी कहा गया है कि श्रम कल्याण के लिए हमने ६४ अस्पताल इस प्रदेश में बनायें हैं । वे अस्पताल क्या हैं ? न उनमें दवा दारू है और न ही शय्यायें हैं । अस्पतालों के नाम पर लेबरों का पैसा काट लिया जाता है । इसका विरोध भी किया गया क्योंकि जितना पैसा लेते हैं, उसके अनुरूप सुविधा नहीं दे पाते हैं । आज स्थिति यह है कि जो श्रम हितकारी केन्द्र है, या बालकल्याण केन्द्र हैं, उनमें कुछ नहीं होता है जहां पर लाइबेरी स्थापित करने की बात है वहां पर कोई लाइब्रेरी नहीं हैं । केवल इस कागज में छाप दिया गया है सिलाई की शिक्षा दी जाती है लेकिन कुछ नहीं है । ये जो सारी चीजें हैं, उनके प्रैक्टिकल आसपेक्टस हैं, जिसका इसमें शायद जिक्र भी नहीं है । आज सरकार समाजवाद का दम भरती है । समाजवाद क्या है ? आज प्रदेश में ९ करोड़ की आबादी है और ३ करोड़ के कल्याण के लिए केवल ३ करोड़ ४८ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजवाद में इनको कितना विश्वास है और ये श्रमिकों के कितने हितकारी हैं । जब-जब श्रमिकों की बात आती है तो हम देखते हैं कि प्रदेश की सरकार ने हमारे ऊपर जो कानून लगाये हैं, वे लगभग १०० के हैं लेकिन उनमें से एक का भी इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है ।

जहां तक वेज बोर्ड की रिकमेडेन्शन का प्रश्न है उनके बारे में इन्जीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों ने रिप्रेजेन्टशन किया है । जो श्रमिकों के लिए आवास बनाये गये हैं आज वे अन्य शिकमी किरायेदारों को दे दिए गये हैं और श्रमिक लोग बाहर घूम रहे हैं । सरकार कहती है कि जितने उद्योग धंधे हैं, वहां पर आवास क लिए सरकार रुपया देती है । रेनुकूट एक आपका औद्योगिक केन्द्र है लेकिन वहां पर किसी प्रकार की सुविधायें नहीं हैं आप लाइसेंस किसी उद्योग क लिय दत हैं तो उन पूंजीपतियों पर आपको शर्त लगानी चाहिए कि ये-य सुविधायें आपको देनी होंगी और श्रमिको क लिये आवास का भी प्रबन्ध करना होगा, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करती है ।

[श्री रामप्यारे]

यह भी देखने में आया है कि जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं, वे बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां पर दावत खाते हैं और उनकी तरफदारी करते हैं। आप एक सरकुलर इशु करें कि कोई भी अधिकारी किसी भी सेवा योजक के यहां भोजन नहीं करेगा। यों तो श्रमिकों की बहुत सी समस्यायें होती हैं। जाना पड़ सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वहां पर दावत करें।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

रिहन्ड को बने ५--६ साल हो गये लेकिन आज भी वहां पर उतनी ही दवा आदि की सुविधायें हैं। आपने रुपया कमाने का धंधा बना लिया है। श्रम विभाग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा है कि ६८ अस्पताल चल रहे हैं। आज जबकि क्षय रोग बहुत बढ़ गया है और टी० बी० से बहुत पीड़ित लोग हैं, केवल कानपुर में ३०० का बेड बनाने से और एक मोदीनगर में १०० बेड्स का अस्पताल बनाने से काम नहीं चलने वाला है। क्या हमारे अस्पतालों की आवश्यकताओं को वह पूरा करते हैं। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज श्रम के बारे में जो नीति है वह क्या है। आज जो गवर्नमेंन्ट अन्डरटेकिंग हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं वहां टी० एस० आई० तो लागू करते हैं लेकिन मजदूरों के लिये आप बोनस नहीं लागू करना चाहते हैं जबकि नियम था कि चार प्रतिशत दिया जाय। क्या श्रम विभाग कह सकता है कि हमने अगुवाई की। जो कर्मचारी पावर और शक्ति दे रहे हैं उनके कल्याण के लिये कोई योजना बनाई। मान्यवर, यही नहीं, कई लोगों ने खेतिहर मजदूरों की बात कही कि समाजवाद लायेंगे।

लेकिन आज प्रदेश में करोड़ों आदमी मजदूरी पा रहे हैं। वे कैसे अपने जीवन-स्तर को सुधारेंगे। आप बतावें कि वे किस तरह अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि मिनिमम वेज खेतिहर मजदूरों के लिये भी लागू करना होगा। प्रदेश में तमाम लेबर पड़े हुए हैं जैसे रिक्शा वाले, बढ़ई, जुलाहे वगैरह, इनकी कहीं भी चर्चा नहीं आई। क्या उनकी आवश्यकतायें नहीं हैं? क्या चन्द फैक्टरियों के मजदूर लोग जो हैं वे ही श्रमिक हैं। आपके ये जो आंकड़े हैं ये सही नहीं है। इसमें उन मजदूरों की गिनती नहीं है जो टेम्पोरेरी है, जो प्राइवेट फैक्टरी के मजदूर हैं उनको फैक्टरी वाले टेम्पोरेरी रूप से नौकर लगाये रहते हैं। उनको परमानेन्ट करते ही नहीं? उन पर हमारी श्रम नीति का कोई कन्ट्रोल नहीं है। जहां तक सेवायोजन कार्यालयों का प्रश्न है वे हर जगह स्थापित कर दिये गये हैं लेकिन क्या पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर वाले उनसे सहयोग ले रहे है।

हमारे यहां रिहन्द, चुर्क सोमेन्ट फैक्टरी है, ओबरा है लेकिन वे सेवायोजन कार्यालय से आदमी नहीं लेते हैं। वे आदमी वहां से ले आते हैं जहां वे इन्जीनियर और आफिसर हैं। वे अपने क्षेत्र के आदमी ले आते हैं। इस तरह से बैकवर्ड इलाकों का कोई कल्याण नहीं हो पाता है। हमारे यहां सेवायोजन अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं लेकिन श्रम विभाग सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार हमारे श्रम विभाग का सहयोग नहीं करती। सारे श्रम विभाग के अधिकारी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है कोई शक्ति नहीं है कि हम प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर वालों को मजबूर करें कि तुम हमारे माध्यम से नौकर रक्खो।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही एक सर्कुलर जारी करें चाहे पब्लिक सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर हो सभी को सेवायोजन कार्यालय के द्वारा नौकर दिये जायेंगे आज जो प्रशिक्षण कालेजेज बने हुए हैं उनमें क्या हो रहा है? मशीनें लाखों रुपये की बेकार क्यों खरीद ली हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। आप देखें कि वहां जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसका कोई उपयोग नहीं है। कई प्राधानाचार्यों ने कहा कि इसका कोई उपयोग नहीं है। सरकार न खरीदकर भेज दीं। आप देंख कि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने को

जो बात थी वह मिर्जापुर के चोपन में खोलने की बात तय हुई थी। उसके लिये साईट का सेलेक्शन हो गया। वह सेन्टर वहां नहीं खोला गया। वह नैनीताल में क्यों खोला गया इसलिये कि नारायण दत्त तिवारी श्रम मंत्री थे। चोपन, दुद्धी जैसे बैकवर्ड इलाके में कोई काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। आज वहां का आदमी बेकार हो रहा है। वहां न कोई शिक्षित है, अनस्किल्ड लेबर हैं। लोग कहते हैं कि हम क्या करें ?

मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिर्जापुर में वह अविलम्ब एक आई० टी० आई० खोले। आज आप केन्द्र से मांग करते कि उत्तर प्रदेश के साथ सौतेली मां का व्यवहार उसका हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों श्रमिकों के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रहे हैं। अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक स्कीम आयी थी जिसके अन्तर्गत ४ बैकवर्ड जिलों को चुनना था। आपने एक जिला श्रीमती इन्द्रा गांधी का चुन लिया, एक माननीय शिवराज-सिंह जी का चुन लिया गया, एक दिनेशसिंह जी का चुन लिया गया, इस तरह से आपने-अपने ही क्षेत्र के जिले चुन लिये। आपको चाहिये यह था कि आप वाकई जो बैकवर्ड वाले इलाके हैं उनको चुनते। एक जिला पहाड़ का होता, एक बुन्देलखंड का होता, एक पूर्वी होता एक और फतेहपुर आदि को ले सकते थे। अगर ऐसा करते तो हम समझते कि आपकी नीति ठीक है। आपकी नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे गरीब और सर्वहारा का भला हो, उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो और जो आर्थिक असंतुलन है वह दूर हो। नहीं तो नक्सलपंथी भाई आ जायेंगे और फिर क्या होगा कौन जाने।

(व्यवधान)

*श्री रामकरन (गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मलिखान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह तीन हिस्सों में है, मैं तीनों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। श्रम विभाग के बारे में माननीय मंत्री जी का भाषण सुन कर बड़ी तकलीफ हुई। हमारे मंत्री जी, जो इस प्रदेश में समाजवाद की आंधी बहाने वाली देश की प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी हैं, उनके गुट के हैं और उनसे यह उम्मीद थी कि वे अपने बजट भाषण में कुछ चीजों की अवश्य घोषणा करेंगे। मान्यवर, पिछले २२ वर्षों से लगातार इस बात की मांग होती रही है कि एक विभाग में एक ही ट्रेड यूनियन हो। इस संबंध में कोई पालिसी अवश्य सरकार को तय करनी चाहिये। ट्रेड यूनियन के लोग बराबर इस बात की मांग करते रहे हैं। इससे मजदूरों को काफी फायदा होगा। और आप उनके पिछले १० वर्षों का इतिहास देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके अन्दर एक लड़ने की प्रवृत्ति थी। अपनी मांगों के बारे में उनमें एक बारगेनिंग कैपेसिटी जो थी वह क्षीण होती जा रही है। वह चीज आगे जाकर एक मुकदमें की शक्ल ले लेती है--चाहे वह बोनस का सवाल हो, चाहे और कोई सवाल हो। कारण यह है कि पिछले दिनों में जब विरोधी पार्टियों की यूनियनें थीं तो उस वक्त सरकार के सामने यह समस्या थी कि मजदूरों पर इन विरोधी पार्टियों का कब्जा हो जायेगा। उसके बाद आई० एन० टी० यू० सी० का जन्म हो गया। जब से उसका जन्म हो गया तब से यह बीमारी पूरे प्रदेश और देश में फैल गयी आज और मजदूरों का सबसे बड़ा नुकसान इस कारण से हो रहा है कि एक-एक जगह ३-३, ४-४ यूनियनें बन गयी हैं। किसी भी जगह, किसी भी फैक्टरी को आप देखें उसमें ४-४ व ५-५ यूनियन बनी हुई हैं और सभी की सदस्य संख्या भी बराबर होगी। सभी यूनियनें अपने सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहती हैं। वे फर्जी मेम्बर बनाती है और उनके ज्यादातर मेम्बर फर्जी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि आप किसी भी मिल के, ट्रेड के सभी यूनियनों की सदस्य संख्या देखें तो वह उस स्टेब्लिशमेन्ट के कुल मजदूरों की संख्या से भी कहीं अधिक होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकरन(गोरखपुर)]
यूनियनें अपने कोरम को बनाये रखने के लिये, अपनी स्ट्रेन्थ को बनाये रखने के लिये परस्पर एक प्रकार का कम्पटीशन करती हैं और इस दौड़ में वे गलत और फर्जी मेम्बर भी काफी बनाती हैं।

दूसरी चीज जो इससे सम्बन्धित है वह यह है कि अगर एक जगह एक यूनियन होगी, तो उसके बाद उसको मान्यता का सवाल आता है, तो फिर मजदूर और मालिक की बराबर हैसियत आती है तो उसके निपटान में आसानी होती है। जहां ४-५ यूनियनें हो गई हैं, वहां पर मान्यता का भी सवाल होता है, कौन-कौन सी यूनियन मान्यता प्राप्त करे और कौन न करे, यह अहम सवाल उठ खड़ा होता है। कई यूनियनों के होने से श्रमिक संगठित नहीं रह पाता है, उसकी शक्ति बंट जाती है और क्षीण हो जाती है, जिससे मालिकों द्वारा उसका शोषण होता है। आपको यह घोषणा करनी चाहिए थी कि एक ट्रेड में एक यूनियन होगी और वह सर्वे कराकर, सिक्रेट बैलेट करा कर, बहुमत की जो यूनियन है, वही रहेगी, उसी को मान्यता प्राप्त होगी और बाकी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे, लेकिन उसको घोषणा इसमें नहीं है।

अब केसेज का सवाल आता है। इसके लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ लेबर कोर्ट्स काम करते हैं, कांशोलियेशन बोर्ड और लेबर कोर्ट है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए परमानेन्ट कंशोलेशन बोर्ड बना हुआ है, उसका काम इतना टेढ़ा है कि उससे मजदूरों का नुकसान होता है। जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके मामलों की सुनवाई के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है। मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी भांति पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उनमें काम करने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिये। उनको भी समानता के स्तर पर लाना चाहिए।

अब मैं कुछ सेवायोजन और प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में भी कहना चाहता हू कि जहां तक एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज का सवाल है, इनका निर्माण विदेश की नकल पर हुआ था। विदेशों से नकल की गई, किन्तु हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को नहीं देखा गया। मान्यवर, एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लालच में बहुत ज्यादा संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। किन्तु वह अधिकांश बेकारों को नौकरी नहीं दे पाता है। फिर भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज की कार्यपद्धति कुछ ऐसी है कि वह शो कर सके कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं। अपने इस शो को दिखाने के लिये वह डेली बेजेज के जो मजदूर होते हैं उनकी भी संख्या अपने यहां लिख लेता है। इससे नौकरी मिलने वाली की संख्या काफी तादाद में बढ़ जाती है। यह इन एक्सचेंजों की परम्परा थी और अब भी है। इस तरह से जो आंकड़े आये हैं, वे सही नहीं हैं। यह ठीक है कि रजिस्टर्ड लोगों की संख्या अधिक है, किन्तु जितन अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये यानी जितने अधिक लोग बेकार हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लोगों में निराशा पैदा हो गई है कि इस दफ्तर से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है।

देश में बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए बहुत सी प्रशिक्षण संस्थायें खोली गई हैं, बड़ी ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी आप देखें, लोग उनमें अपना एडमिशन नहीं लेते हैं। क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी सरकार की तरफ से उनको नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। उन्हें नौकरी की तलाश में उसी तरह भटकना पड़ता है। आप कागज में कुछ भी लिखिये, लेकिन जब तक उसका प्रत्यक्ष लाभ जनता को दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी भी विभाग का कार्य, उसकी फाइल, आंकड़ों में, कागज के अन्दर जायेंगे तो नहीं चला सकता, और जो २२ वर्ष में हश्र हुआ है वही होता रहगा। सारी चीजों की स्वत: छानबीन करनी चाहिये तब संभवत: प्रदेश का कल्याण हो सकता है। इस तरफ ध्यान देते हुये माननीय मंत्री जी सुझावों पर विचार करेंगे और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

हमको भी बोलने का मौका दीजिये । लेबर माइनस कम्युनिज्म मींस कैपिटलिज्म ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप देर से आये । अब ज्यादा वक्त नहीं है। कटौती का प्रस्ताव जिन्होंने रखा है वह नहीं हैं, तो आप बोलें ।

*श्री गोविन्द सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं । पहला मेरा निवेदन यह है कि जो इंडिकेट गवर्नमेंट बनी है, उसमें से गैर-समाजवादी तत्व निकल गये, और शुद्ध समाजवादी रह गये, उसका पहला बजट हमारे सामने आया है। समाजवाद का आधार है, चाहे गांधीवादी समाजवाद हो या मार्क्सवादी,समाजवाद को तब तक समाजवाद नहीं कह सकते जब तक श्रमिक वर्ग के बारे में उनकी नीति स्पष्ट नहीं होती है। माननीय श्रम मंत्री का भाषण हुआ उससे कुछ भी जाहिर नहीं होता है कि इस सरकार की श्रमिक नीति क्या है। हम समाजवाद की मांग आपसे नहीं करते। केवल एक बात की मांग करना चाहते हैं। आज श्रमिक वर्ग की देश भर में एक मांग उठ रही है कि हम को जीने लायक तनख्वाह दो । मैं पूछता हूं आपकी इस संबंध में क्या नीति है? क्या आप श्रमिक वर्ग को केवल जीने लायक तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है ?

समाजवाद यह कहता है कि मेहनत की पूरी कीमत मिलनी चाहिये । हम उसकी आपसे उम्मीद नहीं करते । हम जानते हैं कि आप नहीं दे सकते । हम केवल एक मांग करते हैं,मेहनत करने वाले इंसान को केवल जिन्दगी बसर करने लायक तनख्वाह देने के लिए आप तैयार हैं या नहीं ? दूसरा सवाल है समान काम करने वालों को समान वेतन । इस संबंध में आपकी नीति क्या है? आप समान काम करने वाले को समान वेतन देने को तैयार हैं ? क्या इस सिद्धांत को मानते हैं ? अगर मानते हैं तो राज्य के सरकारी कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं कि हम को वही भत्ता दो जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, वह देने के लिए तैयार हैं ? हिमाँचल प्रदेश इतना छोटा राज्य है उसने अपने कर्मचारियों की यह मांग मान ली । तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, नयी सरकार बनी । उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के कुछ आन्दोलन हुये थे, उनके फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया गया । नयी सरकार का गठन हुआ । विरोधी पक्ष से पूछा गया कि क्या उन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी में लेने के लिए तैयार हैं । आप इनकार करते हैं । यह कैसा समाजवाद हैं । उनको इसलिये दंड देते हैं चूंकि उन्होंने श्रमिक संगठन बनाया, और अपने संगठन के जरिये अपनी मांगें आपके सामने रखीं । मजदूर का एकमात्र हथियार जिसको संविधान भी मानता है, हड़ताल करने का,उसके जरिये उन्होंने अपनी मांग मंजूर कराना चाहा । आपने उनको निकाल दिया । अब नयी समाजवादी सरकार बनी । मैं मांग करता हूं क्या दोबारा उनको काम पर रखने के लिये तैयार हैं ।

चौथी चीज मैं कहना चाहता हूं यहां यह अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र में समाजवाद लाया जाय लेकिन आप श्रमिकों को क्या राहत देना चाहते हैं इस पर खामोश रहे । सार्वजनिक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक कंसिलियेशन बोर्ड बनाया गया और १२ साल इस बोर्ड को बने हुए हो गये और १२ साल के इतिहास में इस बोर्ड ने केवल एक विवाद का फैसला किया है बाकी ए०पी० सेन रोड पर यह सड़ रहा है क्योंकि इसका चेयरमैन डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक का होता है और सार्वजनिक उद्योगों के एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी के रैंक के होत हैं जिनके कामों में इस कंसिलिएशन बोर्ड का चेयरमैन दखल नहीं दे पाता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह]---

हमारे प्रदेश में टेक्सटाइल मिल, चीनी मिल तथा रबड़ उद्योग यानी हूर उद्योग के बारे में वेज बोर्ड का फैसला है और उस फैसले को सरकार मान चुकी है लेकिन सरकार के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि वह प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मजबूर करे वेज बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये । मैंने जो बुनियादी सवाल उठाये हैं माननीय मंत्री मुझे उम्मीद है अपने उत्तर भाषण में उन सब पर प्रकाश डालेंगे ।

*श्री मलिखान सिंह---

मैं उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी के यहां चला गया था जहां कुछ देर हो गयी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैंने सभी सदन के सदस्यों की भावनाओं को सुना और उनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को बल मिलता है। किसी भी व्यक्ति ने इस सदन में यह नहीं कहा कि सरकार की श्रम नीति जो है वह अच्छी है। श्रम मंत्री जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे श्रमिकों को लाभ हो । मैं सरकार का एक नमूना श्रम नीति के संबंध में पेश करना चाहता हूं। नारायण दत्त जी उस समय श्रम मंत्री थे । उन्होंने मिल मालिक, सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों की एक कांफ्रेंस नैनीताल में की थी जिस पर खुद प्रेसाइड किया था कि सूती मिल मजदूरों के संबंध में ताकि जल्दी से जल्दी वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू हो सकें । किसी भी मिल मालिक न उस समय अपने को बीमार घोषित नहीं किया था । केवल रामपुर मिल ने यह कहा था कि वह असमर्थ हैं इन वेजेज को लागू करने में लेकिन सरकार की ढीली नीति के कारण आज तक उसका पालन नहीं हो सका और आज ७ मिलों ने अपने को सिक घोषित कर दिया है। ६ महीने हमने मिल मालिकों को दिये और इस तरह उनको हमने बढ़ावा दिया जिसके कारण प्रदेश के मजदूर पिस रहे हैं ।

विद्युत विभाग में ५० हजार कर्मचारी हैं जिनमें ३ हजार ही स्थायी है और वहां के मजदूर अपने को असहाय पा रहे हैं । इसी तरह से मैनपुरी में चावल मिल है और एक पावर हाउस है लेकिन कोई भी लेबर कालोनी आज तक नहीं बन सकी और मजदूरों के प्रति सरकार की तरफ से बराबर उपेक्षा की नीति बरती जा रही है। कहा जाता है कि इससे नक्सलपंथी बढ़ेंगे और हम पर यह दोष मढ़ा जा रहा है। मैं बतलाना चाहता हूं कि हम आज से नहीं बहुत पुराने समय में क्रांति के युग में और क्रांति के जिले में पैदा हुये हैं । नक्सलपंथियों से इस प्रान्त के खेत-खेत व मेड़-मेड़ पर हम लड़ेंगे । डट कर उनका मुकाबला करेंगे और उनको पनपन नहीं देंगे और हम उनको बरदाश्त नहीं करेंगे लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण नक्सलपंथी पनपेंगे यह मैं इस सरकार को बतला देना चाहता हूं ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हम हर हालत में मुकाबला करने के लिये तैयार हैं । किसी भी बात में उनकी धौंस में आने वाली बात नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी सदस्यों के भाषण हुये हैं उन सभी ने इस सरकार की श्रम नीति को गलत बताया है और इस प्रदेश में समाजवाद, जिसे कि वे समाजवाद कहते हैं, तभी आ सकता है जब कि गरीब और अमीर में समानता आये । जब तक उनमें असमानता का वातावरण बना रहेगा तब तक अमीर और अमीर होता चला जायेगा और गरीब और गरीब होता चला जायेगा ।

मेरे कई माननीय मित्रों ने यहां पर किसानों और मजदूरों के बारे में बातें कहीं हैं कि पश्चिमी जिलों में ३ रुपये मजदूरी मिलती है लेकिन पूर्वी जिलों में तो आठ आने, एक रुपया या डेढ़ रुपया ही मजदूरी मिलती है । उनकी यह बात सही है कि इस मजदूरी से वे क्या कुछ कर सकते हैं । सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिये । यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय,

ये जो टेस्ट वर्क लेते हैं उसमें वे केवल ८-१२ आने ही देते हैं। इससे उनका क्या भला होगा। यह सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और उद्योग प्रधान भी बनेगा किन्तु जब तक हमारी श्रम नीति ठीक नहीं होगी हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता है। हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन न बढ़ने से हम कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका उत्तरदायित्व इस सरकार पर है। इसके साथ ही जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं कि इस देश में श्रम का सबसे बड़ा महत्व है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इस बजट में मुश्किल से १ प्रतिशत धन इसके ऊपर व्यय करनेकी बात सोची है। श्रीमन्, इसमें भी कोई शक नहीं है कि श्रमिकों के हितों को देखते हुये हमने जितने भी कानून बनाये और उन कानूनों का सख्ती से पालन करने के बावजूद भी हमारे श्रमिकों की हालत में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। इसमें भी कोई सक नहीं कि हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी श्रम का जो महत्व इस देश में होना चाहिए था वह नहीं हो सका। श्रीमन्, इस हाऊस में जितनी भी बातें कही गई हैं उनके बारे में हमारे भी कुछ सवाल हैं क्योंकि कुछ सवालों का जवाब सवालों में ही देना पड़ता है।

श्रीमान्, २० वर्ष तक ये लोग सरकार में थे। किसी न किसी शकल में इस सरकार के उत्तरदायित्व के जगहों पर रहे हैं। मुख्य मंत्री के स्थान पर रहे हैं, वित्त मंत्री के स्थान पर रहे हैं। किन्तु अगर देखा जाय कि उन्होंने अपने जमाने में श्रम विभाग के ऊपर या श्रम के बजट के ऊपर कितना धन स्वीकार किया है तो शायद इसमेंकोई अफसोस नहीं होगा। अपने जमाने में इन्होंने क्या करके दिखाया है। हर इन्सान समाजवाद की बात करता है। जब ३०० रु० से ४५० रु० वेतन बढ़ाने की बात हुई तो मेरा ख्याल है कि जो समाजवाद के पोषक अपने को बताते हैं और इस हाऊस में लम्बी चौड़ी बातें श्रमिकों के लिये कहते हैं उन्होंने कभी यह कहा है कि डेढ़ सौ रुपया जो उनको कान्स्टीटुयेन्सो एलाउन्स न बढ़ा करके उन श्रमिकों की भलाई के लिये उन्हें दिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके विरोध में बी० के० डी० के कितने लोगों ने हस्ताक्षर किये थे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, हमने शुरू से आखिर तक श्रमिकों की भलाई के लिये जो भी कानून बनाये वाभी हमने इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट बनाया, बोनस ऐक्ट बनाया, मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया।

श्री गोविन्द सिंह---

ऐसे कानून तो अंग्रेजों के जमाने में ही बन चुके थे।

श्री राम मंगल पांडेय---

मैं यही तो कह रहा था कि हमने कौन से कानून नहीं बनाये लेकिन उन कानूनों से उनका कोई भला नहीं हो पाया, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। अतः अब प्रश्न आता है कि हमें इन कानूनों क बारे में भी सोचना पड़ेगा। यहां जो भी स्पीचेज हुई हैं अगर वे सत्यता क आधार पर होतीं तो अवश्य ही उनसे श्रमिकों का कुछ कल्याण हो जाता, लेकिन वे तथ्यों पर आधारित कम थीं और पोलीटिकल स्पीचेज ज्यादा थीं। हम यह कभी नहीं कहते कि श्रमिकों से संबंधित पूरे कानून बन चुके हैं अथवा उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो चुका है। लेकिन उसी कारण से आज बंगाल की हालत हो रही है।

[श्री राज मंगल पांडेय]

मजदूरों की खराब हालत होने का एक और भी कारण है कि मिलों में सभी पार्टियों की यूनियनें हैं। हर मिल में सिन्डीकेट की यूनियन है, इन्टीकेट की यूनियन है, जनसंघ की यूनियन है, बी० के० डी० की यूनियन है, कम्युनिस्टों की यूनियन है और सभी यूनियनें आपस में लड़ती हैं। अगर एक मिल में एक यूनियन होती तो २० सालों में होने वाला सुधार २ साल में हो जाता और आज मजदूरों की ऐसी हालत न होती। ज्यादा यूनियन होने से होता यह है कि वे श्रमिकों के बारे में न सोच कर अपनी मेम्बरशिप के बारे में सोचते हैं। नतीजा यह होता है कि वे मिल मालिकों के चंगुल में फंस जाते हैं और जिन यूनियनों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह भी साफ हो जाता है।

हमारी यह जो सोसाइटी है वह सोशलिस्टिक पेटर्न पर बनी हुई.....

श्री रामप्यारे---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि एक फैक्ट्री में एक ही यूनियन को मान्यता दी जायगी। मैं भी इससे सहमत हूं।

श्री राजमंगल पांडेय---

हमारा जो विधान है वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी पर है। कम्युनिस्ट देशों में जो समाजवाद होता है उसका पैटर्न इससे भिन्न है। रूस जैसे प्रोलेटेरियेट देशों में ४-६ घंटे रोटी के लिये, ६-८ घंटे गोश्त के लिये खड़े रहना पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह---

यह गलत सूचना आप कहां से दे रहे हैं?

श्री राजमंगल पांडेय---

इस प्रकार से बीच में टोका गया तो किस प्रकार से कह पाऊंगा किसी बात को क्रिटिसाइज करना आसान होता है लेकिन उसको प्रेक्टिकल रूप देना दूसरी बात है। तो मैं यह कह रहा था कि उन देशों की श्रमनीति पोलिटेरियट द्वारा संचालित होती है। लेकिन उन देशों में भी वे अपना सारा सामान अपने आप पैदा नहीं कर पाते हैं। उनको भी कैनेडा और आस्ट्रेलिया पर निर्भर करना पड़ता है। उन देशों की सारी नीति पार्टी की शक्ति पर निर्भर करती है लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी से हमको चलना पड़ता है। किसी के यह कह देने से कि हम ही मजदूरों के बड़े हमदर्द हैं वे हमदर्द नहीं हो जायेंगे। जितने मजदूरों के हमदर्द वे हैं, हम भी उतने ही हमदर्द हैं। उतने ही तरक्की के चाहने वाले हम हैं, जितने वे हैं।

समाजवाद आसमान से आ नहीं जायगा। जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने कहा माननीय सदस्य इसी समाजवाद को लाने के लिये कांग्रेस से अलग हुए थे लेकिन १०-१२ साल अलग रहने के बाद उन्होंने अपनी ही गलती महसूस किया और फिर यह सोचा कि वह समाजवाद कांग्रस में रह कर ही लाया जा सकता है और वे कांग्रेस में फिर आ गये क्योंकि उन्हें लगा कि उससे अलग रह कर उनके उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती और इसलिये, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल उन आरोपों जिनके बल पर इन्दिराजी के नेतृत्व की आलोचना की जा रही है उनमें कोई तथ्य नहीं है। हमारे कुछ मित्रों के सहयोग से समाजवाद इस देश में आ सकता है और गरीबों की हालत में सुधार हो सकता है। जहां हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म माना है वहीं हमने दो चीजें और मानी हैं। एक तो हमने हर वर्कर को यूनियन बनाने का अधिकार दिया है और दूसरे हड़ताल करने का अधिकार दिया है। राइट आफ फार्मिंग ए यूनियन ऐंड राइट आफ स्ट्राइक। यूनियन बनाने के साथ ही साथ स्ट्राइक करने का अधिकार भी दिया ताकि मिलमालिक से अधिक से अधिक बारगेन कर सके। यह दोनों अस्त्र किसी भी डेमोक्रेटिक

संख्या में सबसे बड़े अस्त्र हैं। इन दोनों अधिकारों को देने के बाद अगर आजतक प्रगति नहीं हो सकी तो इसका कारण यह विरोधी पार्टियां हैं जो श्रमिकों को इतने क्लासेज में बांटे हुये हैं। हम तैयार हैं, अगर ये तैयार हो जांय एक लेजिस्लेशन के लिये कि एक फैक्टरी में केवल एक ही यूनियन होगी, दो नहीं होंगी देखिये उनका सुधार हो जाता है या नहीं। क्या इस तरह के लेजिस्लेशन के लिये वह तैयार हैं ?

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्रीजी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि गुप्त मतदान के द्वारा जिस यूनियन को सब से ज्यादा मत मिलेंगे उसको रेकगनाइज करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

वह तो यूनियन अपना तरीका खुद ही तय कर लें। मेरा खयाल है किसी को एतराज होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या सरकार इस उसूल को मानने को तैयार है कि गुप्त मतदान द्वारा मजदूरों से पूछा जाय कि कौन उनकी प्रतिनिधि यूनियन है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

अगर मजदूर तैयार हैं तो इस सरकार को इस संबंध में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी।

श्री राम करन (गोरखपुर)---

मंत्रीजी को यह ज्ञात होगा कि जितनी ट्रेड यूनियनें हैं उन सबसे करीब-करीब लगातार इस बात की मांग होती रही है कि एक इंडस्ट्री में एक ही यूनियन हो। अगर आप इसकी जानकारी प्राप्त करें तो यह मांग कोई ऐसी नहीं है, सारे लोगों की यह मांग है।

श्री राजमंगल पांडेय---

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में ही है, क्योंकि राइट आफ यूनियन जब एक डेमोक्रेसी में आपने मान लिया तो यह उसका अधिकार है कि अगर केवल ७ मजदूर चाहें तो वह एक यूनियन बना सकते हैं। अगर सब विरोधी पक्ष के लोग कहें तो हम लोग भी इस संबंध में कोशिश करेंगे कि हम जन-भावनाओं का आदर करते हुये उनके कल्याण का खयाल करते हुये इस दिशा में कदम उठायें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी इस बात के लिये तैयार हैं कि अगर कोई मिल मालिक अपने से पैट्रोनाइज करके कोई नयी यूनियन बनाने का प्रयास करे और यह आपको मालूम हो जाय तो उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह कानून की बात है। जब तक इस कानून में परिवर्तन न हो जाय कि ७ आदमी भी यूनियन बना सकते हैं, जब तक उनके पास यह अधिकार है तो इस अधिकार को कानून से ही बदल सकते हैं और सारा हाउस तैयार हो तो हम लोग भी विचार करने को तैयार हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी चाहें तो ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी मंत्रीजी ने कहा एक फैक्टरी में एक यूनियन के बारे में विचार किया जा सकता है ? इसके बारे में उन्हें दूसरे दलों की राय भी जाननी चाहिये । तो इंडीकेट की ओर से भी एक यूनियन की बात कही गयी, प्रसोपा और कम्युनिस्ट नेताओं ने भी एक यूनियन की बात कही और जनसंघ भी एक यूनियन की बात को स्वीकार करता है । ऐसी स्थिति में जब हर मजदूर यूनियन की ओर से इस प्रकार की मांग है कि गुप्त मतदान के द्वारा यह तय किया जाय कि किस फैक्टरी को किस यूनियन का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो मैं साफ तौर से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रकार की घोषणा करेंगे कि एक फैक्टरी में एक यूनियन हो और इसके लिये गुप्त मतदान हो ?

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, राइट आफ फारमिंग ए यूनियन इज ए फंडामेंटल राइट । और जब फंडामेंटल राइट है तो जब तक कांस्टीट्यूशन में चेंज न हो.....

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी, जहां तक इसका सवाल है कि ट्रेड यूनियनें बनें वह दूसरी चीज है, लेकिन जहां एक मजदूर यूनियन को रिकग्नाइज करने का सवाल है कि गुप्त मतदान द्वारा मान्यता उनको मिले, उसके लिए आप राजी हैं ? १०-१५ भले ही बन जायं ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने इसका जवाब तो पहले दिया । दो चीजें हैं । पहली चीज तो फंडामेंटल राइट है, उसको चेंज करने का सवाल है कि हम किस किस के साथ मिल कर बैठें इसका फंडामेंटल अधिकार मजदूरों को है, सब को है ।

श्री गोविन्द सिंह---

अगर अधिकार है तो फिर समाजवाद की बात न करिये ।

श्री राजमंगल पांडेय---

दूसरी चीज यह है कि यूनियनें गवर्न होती हैं, इंफ्लुएंस्ड होती हैं बाहर की एजेंसीज से । अगर वह अपने ही पदाधिकारियों से इंफ्लुएंस्ड हों, उन्हीं से संबंधित रहें और वह खुद ही आपस में अपने मसले हल करें तो ठीक है, लेकिन उनके मसले इस साइड के कुछ लोगों से या और किसी बाहर के गुट से हल होते हैं जो उस यूनियन के सदस्य नहीं हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा कारण मजदूरों की बरबादी का है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

एक बात कहूंगा ....

श्री राजमंगल पांडेय---

यही अगर चीज रही, एक बात मैं कहूं उसके बाद आप दो बात कहें और मैं उत्तर देना चाहूं तो आप सुनने को तैयार न हों तो उससे किसी को लाभ नहीं पहुंचने वाला है । आपने कम से कम पच्चीसियों तरह के समाजवाद का जिक्र कर दिया, मैंने कोई रुकावट नहीं डाली क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप गुरु हैं । लेकिन गुरु....

श्री गोविन्द सिंह---

गुरु की बात तो सुनिये ?

श्री राजमंगल पांडेय--

लेकिन गुरु में भी कम से कम इतनी क्षमता हो कि चेले की बात को सुने बेधोंडली तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी ।

इसमें बहुत सी चीजें कही गयीं । हाइडिल में ५० हजार और फेमिली प्लानिंग में इतने हजार। तो जैसे कि इमरजेंसी फोर्सेज होते हैं। लड़ाई जब शुरू होती है तो सब फोर्सेज मिल कर लड़ते हैं और लड़ाई की समाप्ति पर जो फोर्सेज हैं जिनमें अफसरान हैं, क्लार्क हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होगी और हमारा सेचुरेशन प्वाइंट पहुंच जायगा--जैसे आज मान लें कि २० वर्ष के बाद हमने सारे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को बिजली दे दी, उसके बाद केवल जो मेंटीनेंस होगा वही स्टाफ रहेगा और बाकी सारा का सारा स्टाफ रिट्रेंच कर दिया जायगा। तो मेरे लायक दोस्त का हिसाब यह है कि अगर ५० हजार का स्टाफ है तो ये सब के सब मेंटेन कर दिये जांय। मेरा खयाल है कि इसको कोई सरकार नहीं कर सकती दुनियां की। मलेरिया विभाग को देखें । मलेरिया का उन्मूलन हुआ, एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि मलेरिया के जर्म्स सब मर चुके हैं, सिर्फ मच्छर हैं जो मलेरिया ब्रीड नहीं करते। तो उनको कहीं और लगाया गया। अब १० साल के बाद हमारी फैमिली प्लानिंग स्कीम अगर कामयाब हो गयी तो इस स्टाफ को हम क्या करेंगे ? इनको कहीं न कहीं लगाना पड़ेगा। तो मेरे सामने एक समस्या है। उसका मैंने उदाहरण दिया कि इतनी बड़ी फौज है इमरजेंसी की। अगर रेगुलर फौज ३ लाख होती है तो इमरजेंसी की २० लाख होती है, १५ या १० लाख होती है और जब लड़ाई खत्म होती है तो धीरे धीरे इमरजेंसी में जो आरमी होती है उसको रिट्रेंच करते हैं। यही सेवाओं का हाल है ।

इसके अलावा और भी चीजें कही गयीं । हमारे ४० हजार या कितने इंजीनियर्स बेकार पड़े हुए हैं। हम इसको महसूस करते हैं कि इस दिशा में जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक सुधार करने की बात हमने सोची है कि जो प्राइवेट फर्म्स कांट्रैक्ट ले रही हैं उनके लिए भी हमने एक डायरेक्टिव कर दिया कि वह भी इन इंजीनियरों के माध्यम से अपना काम चलावें--पहली चीज ।

दूसरी चीज यह कि मेरा यह खयाल है २० हजार से लेकर ३० हजार रुपये तक सरकार की तरफ से उन इंजीनियरों को देंगे ताकि वे अपना कोई न कोई उद्योग खोल कर वहां अपने टेलेंट का इस्तेमाल कर सकें। सरकार को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि इस देश के ४० हजार इंजीनियर्स इन सड़कों पर मारे-मारे फिरें। मैंने शुरू में ही कुछ बात कही थी कि हमारी शिक्षा में कुछ परिवर्तन होना चाहिये । जब शिक्षा में परिवर्तन की बात होती है, और वाइस चांसलर की कांफ्रेंस में इस तरह की बात आती है कि यह तय किया जाय कि यूनिवर्सिटी व डिग्री कालेजों में वही लड़के लिये जांय जो बहुत ब्रिलिएंट व तेज हों तो फिर इसी हाउस में कहा जाता है कि तीसरी श्रेणी के भी लड़के लिये जांय क्योंकि उसका गार्जियन जब उसके लिये पैसे देता है तो क्या हक है आपको उसका ऐडमिशन रोकने का ? तो सारी समस्या उधर से पैदा होती है। वहां लोग ऐसे हैं जो उन समस्याओं को पैदा करते हैं, हमारे सामने कठिनाई पैदा करते हैं, सरकार के सामने कठिनाई पैदा करते हैं, और फिर यह कहते हैं कि नहीं, सारी कठिनाई हमने पैदा की है ।

ये कहते हैं कि जो बहुत सारे इंजीनियर्स और दूसरे लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं उसमें हमारा दोष है, इनका नहीं है। हमने उनके लिये यह किया है कि २० हजार से लेकर ३० हजार रुपये तक कर्जे की शक्ल में देंगे और उनसे कोई सूद न लेने को भी तय किया है। इसके बाद भी कोई इंजीनियर पैसा न ले और नौकरी के पीछे दौड़ता फिरे तो इसमें गवर्नमेंट की नीति की खराबी नहीं है बल्कि विरोध पक्ष के लोग जो उनको गाइड करते हैं वे ही इसके लिये जिम्मेदार हैं। अपने यहां उद्योग लगाने के लिये हम सब को समझाने

[श्री राजमंगल पांडेय]

की कोशिश करते हैं। लेकिन बंगाल में आज भी ६-७ सौ यूनिट्स बन्द पड़ी हैं, इसका कारण कहा जाता है कि नक्सलाइट्स हैं और मालिकों को उनकी यूनिटों को नहीं चलने देते। अक्सर यहां कहा जाता है कि अगर हमारी यह बात नहीं मानी गयी तो हम फैक्टरी को नहीं चलने देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नक्सलवादी हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से बीच-बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो चाहते हैं कि मजदूर अधिक से अधिक पैदा करें लेकिन आप मजदूरों को भड़काते हैं कि वे कम से कम अन्न पैदा करें। हम तो आपको अधिक से अधिक सहयोग देना चाहते हैं और अधिक से अधिक आपका सहयोग लेना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बगल में बैठे हुए हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उद्योग लाने के सम्बन्ध में जितना आप उत्सुक हैं और उस सम्बन्ध में जो भी सुधार आप करना चाहते हैं उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक सिक यूनिट्स की बात है मुझे मालूम हुआ है कि विक्टोरिया मिल को चलाने के लिये करीब २१६ लाख रुपया खर्च किया जायेगा तब वह चल सकेगी। हम कानून के तहत ही चलना चाहते हैं, और हमारा कोई भी इरादा नहीं है कि फैक्टरियां बन्द रहें।

म्योर मिल की बात कही गई। गवर्नमेंट ने डेसीशन किया उनको ४ परसेन्ट बोनस दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि जो गवर्नमेंन्ट का फैसला है उसका इम्पलीमेन्टेशन हो। फिर लेबर कोर्ट्स की बात कही गई। यह सही बात है कि जितने उद्योग धंधे हैं उन सबके लिये एक सा कानून बनाना असंभव है। हजारों किस्म की यूनियनें हैं, हजारों किस्म के आदमी काम करते हैं, इसलिये कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे सब को समान रूप से सुविधाएं मिल सकें या समान रूप से वेतन मिल सके। इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन यह जरूर है यदि कोई सुझाव आये तो उस पर मंत्रिमंडल विचार कर सकता है। फिर इंजीनियरिंग बोर्ड की बात कही गई। मुख्य मंत्री भी चाहते हैं, आप और हम सभी चाहते हैं कि उन लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें लेकिन श्रीमन् कानून की पेचीदगी ऐसी होती है जिसके कारण सरकार का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको आप और हम सभी माननीय सदस्यों को मिल कर कोशिश करनी चाहिये कि यह कैसे किया जाय। श्रीमन् यह भी आपको मालूम है कि हमारे रिसीवर्स को दो बार हाईकोर्ट द्वारा हटाने को कोशिश की गई। इसमें हम भी मजबूर हो जाते हैं। कंटेम्प आफ कोर्ट से हर आदमी डरता है। श्रीमन् हम कानून का अनादर नहीं करना चाहते लेकिन फैसले के अनुरूप चलना है तो उसमें विलम्ब होता है। तो इसमें श्रीमन् दोष किसका है ?

श्रीमन् लेबर हाउसिंग प्राब्लम के बारे में कहा गया। यह बहुत बड़ी समस्या है। यह कहा गया कि किराया बहुत ज्यादा रखा है। श्रीमन् किराया कितना रखें। बैंक में जमा करते हैं तो ६ या साढ़े ६ परसेन्ट मिलता है और वह भी रुपया न मिले जितना सरकार ने खर्च किया है तो कोई सरकार इतना खर्च नहीं कर सकती। लेबर विभाग का ३५ लाख रुपया किराये का बाकी है। पहल जो मकान खाली थे उनमें कोई जाना नहीं चाहता था, वह सालों तक खाली पड़े रहे। फिर उनमें लोग बसाये गये, लेबर जिनके लिए वह बने थे उनमें नहीं आये। फिर जो भी लेबर आये उनके लिये हमने कोशिश की और लेबर की मांग बढ़ती गई, तो हमारे सामने समस्या पैदा हुई उनको निकालने की। आज ५ या ६ हजार केसेज ए० डी० एम० की अदालत में दाखिल हैं। श्रीमन्, लेबर इन्सपेक्टर के बारे में कहा गया। मैं बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की और उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री पर उनको वहां रखने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

श्रीमन्, अगर यह चाहेंगे कि नाम दे दूं तो नाम भी दे दूंगा ।

कई सदस्य--
नाम बतला दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--
नाम की जरूरत नहीं है ।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

इस तरह से श्रीमन् जो प्राविडेन्ड फन्ड की बात थी उसमें एक दिक्कत थी । कानपुर की एक फैक्ट्री के बारे में शिकायत मिली कि उन्होंने जितना लेबर का फन्ड का था उतना जमा नहीं किया । हमने लेबर कमिश्नर को बुला कर पूछा तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की कोई नजीर है कि लेबर अपनी कटौती प्राविडेन्ड फन्ड की न करावे तो भी फैक्ट्री को उतना देना पड़ेगा और श्रीमन् उसके लिये पेनल क्लाज नहीं है बल्कि सिविल लाइबेलिटी है? तो दिक्कत श्रीमन्, यह पड़ जाती है कि हम कहां तक मुकदमें लड़ें । इस चीज को अलग से देखना होगा । श्रीमन्, लेबर लाज की बात आई । हम मानते हैं कि बड़ी पेचीदगियां हैं । चूंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तहत में हमको कुछ कानून बनाने पड़ते हैं इसकी वजह से हम मजबूर होते हैं । देश की प्रगति के साथ श्रमिकों की जो और समस्यायें हैं उनको सामने रखते हुए हमारे कानून पुराने पड़ते जा रहे हैं । और हम उनको नया रूप देने की सोच रहे हैं ।

(इस समय ४ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमन्, इन सारी कठिनाइयों को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं । श्रीमन्, चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री में बोनस की बात कही गई । यह मालूम होना चाहिये कि जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं उनमें बोनस ऐक्ट लागू नहीं होता है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--
ठीक है मंजूर किया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७, लेखा शीर्षक ३८ के समस्त अनुदान की मांग की अल राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४८,५९,४००रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

माननीय, आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों के हड़ताल के संबंध में अगर कोई निर्णय किया हो तो कृपा पूर्वक सदन को सूचित करें ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी भी आये थे और आप लोग भी आये थे और विचार विनिमय हुआ और यह बात तय हुई कि शीघ्रातिशीघ्र वह बिल लाना चाहते हैं एफिलिएशन के लिये और ड्राफ्ट बनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं । लीगल डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी भी आये थे और उन्होंने कहा कि, अगर तैयार होकर मेरे पास आ जायेगा तो उसको हम २४ घंटे में ड्राफ्ट कर लेंगे और अन्य माननीय सदस्यों ने यह आश्वासन दिया कि जैसे ही यह बिल आयेगा उसमें समय नहीं लेंगे और तत्काल उसको एक घंटे के अन्दर पारित करेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेंगे ।

सरकारी कार्य विधियों के विरुद्ध लेख लिखने व समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज एक तो श्री कृष्णानन्द राय जी ने कामरोको प्रस्ताव पेश करने के लिये अनुज्ञा चाही है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

थोड़ा हम लोग कह लें ।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं कह लूं तब आप बोलें । मैंने इस संबंध में जानकारी हासिल की । जो आपके इन्फार्मेशन मंत्री हैं उन्होंने कहा कि उसमें जो बातें लिखी हैं कि धमकाया गया या तंबीह की गई ऐसी कोई चीज नहीं हुई है । दूसरी बात है उनके एडवरटाइजमेन्ट को बन्द किया । दो अखबार टाइम्स आफ इंडिया और एक हिन्दी का अखबार जो दिल्ली का है । मंत्री ने मुझे बताया कि वह भी शिकायत थी । नव भारत टाइम्स था । यह प्रश्न अविलम्बनीय नहीं है । एक महीने के पेश्तर की बात है । परिषद् में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और ऐसी अवस्था में मैं कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूं । आप ध्यान आकृष्ट तो कर सकते हैं और इसकी इजाजत तो मैं ने दे दी है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय, अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठ जायें ।

(व्यवधान)

राजकीय सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों द्वारा दो हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ में श्रीमती सिया दुलारी ने बांदा जिले में पेय जल के अभाव के बारे में दिया है। इसको स्वीकार नहीं किया है। एक प्रस्ताव श्री राम विलास पांडेय, श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा आदि का है जो राजकीय सीमेंन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा दो हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में है। महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया है उसके बारे में उन्होंने बड़ी ही दर्दनाक कहानी लिखी है। उसको मैंने स्वीकार किया है और उसके ऊपर वक्तव्य नियम ५१ में मंत्री जी दे देंगे। इसके अलावा और जो बाकी प्रस्ताव है उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

सरकारी कार्य विधियों के विरुद्ध लेख लिखने व समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो नियमावली बनाई गई है क्या उसको समाप्त कर दिया गया है अथवा इसके अनुसार कुछ काम होगा भी।

(व्यवधान)

नियमावली के नियम ५६, ५७ और ५८ को आप देखें और इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम ५६ में दिया है कि "जिस दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के कम से कम एक घंटा पूर्व उसकी द्विप्रतिक सूचना सचिव को दी जायेगी। सचिव सूचना की एक प्रति को सम्बद्ध मंत्री के पास भेज देंगे। नियम ५८(५) में दिया है—प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो और(६) में यह है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लिया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है .....

श्री अध्यक्ष—

५७ को भी पढ़ लीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, यह बहुत बुनियादी चीज है। मैंने जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा है, उस विषय में सारे बजट सत्र में न तो कोई प्रश्न पूछा गया है और न कोई ग्रान्ट ही उसके सिलसिले में है जिस पर विवाद करें .....

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

(व्यवधान)

लोकतंत्र में समाचार-पत्र उतना ही इम्पार्टेन्ट स्थान रखते हैं जितना कि हमारी विधान सभा और पार्लियामेन्ट । यहां तक कि समाचार-पत्रों को डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट कहा जाता है । दिल्ली में तो यह पैटर्न बना दिया गया है कि जितने विज्ञापन दिये जाते हैं उसके लिए न्यूजपेपर्स के एडीटर्स की ही एक कमेटी होती है .....

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है या स्पीच हो रही है ?

(व्यवधान) (सदन में शोर होने लगा)

श्री कृष्णानन्द राय—

लोकतंत्र को बचाने के लिये दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि उस कमेटी के माध्यम से ही विज्ञापन दिये जाते हैं । इसीलिए सन्मार्ग और पांचजन्य जैसे न्यूजपेपर्स, जो नित्य विरोध किया करते हैं, उनके विज्ञापन रोकने की कोशिश की गयी लेकिन उस कमेटी ने रोकने नहीं दिया । आप जो समय की बंदिश की बात कहते हैं, तो श्रीमन्, जब हमें जानकारी होगी तब ही तो लाएंगे । माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कौंसिल में.....

(व्यवधान)

टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स दोनों का रोका है । श्रीमन्, नवभारत टाइम्स की एक-डेढ़ लाख प्रतियां निकलती हैं और ५० हजार उत्तर प्रदेश में बिकती हैं....

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्रीमन्, यह लोकतंत्र पर इतना बड़ा आघात है कि यह सदन बरदाश्त नहीं कर सकता और हमारी जबान नहीं रोकी जा सकती । मैं यह कह रहा था कि टाइम्स आफ इंडिया···

श्री अध्यक्ष—

आप मैरिट्स पर न जायं । आप मैरिट्स पर जा रहे हैं । नियम बताइए ।

कई सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान) (सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हमको भी इस पर कहने का मौका दिया जाय।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

ये सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा कर स्पीच दे रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि एक दिन इस पर बहस कर ली जाय कि यह व्यवस्था किस चीज को कहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हमको भी तो समय मिलना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय–

इस विधान सभा के जितने भी विरोधी दल हैं उनके सब नेताओं के उस पर हस्ताक्षर हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उसका कितना महत्व है। आपने स्वयं यह कहा कि समाचार पत्र प्रजातन्त्र का आधार है। यह समाचार पत्र का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ने कल यह कहा था कि हम पता लगायेंगे कि विज्ञापन देते हैं या नहीं। माननीय गेंदा सिंह जी इसको स्वीकार कर चुके हैं कौंसिल में कि टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के विज्ञापन रोक लिये गये हैं। सूचना विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर ने आज जागरण के सम्वाददाता से बुलाकर कहा कि यदि आप लोग अपनी कलम चौधरी चरण सिंह के खिलाफ नहीं रोकेंगे तो आप का विज्ञापन रोक दिया जायगा। (व्यवधान)

विधान सभा से कम लोकतन्त्र में समाचार-पत्र का महत्व नहीं है। समाचार-पत्र जनता की आवाज है।

श्री अध्यक्ष—

आप सिद्धान्त की बात कहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है वह नियम के अनुकूल दिया है। समाचार-पत्रों का यह सैद्धान्तिक विषय है जिस पर चौधरी चरण सिंह की सरकार ने आक्रमण किया है। उस पर पूर्णरूप से विचार नहीं हुआ है। आपन कहा था कि जानकारी करेंगे। आप को जानकारी है और पता है कि इन दो समाचार पत्रों के विज्ञापन चौधरी चरण सिंह की तानाशाही के कारण रोक लिये गये हैं जिसको हम बरदाश्त नहीं कर सकते। हमारी चेतावनी है कि सूचना विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर ने जागरण को यदि यह धमकी नहीं दी है कि चरण सिंह के खिलाफ कलम रोकिये तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

(सदन में अत्यन्त शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

सदन में इस घोर अव्यवस्था होने के कारण अब मैं सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय ५ बजकर ८ मिनट पर सदन १५ मिनट के लिये स्थगित हुआ और ५ बजकर २३ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा। नियम ५७ में दिया हुआ है कि इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी लोक महत्व के निश्चित अवलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप को मैं बहुत ही आदर की दृष्टि से देखता हूं। मैं आपकी भावना को अपील करना चाहता हूं। इससे अधिक लोक महत्व का प्रश्न और अधिक क्या हो सकता है कि हमारे प्रदेश से समाचार-पत्रों पर विज्ञान की रोक लगाई गयी है।

(व्यवधान)

[श्री कृष्णानन्द राय]

श्रीमन्, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि जब से माननीय चरण सिंह जी मुख्य मंत्री हुए, इनकी सरकार ने सूचना विभाग में एक सेल कायम किया है जो यह बतलाता है कि कितने परसेन्टेज कौन अखबार चौधरी साहब के विरुद्ध अपनी बातें निकालते हैं। श्रीमन् आप देखेंगे कि ८० प्रतिशत चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर आलोचना की जा रही है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सीलिंग की स्पष्ट घोषणा की थी कि ३० एकड़ तक की सीलिंग होगी। लेकिन वे अब इस वायदे से हट गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, यह एक अविलम्बनीय प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

यह कोई अविलम्बनीय प्रश्न नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, आपने जो रूलिंग दी है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं .....

(कई सदस्यों के साथ खड़े हो कर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और १ जून, १९७० को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १ जून, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२९ मई, १९७० ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५५ पर]

(१) व्यक्तिगत व्यापारियों को नीलाम द्वारा जो लीसा बेंचा गया--

व्यापारियों का नाम	जिले का नाम	नीलाम में बेचे गये लीसे की मात्रा (क्विन्टल में)
१	२	३
१--श्री कन्हैयालाल, २८६/७२४, ऋषिनगर, सकूर बस्ती, दिल्ली--३४	चमोली	३६०
२--श्री मनमोहन, दिल्ली	,,	२००
३--मेसर्स बरेली रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी, नेकपुर, बरेली	,,	६८
४--मेसर्स खुराना ब्रदर्स, गोपाल मन्दिर, ऋषिकेश ..	,,	४००
५--मेसर्स प्रताप रोजिन एण्ड टर्पेंटाइन फैक्टरी, सहारनपुर	,,	४००
कुल, (जिला चमोली)		१,४२८
६--भगवान फाइनान्स कारपोरेशन, बरेली ..	गढ़वाल	१७५
७--कन्हैयालाल, २८६/७२४, ऋषिनगर, सकूरबस्ती, दिल्ली--३४	,,	३८
८--श्री धरम चन्द सूद, सुभाषनगर, बरेली ..	,,	५००
९--श्री धरम चन्द सूद, सुभाष नगर, बरेली ..	,,	५००
१०--श्री कुन्दन लाल, नेकपुर, बरेली	,,	५००
कुल (जिला गढ़वाल)		१७१३

(२) सहकारी समितियों को जो लीसा दिया गया--

		क्विन्टल
१--गृह उद्योग सहकारी समिति, कोटद्वार ..	(जिला गढ़वाल)	३७३१
२--कोआपरेटिव रेजिन प्रोसेसिंग फैक्ट्री, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	(जिला चमोली)	१२८३
कुल ..		५०१४

(३) अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को जो लीसा दिया गया--

		क्विन्टल
१--इण्डियन टरपिन एण्ड रोजिन फैक्ट्री, कलेक्टरगंज, बरेली	(जिला गढ़वाल)	१०,२८१
	जिला चमोली)	१४,५९०
	(टिहरी गढ़वाल)	४०,०००
कुल योग ..		६४,८७१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें तथा उन पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

मांगें	सरकारी कार्यवाही
१—गैरसरकारी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में वेतन भुगतान राजकोष से किया जाय ।	१—राज कोषागार से अभीष्ट वेतन भुगतान करने की मांग व्यावहारिक नहीं है।
२—इन संस्थाओं के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता राजकीय विद्यालयों के बराबर किया जाय ।	२—इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।
३—बी० टी० सी० और जे० टी० सी० वेतन-क्रम के शिक्षकों को सी० टी० वेतन-क्रम दिया जाय ।	३—विचाराधीन है ।
४—संगीत, क्राफ्ट, कला अध्यापक, आदि का वेतन-क्रम संशोधित किया जाय ।	४—विचाराधीन है।
५—माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।	५—इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है।
६—माध्यमिक शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाय ।	६—यथासम्भव सेवा-सुरक्षा पहले से ही दी गई है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर)

क्रम संख्या	अध्यापिका का नाम	विद्यालय का नाम जिसमें कार्य कर रही है	लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, से चुने जाने का समय	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१—	डा० श्रीमती चन्द्रावती सिंह	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	१९६४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा वेतन-क्रम
२—	कु० चन्द्रकला सक्सेना	तदेव	१९६०	तदेव
३—	श्रीमती चित्रा श्रीवास्तवा	तदेव	१९६२	तदेव
४—	श्रीमती प्रेम सक्सेना	तदेव	१९६३	तदेव
५—	श्रीमती विद्यावती गुप्ता	राजकीय शिशु, प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद	१९६४	तदेव
६—	श्रीमती गार्गी वर्मा	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, इलाहाबाद	१९६२	तदेव
७—	श्रीमती खुर्शीद फातिमा नोबानी	राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, इलाहाबाद	१९६०–६१	स्नातक वेतन क्रम
८—	श्रीमती सुमित्रा धूलिया	तदेव	१९६०–६१	तदेव
९—	श्रीमती कान्ता अरोरा	तदेव	१९६५–६६	तदेव
१०—	श्रीमती शान्ती श्रीवास्तव	राजकीय कन्या इण्टर कालेज इलाहाबाद	१९६०–६१	तदेव
११—	श्रीमती विमल तिवारी ..	तदेव	१९६५–६६	तदेव
१२—	श्रीमती उषा रानी श्रीवास्तव	तदेव	१९६०–६१	तदेव
१३—	कु० जोए प्रेमला दास	राजकीय महिला नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद ।	१९६०–६१	तदेव
१४—	कु० बसन्त रेखा ..	तदेव	१९६०–६१	तदेव

१	२	३	४	५
१५—श्रीमती ललिता हरिस ब्रसूविथस		राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	१९६०–६१	स्नातक वेतन क्रम
१६—कु० दयाल देवी गुप्त		तदेव	१९६०–६१	तदेव
१७—श्रीमती कुसुम लता मिश्रा		राजकीय महिला नर्सरी ट्रेनिंग-कालेज, इलाहाबाद	१९६०–६१	तदेव
१८—कु० पदमा सनयाल		राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	१९६०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा वेतन क्रम
१९—कु० कुदेशिया सुल्तान		तदेव	१९६४	तदेव
२०—कु० सरोज कुमारी टण्डन,		तदेव	१९६४	तदेव
२१—कु० अमीरुन निशा नाहिद		तदेव	१९५९	तदेव
२२—कु० लीला खोमानी		तदेव	१९६०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा एवं स्नातक वेतन-क्रम में चुनी गई हैं।
२३—कु० कुमोदनी शुक्ला		तदेव	१९६३–६४	स्नातक वेतन क्रम
२४—श्रीमती तारा दीक्षित		राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय सम्बद्ध हाई स्कूल, लखनऊ	१९६४–६५	तदेव
२५—श्रीमती विमला काण्डपाल		तदेव	१९६३–६४	तदेव
२६—श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी		तदेव	१९६४–६५	तदेव
२७—श्रीमती कान्ती मुकर्जी		राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिगार नगर, लखनऊ।	१९६१–६२	तदेव